राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम सत्र, १६६५ का १५वां दिवस [संख्या १२

बुधवार, दिनांक १० मार्च, १६६५

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.०७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[उद्योग, वित्त, पंचायत, विद्युत, वन, सार्वजनिक निर्माण, सहकारी एवं श्रम—विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या २५८

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २५६

श्री राधाकृष्ण गोयल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २६०

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

पानरवा जंगल का ठेका

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर),
श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा),
श्री श्रवणलाल (हिंडौन-सु०),

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पानरवा जंगल का क्षेत्रफल क्या है ?

(२) इस समय इसका ठेका किसको कितने रुपयों में और किन शर्तों पर दिया हुआ है ? यह ठेका कब समाप्त होगा ?

(३) इस समय इस जंगल में कितनी लकड़ी उपलब्ध है ?

(४) इस ठेके के पूर्व इस जंगल का ठेका किस व्यक्ति को किन शर्तों पर दिया गया था ?

वन-मन्त्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के लिये पोस्टपोनमेन्ट के लिये समय मांगा गया था ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, १।। साल के बाद भी माननीय मंत्री इसके लिये समय मांगते हैं !

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह में सारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिस का जवाब नहीं आया है । आखिर हमारा भी प्रिविलेज है ! इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का कहना है कि भाग (३) की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है । भाग (३) की ऐसी जानकारी है जिसके लिये कुछ समय चाहिये । एक सप्ताह में ये जवाब दे देंगे । अगले टर्न पर ये जवाब देंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : भाग(३) को छोड़ कर बाकी का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह पूछा गया है तो उसका पूरा ही जवाब आना चाहिये ।

वे अपनी अगली टर्न पर जवाब दे देंगे ।

प्रश्न संख्या २६१

श्री मोहनलाल सारस्वत ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २६२

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २६३

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री सागरमल ।

जोबनेर से किशनगढ़ रेनवाल तक बिजली

२६४. श्री सागरमल (फुलेरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

(श्री सागरमल)

(१) जोवनेर से किशनगढ़ रेनवाल तक बिजली कब तक ले जाने की योजना है ?

(२) यह लाइन किशनगढ़ रेनवाल से आगे कहां तक ले जाने की योजना है ?

(३) इस लाइन से क्या कृषि के कुओं के लिये भी बिजली दी जायगी ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद): (१) इसकी सन् १९६४-६५ में विद्युतिकरण की योजना है।

(२) ये लाइनें आगे दांतारामगढ़ तक जायेंगी।

(३) जी हां।

अध्यक्ष: नैक्स्ट।

बहाली की दरख्वास्त पर कार्यवाही

२६५. **श्री केदारनाथ (गंगानगर) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) साधूवालों ग्राम पंचायत मिरगेवाला पंचायत समिति, गंगानगर के कितने सदस्य हैं ?

(२) इनमें कितने सदस्यों को किस तारीख की बैठक में सरपंच ने निष्कासित किया और किस आधार पर और क्या यह सही है कि इन निष्कासित सदस्यों ने एस. डी. एम. कोर्ट (गंगानगर) में उप-जिला विकास अधिकारी की मार्फत २२-८-६२ को बहाली की दरख्वास्त दी ? यदि हां, तो आज तक इस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) ११ सदस्य थे।

(२) पंचायत के ६ सदस्यों को दिनांक ४-३-६३ की बैठक में पंचायत की लगातार ५ बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण हटाये गये। निष्कासित सदस्यों ने इस संबंध में आवेदन-पत्र दिया था और पर कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

श्यामगढ़ की तलाई हेतु धनराशि

२६६. **श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) :** क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पंचायत समिति कुचामन द्वारा श्यामगढ़ की तुलाई हेतु वर्ष १९६३-६४ में कोई धनराशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कितनी व रुपये किस व्यक्ति को कब दिये गए ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रुपये अभी तक पंचायत की कैश बुक में दर्ज नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार की कार्यवाही के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है व सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(३) उक्त रकम का उपयोग हुआ या नहीं ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। २०००) रु० स्वीकृत किये गये। पहली किश्त के १०००) रु० दिनांक २६-३-६३ को पंचायत समिति के सहवृत सदस्य श्री किशनसिंह को दिये गये व दूसरी किश्त के ८००) रु० दिनांक ५-८-६४ को श्री मांगीलाल सरपंच को।

(२) जी नहीं।

(३) तलाई के कार्य पर रकम का उपयोग किया जा चुका है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : सरपंच के अलावा किसी को देने का कोई प्रावधान कानून में है क्या ?

श्री भीखाभाई : यह तो जमा हो चुका है, उनकी मार्फत भेजा गया है। मेरे ख्याल से इसमें कोई अनियमितता नहीं है। पंचायत में रुपये जमा हो चुके हैं, उपयोगिता का सर्टीफिकेट आ चुका है। सहवृत्त सदस्य थे।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरपंच के सिवाय अन्य व्यक्ति को रुपये दिये जाने का कोई कानून है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कहते हैं कि रुपया उनके साथ सहवृत्त सदस्य होने के नाते भेजा गया और फिर वह रुपया पंचायत कोष में जमा हो गया और फिर खर्च हुआ है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि रुपया उनको क्यों दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कहते हैं कि उनको दिया गया और ले जाने के लिए दिये। वह रुपया पंचायत कोष में जमा हो गया, फिर क्या बात है ?

श्री हनुमानसिंह चौधरी : वह रुपया कैश बुक में जमा हो गया है ?

श्री भीखाभाई : जो सूचना मिली है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि विकास अधिकारी ने सूचना दी है वह रुपया कैश में जमा है। सरपंच द्वारा रुपयों का उपयोग किया गया उसको भी बताया गया है। ये सारी बातें हैं जिनसे साफ है कि रुपया दिया, उसका उपयोग हो चुका है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : रुपया ले जाने के कितने दिन बाद में जमा कराया गया ?

श्री भीखाभाई : यह तारीख मेरे पास नहीं है। पहली किश्त किस तारीख को दी और दूसरी किस तारीख को दी यह है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : रुपया पंचायत समिति से उठाने के बाद में कितने दिनों बाद जमा कराये और उस समय के बीच में उसने अपने काम में लिये ?

श्री भीखाभाई : यह सूचना मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य कोई ऐसी खास बात हो तो बतावेंगे तो उस पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह रुपया कार्य मे लगाया गया तो कब लगाया गया ?

Page No 5

श्री अध्यक्ष : यह स्कीम के लिये था। उसका उपयोग आप कहते हैं, हो गया। लेकिन भविष्य के लिए भी क्या आप यह उचित समझते हैं कि यह रुपया केवल सरपंच को ही मिलना चाहिए। इसके लिए क्या कह रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : आगे के लिये परिपत्र जारी कर देंगे कि किसी दूसरे अन-ऑथोराइज्ड पर्सन को नहीं दिया जावे। मुझे पता नहीं कि सरपंच ने अन-ऑथोराइज्ड को दिया।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह किस की देख-रेख में हुआ, जब ये रुपये सरपंच को नहीं दिये गये।

श्री भीखाभाई : यह तो सरपंच की देखरेख में हुआ, ऐसा पता चलता है। अगर कोई दूसरी स्थिति हो तो मुझे मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

उद्योग विभाग में पे फिक्सेशन के मामले

२६७. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) उद्योग विभाग में सिविल सप्लाइज विभाग से आये हुए ऐसे कितने अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं जिनका कि पे फिक्सशन अभी तक नहीं हुआ है और जिस के कारण नौ-नौ, दस-दस वर्षों से उनके वेतन में वार्षिक वृद्धि नहीं हो पाई है ?

(२) क्या सरकार जून १९६५ से पहले पहले इनकी बकाया रकम का चुकारा करा देने की व्यवस्था करेगी ?

(३) इन कर्मचारियों का सरकार की ओर कितना पैसा बकाया है ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनलल वैद): (१) इस विभाग से सिविल सप्लाइज से आये हुए व्यक्तियों में से केवल एक ही व्यक्ति का केस पेंडिंग है, जिसका कि पे फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है।

(२) फिक्सेशन का प्रकरण सरकार के अभी विचाराधीन है। फिक्सेशन की आज्ञा निष्काषित होने पर बकाया रकम के चुकाने की व्यवस्था होगी।

(३) फिक्सेशन होने के बाद ही यह बताया जा सकता है कि उनको कितना रुपया बाकी देना है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इन लोगों को कौन से साल में इस डिपार्टमेंट में लिया था ?

श्री चन्दनमल वैद : लोगों का सवाल नहीं है, एक ही है। फिक्सेशन नहीं हुआ है, फाइनेन्स डिपार्टमेंट से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

सारी बात-चीत चल रही है, करीब करीब निर्णय हो गया है, निर्णय आ

(श्री चन्दनमल वैद)

जाने पर शीघ्र ही फिक्सेशन कर दिया जायगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उद्योग डिपार्टमेंट में कौन से साल में लिया था ?

श्री चन्दनमल वैद : सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट समाप्त हुआ तब लिया था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसको कितना अर्सा हो गया ?

उद्योग मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जहां तक मेरा ख्याल है, अजमेर का मर्जर हुआ तब का है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ९ साल हो गये हैं, एक आदमी का फिक्सेशन करना बाकी है। एक आदमी को यह सरकार ९ साल में फिक्स नहीं कर सकी; इस सरकार को क्या कहा जाय ?

श्री चन्दनमल वैद : बाकी कुल का कर दिया है, उसके लिए आपने नहीं कहा, एक के लिए यह कह रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक ही को लिया है।

श्री चन्दनमल वैद : यह मैंने कब कहा, एक ही को नहीं लिया है, कई को लिया है, उनमें से एक का फिक्सेशन नहीं हुआ है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : और कइयों को लिया है तो बताइये कि कितनों का हो गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और फाइनेन्स डिपार्टमेंट का मत-भेद है, इसलिये फिक्सेशन नहीं हो पाया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में आपने कितने आदमियों को लिया था ?

श्री चन्दनमल वैद : यह मालूम नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह नहीं है तो फिर कैसे कहते हैं कि एक ही का बाकी है ? अभी आपने कहा कि एक आदमी को लिया है।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने यह नहीं कहा कि एक आदमी को लिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप बतायें कि कितने आदमियों को लिया है ? जो मेरे प्रश्न पूछने का मतलब है उसका एक का भी अभी तक आपने उत्तर नहीं दिया है। जो सरकार ९ साल तक एक आदमी का फिक्सेशन नहीं कर सके, उस सरकार को कैसी सरकार कहा जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : "फिक्सेशन" का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि उसे तनख्वाह नहीं मिल रही है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : फिक्सेशन होने के बाद जो उसे इन्क्रीमेंट्स प्रोमोशन मिलने चाहिये वे नहीं मिल रहे हैं, उसे एरियर्स नहीं मिल रहे हैं। आज के आर्थिक कठिनाई के युग में किसी का ९ साल तक

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

फिक्सेशन नहीं हो, अन्दाज लगाइये कितनी मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ रहा होगा।

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे यह बताइये कि जिस पोस्ट पर था उस पोस्ट की तनख्वाह उसे मिल गई है या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यू. डी. सी. की पोस्ट पर इन्क्रीमेंट हो जाने के बाद में प्रतिवर्ष एन्युअल इन्क्रीमेंट मिलते मिलते ऊंची तनख्वाह मिलती है। १० साल तक प्रोमोशन नहीं मिले, एन्युअल इन्क्रीमेंट नहीं मिले तो आप अन्दाजा लगाइये कि उसको कितना पैसा कम मिला, एक भी इन्क्रीमेंट उसे मिली नहीं, साधारण वेतन में उसे गुजारा करना पड़ रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : उसका ग्रेड फिक्स्ड है। जहां तक मुझे मालूम है उसको ग्रेड इन्क्रीमेंट्स भी मिले हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : उसे एक भी ग्रेड इन्क्रीमेंट नहीं मिला है।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा ऐसा ख्याल है कि मिला है, हो सकता है I may be wrong.

श्री मुरलीधर व्यास : उसको एक भी इन्क्रीमेंट नहीं मिला है। जिस स्थिति में उसे आपके डिपार्टमेंट में भेजा गया था उसी स्थिति पर पड़ा हुआ है। आपको यदि यह इन्फोर्मेशन हो कि उसे इन्क्रीमेंट दिये गये हैं तो वह बिल्कुल गलत है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : फाइनेन्स डिपार्टमेंट और आपके डिपार्टमेंट के इसके फिक्सेशन के बारे में पत्र-व्यवहार चल रहा है, झगड़े का सवाल चल रहा है; तो बताइये कि किस बात का झगड़ा चल रहा है, क्या झगड़ा फाइनेन्स डिपार्टमेंट से है

श्री चन्दनमल वैद : मेरे पास फाइल नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आपसे आश्वासन मिल सकता है कि जल्दी ही इस केस को निबटा दिया जायगा।

श्री चन्दनमल वैद : यह उत्तर में कहा जा चुका है, जल्दी ही फिक्सेशन कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष।

प्रश्न संख्या २६८

टोंक जिला बोर्ड के कर्मचारियों का प्रोविडेन्ट फण्ड का रुपया

२६८. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टोंक जिला बोर्ड के कर्मचारियों से उनके वेतन में से काटा गया पांच प्रतिशत प्रोविडेन्ट फन्ड का रुपया कहां जमा है ? क्या वह रुपया उन कर्मचारियों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उनको दे दिया जावेगा ?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : माननीय अध्यक्ष, यह क्वेश्चन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से सम्बन्धित हैं, इसलिये इसे लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट के पास भेज दिया गया है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कोई उत्तर नहीं है, कई दफा रूलिंग हो गई है । पांच साल से इन लोगों को नहीं मिल रहा है । यह भी पता नहीं है कि कहां है ।

श्री भीखाभाई : जिला बोर्ड का सवाल है, जिला बोर्ड लोकल सेल्फ विभाग से सम्बन्धित है, इसलिये उनके पास भेज दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन विभाग स्वीकार करता है या नहीं कि उनकी परिधि में यह है । दोनों आपस में बात करके निश्चित रूप से अगले सप्ताह इसका जवाब देवें; केवल भेजने से समस्या हल नहीं होगी ।

नेक्स्ट, श्री मावा ।

आदिवासियों को जमीन

२६६. **श्री मावा (सलूम्बर) :** क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि जयसमन्द की नहरों के डिमार्केटेड क्षेत्र में काश्त काबिल जमीन है जो उस इलाके के आदिवासियों को, जिनके पास बहुत कम जमीन है, वितरित की जा सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वन मन्त्री (श्री भीखाभाई) : जी नहीं ।

श्री मावा : जो ईरिगेटेड एरिया के नीचे जमीन पड़त है, उस जमीन को काश्तकारों को देने का सरकार विचार रखती है ?

श्री भीखाभाई : जहां तक इस विभाग से सम्बन्धित जमीन का प्रश्न है जवाब दे दिया गया है । रेवेन्यू का मेरे से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : प्रश्न में यह पूछा गया है कि "क्या यह सही है कि जयसमन्द की नहरों के डिमार्केटेड क्षेत्र में काश्त काबिल जमीन है जो इस इलाके के आदिवासियों को, जिनके पास बहुत कम जमीन है, वितरित की जा सकती है ?" इसका आप क्या जवाब देते हैं, जमीन है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मेरी जानकारी के अनुसार मैंने उत्तर दिया है, "जी नहीं" ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : क्या आप यह जिम्मेदारी के साथ कहते हैं ?

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : वहां ५०० एकड़ जमीन लगी पड़ी है उस इलाके में जहां सिंचाई होती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वन विभाग की जमीन है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा, "जी नहीं"; वन विभाग की जमीन नहीं है । "ऊपर" जमीन है वह गेम सेंक्च्युअरी की है ।

श्री उदयलाल वर्दिया : गेम सेन्च्युअरी की नहीं है।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य बतायें कि काबिल काश्त जमीन है तो उसके लिये प्रोसीजर ऑलरेडी कायम किया हुआ है, तहसील कमेटी, और लोकल कमेटी, बिना गवर्नमेंट को रेफर किये जमीन को दे सकती है।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु०) : लेकिन देते नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि आदिवासी एरिया में जो फोरेस्ट एरिया है वहां काबिल काश्त जमीन है वह क्लोजर और डिमार्केशन के अन्डर में ले ली है।

श्री भीखाभाई : यह जनरल क्वेश्चन है।

श्री उदयलाल वर्दिया : काबिल काश्त है और अन्दर नहर निकली हुई है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

बारां सब-डिविजन को झालावाड़ से मिलाया जाना

२७०. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) [श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बारां सब डिविज़न को सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों में झालावाड़ के साथ मिला दिया गया ?

(२) यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) ऐसा प्रशासनिक आधारों पर किया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रशासनिक आधार क्या है ? क्या इकोनोमी हुई ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपको मालूम है कि मंडी डिवीज़न एबोलिश होने के बाद एक्स. ई.एन. कोटा के पास वर्क लोड काफी बढ़ गया। उसको मंडी डिवीज़न का काम भी और बूंदी का भी काम करना पड़ता है इसलिए यह हल्का झालावाड़ में लिया गया, जहां वर्क लोड कम है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि बारां सब डिवीज़न का जो क्षेत्र झालावाड़ में मिलाया गया, कोटा से मुश्किल से दस मील की दूरी पर ही आरम्भ हो जाता है; कालीसिंध पलायता में है वहां से शुरू हो जाता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसा निवेदन किया कि मंडी डिवीज़न में एक एक्स.ई.एन था। उसका एबोलिशन हो गया तो एक ही एक्स.ई.एन उस डिवीज़न का रह गया जिस पर मंडी डिवीज़न का काम भी आ गया। तो उसके वर्क लोड को कम करने की दृष्टि से इधर का एरिया हमने झालावाड़ में मिला दिया जहां पर वर्क लोड कम था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रशासनिक दृष्टिकोण बताया, यह भी दृष्टिकोण में रखा होगा कि झालावाड़ में कितने मील का एरिया आया है और कोटा डिवीज़न में कितना छोड़ा है। यह जानकारी दें कि कोटा एरिया में कितना है और झालावाड़ में कितना ?

श्री हरिश्चन्द्र : माइलेज का क्राइटेरिया रखा जाता है लेकिन वर्क लोड का मेन क्राइटेरिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोटा डिवीज़न में कितना वर्क लोड है और झालावाड़ डिवीज़न में कितना ?

श्री हरिश्चन्द्र : वैसे वर्क लोड ८ लाख का होना चाहिये। झालावाड़ का ८ लाख से कम था इसलिए मिला दिया। कोटा का ज्यादा और झालावाड़ का कम, इसलिए शाहबाद का एरिया उसमें मिला दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डिवीज़न जो क्रियेट करते हैं वहां कितना वर्क लोड होना चाहिए तब डिवीज़न अलग कर देते हैं। कितनी रकम तक का वर्क लोड एक डिवीज़न में होना चाहिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोटा का २५ लाख, मंडी का २४ लाख के आसपास और झालावाड़ का २१ लाख का।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

सांगानेर का छपाई उद्योग

२७१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सांगानेर की छपाई (प्रिन्ट) मशहूर और पुरानी कला है तथा देश-विदेश में इसकी बिक्री खूब होती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि प्रचुर मात्रा में इनकी छपाई होने पर भी रंगों के आयात करने के लाइसेन्स का प्रबन्ध नहीं किया गया है ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में है कि रंगों का आयात करने का लाइसेन्स न होने के कारण स्थानीय कच्चे-पक्के रंग भी उपयोग में लिये जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि रंगाई का स्तर गिरता है और वह महंगी पड़ती है ?

(४) क्या सही है कि इस वजह से इस कलापूर्ण उद्योग की साख घट जावेगी ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल बैद) : (१) जी हां, सही है।

(२) सांगानेर के छापे केवल वनस्पति रंगों का ही प्रायः प्रयोग करते हैं। अतः आयात करने के लाइसेन्स का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी कुछ इकाइयों को अखिल भारतीय दस्तकला मण्डल, नई दिल्ली द्वारा केमीकल रंग दिया गया है।

(३) जी नहीं, देश विदेश में भेजे जाने वाली सांगानेर की रंगाई छपाई का कपड़ा केवल वनस्पति रंगों द्वारा ही बनाया जाता

Page No 11

(श्री चन्दनमल वैद)

है । कुछ छीपे जो स्थानीय मांग को सस्ते भाव में पूरी करते हैं वह ही केवल कच्चे रंगों का प्रयोग करते हैं जो सस्ते पड़ते हैं ।

(४) जी नहीं । जो माल देश विदेश में विकता है उस पर तकनीकी कर्मचारियों द्वारा जांच कर गुणांकन चिन्ह (क्वालिटी कन्ट्रोल सील) लगा दिया जाता है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपने फरमाया कि आयात का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये वनस्पति रंगों का उपयोग करते हैं । मैं यह जानना चाहती हूं कि आयात का प्रश्न कैसे नहीं उठता ? वनस्पति रंग बाहर से नही आते हैं । क्या यहां बनते हैं ?

श्री चन्दन मल वैद : जी हां ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जी नहीं । यह गलत है । एलीजर नामक तत्व बाहर विदेश से आता है और उसके लिए कोटा और लाइसेन्स है । वह २०)रु० पौंड मिलता है । उसके विना कैसे रंग बनाये जाते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : सांगानेरी कपड़ा जो छपता है उसकी छपाई के जितने रंग हैं वे देश में ही उपलब्ध हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जी, यह गलत है । ऐलीजर नाम की वस्तु से यह बनते हैं जो बाहर से मंगायी जाती है ।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : वह भी देश में बनती है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : वह बाहर से आती है और यहां नहीं बनती है ।

श्री चन्दनमल वैद : वह देश में उपलब्ध है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : नहीं, यह गलत है; बाहर से आती है । आप इसकी जानकारी करा लीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : प्रक्रिया में भी परिवर्तन कर दिया ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अगर आपने प्रक्रिया में परिबर्तन कर दिया है तो कुछ इकाइयों के लिए लाइसेन्स देने का क्या कारण था ?

श्री मथुरादास माथुर : पुराना लाइसेन्स था इसलिए रिन्यू किया ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं ठीक अर्ज कर रही हूं कि यह तत्व बाहर से आता है और आप इसकी सही रूप से जानकारी कर लें ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपको जो जवाब दिया था उससे संतोष हो जाना चाहिये था, लेकिन फिर भी सांगानेर दूर नहीं है और आप वहां जाकर जानकारी कर लीजिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं रोज सांगानेर जाती हूं और कपड़े भी रंगाती हूं । मैंने जानकारी कर ली है और उसके बाद ही कह रही हूं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप सांगानेर जाकर चैक अप कर लें।

श्री मथुरादास माथुर : आप रोज सांगानेर जाती हैं। जो सूचना थी मुझे, आपने यह और सूचना दी। भविष्य में इस दृष्टिकोण पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : कुछ केमिकल और कुछ वेजिटेबल डाइज होती हैं। ज्यादातर वेजिटेबल डाइज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। माननीय सदस्या ने कहा है कि वेजिटेबल डाइज़ की व्यवस्था का सवाल है।

श्री चन्दनमल वैद : विदेश को जो माल जाता है वह वेजिटेबल डाइज़ का ही जाता।

श्री अध्यक्ष : उनको केमिकल डाइज़ की भी जरूरत पड़ती है। निर्यात की बात छोड़ भी दें, जो रंग बनते हैं इस उद्योग में काम करने वालों के लिए केमिकल डाइज़ के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री चन्दनमल वैद : कुछ इकाइयों को अखिल भारतीय हस्तकला मंडल, नई दिल्ली द्वारा केमिकल डाइज़ दी हैं और इम्पोर्टेड डाइज़ दी हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत कम दी गयी हैं। आम लोग हैं उनको नहीं मिलती हैं। प्राइवेट में काम करते हैं उनको नहीं मिलती है, को-ऑपरेटिव्ज़ के लिए दी गई हैं।

श्री चन्दनमल वैद : को-ऑपरेटिव्ज़ को दी गई हैं। ज्यादा से ज्यादा मंगाई जाय, उसके लिए बात की जा सकती है। हैंडीक्राफ्ट के बाहर जाने से नुक्सान होगा, यह बात सही नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : एलीजर को डाल कर रंग बनाया जाता है; वह बाहर से मंगाते हैं या नहीं, इसकी तो आप जांच करिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

सरपंच का निलम्बन

२७२. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रटलाई, पंचायत समिति बकानी, जिला झालावाड़ के सरपंच श्री रामनारायण को राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया था ?

(२) उक्त सरपंच कब से कब तक निलम्बित रहे ? उन्हें निलम्बित करने के क्या कारण थे और उन्हें बाद में बहाल क्यों किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि श्री रामनारायण, सरपंच के विरुद्ध जिला कलेक्टर या पंचायत अधिकारियों द्वारा भी जांच की गई थी और उनकी रिपोर्ट के अनुसार सरपंच को दोषी पाया गया था ?

(४) राज्य सरकार द्वारा स्थानीय अफसरों की राय के विपरीत आज्ञा प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) दिनांक १५-१-६३ से ८ मई, १९६४ तक निलम्बित रहे। सरपंच, पंचायत रटलाई, श्री रामनारायण के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच के अनुदान के रूप में मिले द्रव्य का दुरुपयोग करने, रेकॉर्ड तरतीब से न रखने तथा लोकल फण्ड ऑडिट विभाग को निरीक्षण न करने देने तथा विभागीय आदर्शों की अवहेलना करना पाया जाने से इन्हें निलम्बित किया गया था, तत्पश्चात फाइनल जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त सरपंच के विरुद्ध रोकड़ ठीक प्रकार से नहीं लिखने, आवश्यक स्थानों पर तस्दीक के हस्ताक्षर नहीं करने तथा काट-छांट करने के आरोप ही सिद्ध हुए जो केवल हिसाबी अनियमितताएं थीं और जिनके आधार पर इन्हें पृथक किया जाना उचित नहीं समझा गया।

(३) केवल हिसाबी अनियमितता के दोषी पाए गए थे।

(४) जी नहीं। वास्तविक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया है ?

श्री जुझारसिंह : वहां के कलक्टर जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने रिपोर्ट की थी, जिस पर एक्शन आपने लिया, उसके बाद में फिर इन्क्वायरी की तो कौनसी चेन्ज आ गई जो राज्य सरकार ने उसको बहाल कर दिया ?

श्री भीखाभाई : मैंने तथ्यों के आधार पर जवाब दिया है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार प्रारम्भिक जांच ११-१२-६२ को रामनारायण सरपंच के खिलाफ १७ (४) पंचायत नियमों के अंतर्गत हुई थी, १४-१-६३ को आरोप-पत्र दिया गया और १५-१-६३ को उसे निलम्बित किया गया। सरपंच का उत्तर सतोषजनक नहीं था। १०-४-६३ उपजिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट में उक्त सरपंच के विरुद्ध रोकड़ ठीक प्रकार से नहीं लिखने, आवश्यक स्थानों पर तस्दीक के हस्ताक्षर नहीं करने तथा काट-छांट करने के आरोप ही सिद्ध हुए जो केवल हिसाबी अनियमितताएं थीं, इसलिए उसको सस्पेंड रखना उचित नहीं समझा गया।

श्री जुझारसिंह : क्या जो ओरीजिनल चार्जेज थे, उनको पहले वाले अधिकारी ने एस्टैब्लिश नही किया था। उसके बाद में जो एक्शन आपने लिया, यानी उनको रीइन्स्टेट किया उनकी सिफारिशों के खिलाफ यह सही है ?

श्री भीखाभाई : पहली जांच कलेक्टर ने की है दूसरी जांच उप-जिला विकास अधिकारी ने की है। पहली जाच प्रारंभिक हुई और दूसरी फाईनल हुई। नियम १७(४) के अन्तर्गत आदमी को कई बारे मौका मिलता है। यद्यपि यह जांच की कार्यवाही बहुत लम्बी है लेकिन यह प्रावधान हम सब ने मिलकर इन्कोर्पोरेट किया है उसी कारण यह कार्यवाही की गई है।

श्री जुझारसिंह : दूसरी जांच में कलेक्टर की जांच को गलत पाया गया है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि दुबारा जांच हुई, जब यह बात साबित हुई और देखा गया कि यह केवल हिसाबी अनियमितता है तो उसको सस्पेन्ड रखना उचित नहीं समझा गया।

श्री जुझारसिंह : कलेक्टर ने अपनी जांच में ८ चार्जेज् एस्टैब्लिश किए थे, तो जो दुबारा जांच हुई उसमें जब चार्जेज् एस्टैब्लिस नहीं हो पाई ?

श्री भीखाभाई : सारे चार्जेज तो मेरे पास लिखे हुए नहीं हैं लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य ने बताया है, तो मैं डिटेल्स देखकर और जांच करूंगा और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कलेक्टर महोदय ने जांच सरकार के आदेशों से की थी या अपने आप की थी ?

श्री भीखाभाई : किसी शिकायत के आधार पर जांच की थी, वैसे सुओ मोटो भी कलेक्टर को अधिकार है। इस वक्त मेरे पास रेकॉर्ड नहीं है, इसलिए ठीक तरह से नहीं कह सकता कि शिकायत के आधार पर की थी या स्वयं ही की थी।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर जिले को गंगानगर व चूरू जिले से सड़क द्वारा मिलाने की योजना

२७३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कौन कौन से जिला हेडक्वार्टर एक दूसरे जिलों से सड़क द्वारा जुड़े नहीं हैं ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले को गंगानगर जिले व चूरू जिले से सड़कों द्वारा जोड़ने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या और वह कब तक पूरी हो जावेगी ?

(३) यदि इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई कदम उठा लिये गये हों तो वे क्या क्या हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) केवल गंगानगर जिले को छोड़ कर अन्य बाकी जिले सड़कों द्वारा जुड़े हुए हैं।

(२) जी हां। बीकानेर से गंगानगर को जोड़ने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। गंगानगर से चूरू को जोड़ने के लिए रावतसर, सरदारशहर रोड़, तृतीय योजना में स्वीकृत है।

(३) बीकानेर से गंगानगर को जोड़ने के लिए एक सर्वेक्षण (इन्वेस्टीगेशन) डिवीजन खोला दिया गया है, जो इन कार्यों का सर्वेक्षण तथा एस्टीमेट बना रहा है तथा रावतसर सरदारशहर का कार्य प्रगति कर रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो बीकानेर से गंगानगर को जोड़ने की योजना है वह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है या राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यह बोर्डर रोड है।

श्री हरिशचन्द्र : बीकानेर से गंगानगर वाया लूणकरणसर, यह सड़क भारत सरकार के विचाराधीन है और सरदारशहर से गंगानगर वाया रावतसर उस सड़क पर हम काम कर रहे हैं, तीन रोलर्स काम कर रहे हैं, ५-६ मील का टुकड़ा बचा है।

श्री मुरलीधर व्यास : या तो मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं कि लूणकरणसर तक सरदार खुद बना रही है; सवाल यह है कि जो सूरतगढ़ के आगे सड़क जोड़नी है तो उसको भारत सरकार या राजस्थान सरकार जोड़ेगी ?

श्री हरिशचन्द्र : मैंने जवाब दे दिया।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मंत्री महोदय दो साल से जवाब दे रहे हैं कि भारत सरकार के विचाराधीन है, कब पूरी होगी ? आपको कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी यह काम शुरू हो।

श्री हरिशचन्द्र : जितनी कोशिश हो सकती है की गई है। पत्र-व्यवहार हो गया है। आश्वासन आ गया है कि यह स्वीकृत हो जायगी। लेकिन जब तक फाइनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं आती है मैं सदन में कमिट नहीं कर सकता कि इस काम को कब लिया जायगा। जहां तक अनऑफीशियल इन्फोर्मेशन है, इस सड़क को भारत सरकार बनाएगी।

श्री मुरलीधर व्यास : तृतीय पंचवर्षीय योजना खत्म हो रही है और चौथी शुरू हो रही है, उसमें बीकानेर से गंगानगर की सड़क नहीं जोड़ी और फिर भी कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार से अभी भी बातचीत चल रही है। यह बोर्डर सड़क है और अभी तक फाइनल डिसिजन नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि हमने जो पंचवर्षीय योजना में निर्णय किया था उससे हम बहुत परे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : रावतसर सरदार शहर की सड़क कब तक कम्प्लीट हो जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : १९६६ तक कम्प्लीट हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

मनोहरथाना-चांचोडा सड़क

२७४. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मनोहर थाना (जिला झालावाड़) से चांचोड़ा (मध्य प्रदेश) तक की सड़क को कितना पक्का करना शेष रह गया है ? उसको कब तक पक्का किया जा सकेगा ?

(२) मनोहरथाना-चांचोडा रोड पर कुल कितनी पुलें बनाई जाने की योजना थी और इन पुलों के बनाने में कुल कितनी धनराशि खर्च की जाने की सम्भावना है तथा इन पुलियों को कब तक पूरा किया जावेगा ?

Page No 16

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) क्रोस ड्रेनेज कार्य को छोड़कर सड़क पूर्ण हो चुकी है।

(२) इस मार्ग की योजना अलग से नहीं बनाई गई है। मनोहर थाना मीराजपुर रोड पर क्रोस ड्रेनेज कार्य तृतीय योजना में २,५०,०००) की लागत पर स्वीकृत है जो चतुर्थ योजना तक पूर्ण होने को है।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

अध्यापक की बर्खास्तगी

*७५. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री रघुनाथसिंह, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला हेलक को पंचायत समिति कुम्हेर द्वारा बिना डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी की पूर्व स्वीकृति के बर्खास्त (डिस्मिस) कर दिया गया है ? यदि हां, तो प्रथम बार कब डिस्मिस किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त आज्ञा को निरस्त करने के बाद पुनः इसी प्रकार बिना जिला वर्ग कर्मचारी समिति की पूर्व स्वीकृति के उक्त अध्यापक को बर्खास्त कर दिया ? यदि हां, तो इस अवैधानिक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति के संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि इस अध्यापक को ३४२ ता० हि० का अभियोग लगाकर मुअत्तिल किया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त अभियोग को पार्टीबाजी के आधार पर गलत लगाया हुआ मानते हुए अदालत द्वारा उक्त अध्यापक को निर्दोष करार दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(५) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त अध्यापक को मुअत्तिल किया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। दिनांक २१-९-६२ को।

(२) जी हां। स्थायी समिति द्वारा किया गया दूसरा निर्णय भी सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। समिति के सदस्यों के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।

(३) जी हां।

(४) जी हां। दिनांक १६-८-६३ को।

(५) जी हां। क्योंकि पंचायत समिति द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच अभी तक चालू है।

श्री नत्थीसिंह : पंचायत समिति द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कब से जारी है और अब किस स्टेज पर है ?

श्री भीखाभाई : १२-२-६४ से ।

श्री नत्थीसिंह : किस स्टेज पर है ?

श्री भीखाभाई : स्टेज तो मुझे मालूम नहीं है ।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि विकास अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट पंचायत समिति को सितम्बर १९६४ में दी गई है और ६ बार स्थायी समिति को फैसला लेने को कहा गया और अपनी रिपोर्ट में इस मास्टर को पूर्णतः निर्दोष पाया, लेकिन स्थायी समिति ने कोई भी निर्णय आज तक नहीं लिया ?

श्री भीखाभाई : ये सारी बातें मालूम नहीं हैं; इतना जरूर मालूम है कि स्थायी समिति ने इस अध्यापक के खिलाफ सारा प्रेजुडीशियल काम किया है, ऐसा रिकार्ड से लगता है । इसके लिए कानूनी ढंग से कार्यवाही नहीं हो सकती थी । दूसरी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव राहत देने की कोशिश की जायगी ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यापक के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं। अदालत ने निर्णय लिया है कि पार्टीबाजी के आधार पर उसको बर्खास्त किया गया। दो बार उसको होल्ड किया गया, विजीलेन्स कमीशन को लिखा गया, उसके द्वारा फैसला नहीं किया गया । उस अध्यापक के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करने वाले वही ग्राम पंचायत के सरपंच स्थायी समिति के चेयरमैन हैं । इस अध्यापक को १७.५.६२ से निरन्तर मोअत्तिल रखा गया है । आपको रिमाइन्ड कराया जाता है, आप फैसला नह करते, इनको तनखा दी जाय, आप उनके हाथ में अधिकार दे देते हैं । अदालत के फैसले के बावजूद भी आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसका कारण बताया जाय ?

श्री भीखाभाई : जैसा कि माननीय सदस्य ने वर्णन किया । सरकार का जहां तक सवाल है सरकार ने उनके आर्डर्स को निरस्त किया है ।

श्री नत्थीसिंह : खाली निरस्त कर देने से क्या ! अदालत के आदेश के बाद आपने क्या कार्यवाही की उसके खिलाफ ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान सरकार की सहानुभूति उस अध्यापक के साथ है, यह मैं कह चुका हूं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उस स्थाई समिति को भंग क्यों नहीं कर देती ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): तीन साल तक सरकार पंचायत समिति के संबंध में निर्णय नहीं कर सकी ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया, अध्यापक के साथ सरकार की सहानुभूति है, इसीलिए डिसमिसल के जो ऑर्डर्स किये थे उनको निरस्त किया । इससे अधिक और क्या करते ?

Page No 18

श्री नत्थीसिंह : सरकार जिस प्रकार कहती है हमने आर्डर्स निरस्त कर दिये; उसके सिवाय और क्या कर सकते थे ? जब कोई उनके आर्डर न माने तो मंत्री महोदय वैसी स्थिति में और क्या करेंगे ?

श्री भीखाभाई : सरकार ने सब कुछ किया है, उसको काम पर लगाया है। इसके अलावा भी आगे कुछ हो सकता है तो वह भी करने की कोशिश करेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है सब अधिकार बी० डी० ओ० को हैं। स्थाई समिति किसी अध्यापक का ट्रान्सफर भी करती है तो बी० डी० ओ० की सम्मति से करती है। आज पंचायत मिनिस्टर जवाब देते हैं, गलत निर्णय दे दिया; उसका पालन कराना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार सब बी० डी० ओ को हैं, किसी भी स्थायी समिति को यह अधिकार नहीं हैं; आपके इस प्रकार के सर्कुलर्स हैं।

श्री भीखाभाई : सजा देने का अधिकार पंचायत की स्थायी समिति को है। वह माइनर पनिशमेंन्ट दे सकते हैं। मेजर पनिशमेन्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी के पास जाती है। स्थायी समिति ने बिना बी० डी० ओ० को पूछे किया, इसलिए उसके ऑर्डर्स निरस्त किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त अध्यापक को पंचायत समिति से न्याय दिलाने के काम में असमथ रही है ?

श्री भीखाभाई : यह इससे संबन्धित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त अध्यापक को पंचायत समिति से न्याय दिलाने में असमर्थ रही है ?

श्री भीखाभाई : मैं दो-तीन बार कह चुका हूं और कुबूल कर चुका हूं कि राज्य सरकार कितनी बार कदम उठा चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : कोई सुने या न सुने, आप बोलते ही जा रहे हैं। मेरा बिल्कुल सीधा-सादा प्रश्न है कि क्या सरकार उक्त अध्यापक को पंचायत समिति से न्याय दिलाने में असमर्थ रही है ?

श्री भीखाभाई : आपके सवाल का उत्तर आ चुका है और माननीय सदस्य ने भी दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है, न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार,जयपुर): प्रेजुडीशियल वे में गलत तौर से उस अध्यापक को डिस्मिस किया। उस पंचायत समिति के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार कानून में इस सदन द्वारा दिये गये हैं। पंचायत के हटने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ जांच की जा सकती है।

श्री भीखाभाई : मैंने आश्वासन दिया है कि आगे क्या हो सकता है, सत्र करने के लिये तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिसकन्डक्ट पर भी।

प्रश्न संख्या २७६

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री नत्थीलाल।

नदबई हलैना सड़क

२७७. श्री **नत्थीलाल** (नदबई) [श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) के द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या नदबई से सीधी हलैना कस्बा तक सड़क बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री सांवलियाराम : यह सिर्फ ६ मील का टुकड़ा है। दूसरी तरफ से जाते हैं, उसमें नदबई से हलैना १६ मील पड़ता है इसलिये योजना में होना चाहिये। देहातों से गाड़ियां आती हैं, अनाज वगैरह से लद कर मंडी होने के कारण यहीं पर आती हैं: हाई स्कूल के विद्यार्थी भी पढ़ने आते हैं। यह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : योजना में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री भीमसेन।

प्रकाश चित्र सिनेमा के कर्मचारियों का मांग-पत्र

२७८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर सिनेमा कर्मचारी यूनियन द्वारा फरवरी, सन् १९६४ में प्रकाश चित्र के प्रबन्धकों को कर्मचारियों की ओर से एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया था और उक्त मांग-पत्र की प्रतिलिपि श्रम समझौता अधिकारी, बीकानेर को कन्सिलियेशन के लिये दी गई थी ?

(२) अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सही है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (६) के अन्तर्गत कन्सीलियेशन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट अधिक से अधिक १४ दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर दी जानी चाहिये? अगर हां, तो इस विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्रम-मंत्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके पोस्टपोनमेन्ट के लिये प्रार्थना की है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस सिलसिले में क्या कार्यवाही अब तक हुई है ?

श्री भीखाभाई : (१) जी हां।

(२) उक्त मामले में समझौते के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(३) जी हां, कई पेशियों पर पार्टियों के उपस्थित न होने व कन्सीलियेशन के प्रारम्भ में ही सिनेमा मेनेजमेन्ट द्वारा कानूनी आपत्तियां उठाई जाने के कारण देरी हुई। मैनेजमेन्ट ने उत्तर देने में भी देरी की। अब इस मामले में समझौते के लिए अन्तिम रूप से दिनांक ११ मार्च, ६५ निश्चित की हुई है। कन्सीलियेशन में देरी होने के उत्तरदायित्व का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : कन्सीलियेशन पीरियड के अन्तर्गत देरी हुई; क्या उस पीरियड में सिनेमा मालिक ने कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है ?

श्री भीखाभाई : इतनी सूचना मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैंने इसके पोस्टपोनमेन्ट के लिए प्रार्थना की थी। कन्सीलियेशन जारी है, उस समय विचार किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मजदूरों की सुरक्षा के लिए यह कर रखा है जब से कन्सीलियेशन शुरू हो जाय, किसी को निकाले नहीं। मालिक लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उस पीरियड में नौकरों को निकाल दिया जाय; इससे मजदूरों की सुरक्षा किस प्रकार होगी; ऐसा किया गया है उसके लिए क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री भीखाभाई : यह बात सही है कि कन्सीलियेशन के पीरियड में जहां तक हो स्टेटस मेन्टेन होना चाहिये। जब कन्सीलियेशन की बात होगी उस समय यदि कानूनी जुर्म बनता है तो कार्यवाही करेंगे।

श्री भीमसेन : कन्सीलियेशन की रिपोर्ट १४ दिन में आ जानी चाहिए। मैनेजमेन्ट डिले करता है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : देरी हुई है; इसको मैं कुबूल करता हूं।

श्री भीमसेन : मेनेजमेन्ट इसको अवोइड करना चाहते हैं, उसके लिये आप कुछ नहीं कर सकते जब कि १४ दिन में कन्सीलियेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : डिपार्टमेन्ट को करनी चाहिये, इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

दौसा से तुंगा वाया लवाण का निर्माण

२७६. **श्री मूलचंद चौधरी (दौसा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मूलचन्द चौधरी)

(१) क्या यह सही है कि दौसा तहसील में दौसा से तुंगा वाया लवाण मील ० से ३ तक की सड़क का निर्माण ठेके के अनुसार वर्ष १९६४ में ही पूरा होना था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, ठेकेदार की धीमी प्रगति के कारण।

(२) ठेकेदार को चेतावनी दी गई है।

श्री मूलचन्द चौधरी : यह अब कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोशिश तो इस बात की, की जा रही है कि जल्दी खत्म हो।

प्रश्न संख्या २८०

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशविहारी माथुर।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

पंचायत समिति सपोटरा के प्रधान के विरुद्ध आरोप

२८. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सपोटरा पंचायत समिति के विरुद्ध मन्त्री महोदय के समक्ष लिखित में समिति के कार्यों में अनियमितता तथा कुनबापरस्ती के आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो उनकी जांच सरकार ने अब तक क्यों नहीं करवाई ?

(२) पंचायत समिति, सपोटरा का अब तक कितनी बार ऑडिट हुआ है तथा ऑडिट रिपोर्ट क्या है ? सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। शिकायतों की जांच करवाई जा चुकी है।

(२) तीन बार ऑडिट हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री भीखाभाई : यह प्रतीत हुआ कि अनियमितता हुई है। यह न प्रधान के साथ सिद्ध हुई, न अन्य जगह। तकावी देने में कोई अनियमितता नहीं जाहिर हुई।

श्री भैरोंसिंह : जांच तकावी के मामले तक ही सीमित थी ? अध्यक्ष महोदय, दो बार रिपोट करने का तो काम हमसे तो नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : दो बार से भी हो जावे तो ठीक है।

श्री भीखाभाई : यह सदन के मान का सवाल है, पान खाकर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप वगैर पान खाये ही इस तरह से बोल रहे हैं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : आपने बताया, प्रधान का हाथ नहीं था। आपकी ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है जिसमें सामान खरीदेने में, ऋण देने में बहुत अनियमितताएं बताई गई हैं। चार साल बाद आपकी यह ऑडिट रिपोर्ट मिली है। बार बार कहा जा रहा है। प्रधानजी खत्म हो गये। इसको देखिये, मन्त्री महोदय; यह आपके विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट है। कितना गबन है, कितना अपव्यय है ! फिर भी आप के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया।

श्री भीखाभाई : पहले एक्शन नहीं लिया। ऑडिट रिपोर्ट अब आई है। इसके ऑब्जर्वेशन पर फिर एन्क्वायरी करनी है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : प्रधान तो खत्म हो गये। अब किससे वसूलो करेंगे आप ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य को मैं तुरन्त जांच करने का एश्योरेन्स दे देता हूं।

प्रश्न संख्या २८२

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २८३.

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

उच्चैन व रूदावल कस्बों को कृषि कार्यों के लिए बिजली

२८४. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु०) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या उच्चैन व रूदावल कस्बा, तहसील रूपवास के कुछ कुओं का सर्वे बिजली दिये जाने के निमित्त विभाग ने करवाया है ? अगर हां, तो कुल कितने कितने कुओं का सर्वे कराया गया तथा कृषि उपयोग के वास्ते बिजली कब तक दे दी जावेगी ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल-वैद) : जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री सांवलियाराम : मैंने स्पष्ट पूछा है; प्रश्न किस बात का नहीं उठता ?

श्री चन्दनमल वैद : दोनों का ही।

श्री सांवलियाराम : यह सम्भव नहीं है, क्योंकि भरतपुर जिले के कई गांव ऐसे हैं छोटे छोटे जिनको बिजली दी है; जैसे सिकन्दरा है, बहावड़ है, सीकरवाड़ है, उच्चैन बड़ा कस्बा है। मैं बिजली विभाग वालों के साथ गया हूं और उच्चैन में चालीस कुओं का और रूदावल में चालीस कुओं का सर्वे करके बिजली देने की बात कही थी। तो प्रश्न कैसे नहीं उठता ?

श्री हरिश्चन्द्र : उच्चैन का सर्वे कराने के लिये विद्युत् मण्डल को लिख दिया जावेगा।

श्री सांवलियाराम : इस सम्बन्ध में दुबारा मालूम कर लें। वहां का सर्वे हो चुका है। आपको जानकारी गलत दी गई है।

श्री हरिश्चन्द्र : सर्वे हो गया, तो फिर क्या है ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : फिर उपमंत्री ने कैसे गलत जवाब दिया ? मैं साथ गया हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : सर्वे अगर हुआ है तो ठीक है; नहीं हुआ तो करवा लेंगे।

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : साथ जाने में सर्वे थोड़े ही होता है।

श्री महावीरजी आदि में बिजली

२८५. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

५ हजार व ५ हजार से ज्यादा आबादी वाले कस्बों में बिजली लगाने के नियमानुसार श्री महावीरजी, सूरोठ, मऊ, इब्राहीमपुर व खेड़ा में बिजली कब तक लगा दी जावेगी ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : इन गांवों को बिजली देने की योजना नहीं है।

श्री श्रवणलाल : इसका कारण क्या है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह पंचवर्षीय योजना में नहीं आता है।

श्री श्रवणलाल : तो क्या चौथी में है ?

श्री चन्दनमल वैद : चौथी शुरू होगी तो विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : इनकी आबादी पांच हजार से कम है ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : श्री महावीरजी में पॉवर हाउस चल रहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे यहां बिजली दोगे तो हम पॉवर हाउस को बन्द करके वह ले लेंगे और पॉवर हाउस की बिजली वहां कन्ज्यूम हो जावेगी। वहां दो मील दूर से बिजली जा रही है। वे मांग रहे हैं; फिर क्यों नहीं देते ?

श्री श्रवणलाल : आप पांच हजार की बात कहते हैं; ढाई हजार की आबादी के कस्बों को भी बिजली दी गई है।

श्री हरिश्चन्द्र : दो चीज हैं इसमें। एक सेक्शन लाइन है, एक एक्सचेन्ज अप लाइन है; इनसे एग्रीकल्चर पर्पज के लिये लोड देने का है। आपके आई न समझ में ?

(श्री हरिश्चन्द्र)

अगर पांच हजार का गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची है तो उसके लिये निर्णय लिया है कि तीसरी योजना के अन्त तक वहां पहुंच जावे । अब इसके बीच में एग्रीकल्चर लोड होगी तो ले लेंगे । अगर आपके पास एग्रीकल्चर लोड है, लाइन जा रही है तो बताएं, जरूर दे देंगे ।

अब महावीरजी के बारे में कहा तो जहां तक मुझे मालूम है महावीरजी की लाइन दो मील के फासले पर नहीं है; सात-आठ मील के फासले पर है। अगर फिर भी वे कन्ट्रीब्यूशन करके दें हमें कर्ज के रूप में तो इसे एक्सपीडाइट भी किया जा सकता है कि हम लाइन ले जावें ।

महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी

२६२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) आवश्यक वस्तुओं के निरन्तर बढ़ते हुए भावों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पर्याप्त वृद्धि करने का विचार रखती है ?

(२) क्या सरकार इस प्रश्न पर भविष्य के लिये कोई वेतन आयोग बिठाने का इरादा रखती है ?

(३) क्या मुख्य मन्त्री महोदय ने राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ को अभी हाल ही में यह आश्वासन दिया कि महंगाई भत्ते में १५ रुपये की वृद्धि की जायगी ?

(४) क्या इस वृद्धि में अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश सरकार ने किया है !

(५) इस वृद्धि का लाभ कितने कर्मचारियों को मिलेगा और इसमें अनुमानतः कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

(अल्प विराम के अनन्तर)

कुछ माननीय सदस्य : कौन है मन्त्री ? जवाब दें इसका ।

एक माननीय सदस्य : वित्त मन्त्री दे रहे हैं जवाब ।

वित्त-मन्त्री, (श्री बालकृष्ण कौल) : चश्में में फर्क आ गया है ।

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सरकार ने १-३-६५ से महंगाई भत्ते में वृद्धि इस प्रकार की है । १५०) से नीचे वेतन पर २५) रु०, १५०) से ५४०) वेतन पर ३५) रु०, ५४१) से ५७५) रु०, वेतन पर वेतन और ५७५) का अन्तर ।

(२) वेतन आयोग बैठाने का कोई इरादा नहीं है ।

(३) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

(४) महंगाई भत्ते की वृद्धि का अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, परन्तु जिन पेन्शनर्स को राजस्थान

(श्री रामप्रषाद लड्ढा)

सेवा नियमों के अन्तर्गत २५ रुपया या उससे कम महंगाई मिलाकर पेन्शन मिल रही है उन्हें १-४-६५ से ३०) रुपया पेन्शन मिलेगी।

(५) इस वृद्धि से लगभग १,७५,०००) कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और अनुमानतः व्यय में १ करोड़ २२ लाख की वृद्धि होगी।

(१२ मध्यान्ह)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने इसका अनुमान लगाया है कि राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के भत्ते का समान कर दिया जाये तो सरकार के ऊपर कितना भार पड़ेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार का कोई कैल्कुलेशन नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि राज्य कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता भी वही हो जो कि केन्द्र के अन्य कर्मचारियों को मिलता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया कि दोनों के वेतन और भत्ता समान हों।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस स्टेज पर नहीं समझती और इसीलिए निर्णय नहीं लिया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस खर्चे को मीट करने के लिए कोई मांग की है और इसके औचित्य को माना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने फाइनेन्स कमीशन के सामने इस प्रकार की मांग की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा है कि यह अलग से प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि इस सारे सवाल पर कोई कमेटी या कमीशन बैठाया जाये जो कि राज्य कर्मचारियों के वेतन व महंगाई भत्ते के प्रश्न को हमेशा के लिए हल कर सके ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारे देश के स्वर्गीय श्री जवाहरलालजी नेहरू ने २७ जून, ५८ को जो अखबार में छपा है उसमें लिखा है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में जो अन्तर है उसे तुरन्त समाप्त किया जाये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि सरकार को इसकी जानकारी कराई जाये तो क्या सरकार स्वर्गीय पंडित जवाहरलालजी नेहरू की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके अलावा और भी कई आधार होते हैं जिनके ऊपर ये सारी बातें तय की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

विभिन्न उद्योग तथा फर्मों को कन्ट्रोल का माल

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९५७ से लेकर अब तक उदयपुर जिले के निम्नलिखित व्यक्तियों को कन्ट्रोल के किस किस माल का कब कब किस किस कार्य के लिए और किस किस उद्योग अथवा फर्म के नाम पर कितना कितना कोटा दिया गया ? कृपया विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें :

(१) श्री बसन्तकुमार पुत्र दीनाभाई, निवासी उदयपुर ।

(२) श्री दीनबन्धु श्री मानिकलाल जी वर्मा, उदयपुर ।

(३) श्री चतुर्भुज भाटिया, निवासी नाथद्वारा, जिला उदयपुर।

(४) स्वर्गीय श्री अमृतलाल वैद्य, उदयपुर ।

(२) क्या विभाग की यह मान्यता है कि इस माल का पूर्ण उपयोग हुआ है ? यदि हां, तो किस आधार पर और नहीं तो फिर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) उदयपुर जिले के प्रश्न में दिये हुये व्यक्तियों को सन् ५७ से अब तक उद्योग विभाग द्वारा दिये गये कन्ट्रोल के सामान का ब्यौरा निम्न है :

नाम व्यक्ति व फर्म के साथ सम्बन्ध	नाम फर्म
१. श्री बसन्त कुमार प्रोप्राइटर	उदयपुर इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, उदयपुर
२. श्री दीनबन्धु भागीदार	उदयपुर कोमर्शियल एजेन्सी, उदयपुर
३. श्री चतुर्भुज भाटिया भागीदार	श्री नाथजी मैटल वर्क्स, उदयपुर
४. स्वर्गीय अमृतलाल फर्म में इनकी पत्नि भागीदार है।	दोयन मैटल वर्क्स, उदयपुर

(श्री चन्दनमल वैद)

कार्य	अलॉटमेंट
जिन्क ऑक्साइड बनाने हेतु	१० टन जस्ता
जिन्क ओक्साइड बनाने हेतु–	अक्टूबर ६० से सितम्बर, ६४ तक २३५.८० टन जस्ता
अलोह फाउन्डरी	१७ टन ताम्बा व ६.६४ टन जस्ता तथा १०० किलो टीन
टीन कन्टेनर्स बनाने के लिए	८७.७५ टन टीन प्लेट्स अलॉट हुआ परन्तु केवल १० टन रिलीज किया गया।

(२) हां, उपरोक्त माल का उपयोग सिवाय क्रमांक १ के कुछ हो चुका है व कुछ होने को है। क्रमांक १ को माल अभी तक सरकार से रिलीज़ नहीं किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जो माल अब तक सरकार द्वारा रिलीज किया गया है उसके प्रोडक्शन का स्टेटमेंट्स इन फर्म्स को जो देने चाहिये थे वे दिये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां, डी० आई० ओ० और आई० ओ० प्रोडक्शन रिपोर्ट की जांच करते रहते हैं और यूटीलाइज़ेशन देखते रहते हैं। जब तक पिछले पीरियड का यूटीलाइज़ेशन नहीं हो जाता है अगले पीरियड में माल अलॉट नहीं किया जाता है और यह आई० ओ० और डी० आई० ओ० बराबर देखते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इनके कारखाने कहां कहां हैं, यह सरकार को मालूम है ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां, चारों के कारखाने उदयपुर में ही हैं।

श्री भैरोंसिंह : चारों के कारखाने चालू भी हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार किस आधार पर कहती है कि ये इस समय चालू हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : डी० आई० ओ० की रिपोर्ट पर।

श्री भैरोंसिंह : जो रिपोर्ट आपको मिली है इस रिपोर्ट के ऊपर सरकार ने इतमिनान किया, तो क्या जनता की ओर से सरकार को इसके विपरीत शिकायतें मिली हैं कि ये कारखाने चालू नहीं हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : मेरा ख्याल है कि माननीय मन्त्री महोदय भूल कर रहे हैं। उन्होंने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है कि पहले नम्बर पर जो कारखाना है वह चालू नहीं है और अब कह रहे हैं कि चारों कारखाने चालू हैं।

श्री चन्दनमल वैद : मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनको माल रिलीज़ किया गया है। साथ ही मैंने यह भी कहा है कि पिछली यूटीलाइज़ेशन रिपोर्ट आने पर ही माल रिलीज़ किया जाता है और जिनकी यूटीलाइज़ेशन रिपोर्ट नहीं आई है उनको आगे अलॉट नहीं किया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जब आप माल देंगे ही नहीं, तो कैसे रिलीज करेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : जब माल रिलीज़ ही नहीं हुआ है तो फिर आगे कैसे अलॉट होगा, यही तो मैं भी कह रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : नम्बर १ पर जो नाम है इनका कोई कारखाना नहीं है और न यूटीलाइज़ करते हैं इसलिए इनको माल नहीं दिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इनको १० टन जस्ता अलॉट हुआ था, लेकिन वह रिलीज़ नहीं किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्यों नहीं किया ?

श्री चन्दनमल वैद : क्योंकि डी० आई० ओ० और आई० ओ० से रिपोर्ट नहीं आई।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या ये तीनों कारखाने इन्डस्ट्रियल शेड्स के अन्दर हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : वे इन्डस्ट्रियल शेड्स के अन्दर हैं या बाहर हैं, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं। लेकिन वे उदयपुर में हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इन्डस्ट्रियल स्टेट के जो मकान किराये पर दिये गये हैं क्या इन तीनों इन्डस्ट्रीज़ को दिये गये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो आप कैसे कह सकते हैं......

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद :

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपने कहा कि इनको कोटा नहीं दिया गया, युटीलाइजेशन अकाउन्ट आने पर ही दिया जाता है। इनको अलाट क्यों हुआ, जब युटीलाइजेशन रिपोर्ट नहीं हुई तो अलॉट कैसे हुआ ? दो चीजें साफ हैं; एक तो यह कि युटीलाइज़ेशन रिपोर्ट आये तो अलॉटमेन्ट हो ? अलॉटमेन्ट तो हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि युटीलाइज़ेशन रिपोर्ट नहीं आई इसलिये रिलीज़ नहीं किया। रिलीज क्यों नहीं किया ?

श्री चन्दनमल वैद : अलॉटमेन्ट तो इन्डस्ट्री स्टार्ट करने के साथ ही हो सकता है। कोई दो मशीनें ले आयें और कहें कि हम इसको मैन्युफेक्चर करना चाहते हैं तो उस आधार पर भी अलॉटमेन्ट हो सकता

(श्री चन्दनमल वैद)

है, लेकिन जब वह उत्पादन की क्षमता पर आये तो रिलीज़ होता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि आपने नम्बर १ को अलॉट किया है वह बिना इन्डस्ट्री के ही अलॉट कर दिया ?

श्री चन्दनमल वैद : इन्डस्ट्री लगाने की कितनी मशीन मंगाई, मैं नहीं कह सकता; लेकिन डी०आई०ओ० और आइ.ओ. कि रिपोर्ट है कि रिलीज़ नहीं किया जाये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कारखाने बन जायें और जो उद्योगों के इन्चार्ज हैं वे आपको सिफारिश करें और इनको रॉ मेटीरियल चाहिये तब ही कोटा अलॉट करते हैं। तो जब आपको मालूम ही नहीं है कि कारखाने बने हैं या नहीं, तो आपको सर्टी-फिकेट कैसे भेज दिये कि कारखाने बन गये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : पूर्व सूचना के आधार पर भी अलॉट हो जाता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जब इस तरह के नियम हैं.......

श्री चन्दनमल वैद : कोई नियम नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने नम्बर एक पार्टी को कोटा इसलिये अलॉट नहीं किया क्योंकि इन्होंने सरकार को गलत तरीके से यह बताकर कि हमने कारखाना किया है और यह कहकर मांग लिया था इसीलिये आपने इनको कोटा नहीं दिया।

श्री चन्दनमल वैद : यह कहना गलत है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर में सूती मिल

२५८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर में एक सूती मिल लगाने का प्रावधान तीसरी पंचवर्षीय योजना में है ?

(२) क्या यह सही है कि इस मिल को लगाने का लाइसेंस पहले एक दिल्ली की फर्म को दिया गया था परन्तु निश्चित अवधि में मिल न लगा सकने के कारण यह लाइसेंस कानपुर की फर्म जुग्गीमल कमला-पत को दे दिया गया ? यदि हां, तो कब दिया गया ?

(३) इस लाइसेंस की शर्तें क्या क्या हैं ? कृपया लाइसेंस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) क्या यह सही है कि उक्त मिल के लिए जमीन एक्वायर हो चुकी है लेकिन मिल को लगाने की दिशा में लाइसेंसदार की ओर से कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है ?

(५) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने अलवर जिला राजनैतिक सम्मेलन के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डेपुटेशन को यह आश्वासन दिया था कि इमारत बनाने का काम ६ महीने के अन्दर २ शुरू हो जायेगा ?

(६) सरकार इस कार्य को निश्चित अवधि में पूरा कराने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

१–जी हां।

२–दिल्ली की एक फर्म को अलवर में मिल लगाने के लिये ४-४-६२ को लाइसेंस दिया गया था, उस फर्म ने लाइसेंस को जयपुर में स्थानान्तर के लिये अर्जी दे दी थी। इसी बीच जुग्गीमल कमलावत कानपुर ने, जिन्हें केशौरायपाटन के लिये २१-४-६२ को लाइसेंस मिला था, अलवर के लिये लाइसेंस का ६-६-६३ को स्थानान्तरण करा लिया।

३–मैसर्स जे. कैज, कानपुर के लाइसेंस की प्रतिलिपि मंगवाई गई है जो आने पर संदन को दे दी जायेगी।

४–भूमि अक्वायर नहीं हुई है किन्तु जे० के० मिल के लिये औद्योगिक क्षेत्र (Industrial area) में जमीन दी जा सकती हैं। लाइसेंसदार की ओर से कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। अब उन्होंने इस योजना काल में मिल लगाने में असमर्थता प्रकट की है।

५–जी हां।

६–सरकार ने लाइसेंस का हस्तानान्तरण करने का निश्चय कर लिया है, जिससे राज्य के लिये आवन्टित (अलॉटेड) तकुए (स्पिन्डलस्) का तृतीय योजना का कोटा लैप्स न हो।

वेतन श्रंखलायें

२५६ श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) केन्द्र में मिनिस्टीरियल स्टाफ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्या क्या वेतन श्रृंखला हैं, तथा उसके अनुपात में राजस्थान में इस श्रेणी के कर्मचारियों की क्या क्या वेतन श्रृंखला है ? तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या सरकार कभी इस राज्य की वेतन श्रृंखलाओं को केन्द्र के समान बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(३) केन्द्र में उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता क्या रहा और कब बढ़ाया गया और उसके अनुपात में राजस्थान के कर्मचारियों का कब कब कैसे कैसे बढ़ाया गया ? तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या सरकार यह समझती है कि जयपुर में रह रहे केन्द्रीय कर्मचारियों व राज्य सरकार के कर्मचारियों में अन्तर है ? यदि है, तो किस प्रकार और कितना ? क्या सरकार ने इसका कभी सर्वे कराने की

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

कोशिश की है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट क्या है ? सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या इस तरह का सर्वे कराना सरकार आवश्यक समझती है और यदि है, तो सरकार कब तक करा लेगी ?

(५) केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते में जो अन्तर है सरकार कब तक पूरा कर देना चाहती है ?

उत्तर

१. केन्द्र में मिनिस्टीरियल स्टाफ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला तथा उसके अनुपात में राजस्थान में इसी श्रेणी के कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला की तुलनात्मक सूचि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

२. नहीं ।

३. केन्द्र में उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता क्या रहा और क्या बढ़ाया गया, उसके अनुपात में राजस्थान के कर्मचारियों का कब और कितना बढ़ाया गया उसकी तुलनात्मक सूचि प्रस्तुत है।

४. हां, केन्द्र कर्मचारी भारत सरकार के कर्मचारी होने के नाते उनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार के कर्मचारियों से भिन्न हैं । इस प्रकार का सर्वे का प्रश्न नहीं उठता।

५. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में व राज्य सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में समानता लाने का विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

निगरानी की सुनवाई

२६१. श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

१. क्या पंचायत समिति नोखा (जिला बीकानेर) की दिनांक ४-१०-५९ एवं २८-१०-५९ की बैठकों की कार्यवाही के विरुद्ध राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ की धारा ४०, ६६, ८५ के तहत कोई निगरानी नवम्बर, १९५९ में श्री गंगाराम कोठारी (सरपंच, ग्राम पंचायत बेरासर) व श्री केशूराम घिटाला (सरपंच, ग्राम पंचायत बांधनू) व श्री भैराराम लोल, (सरपंच ग्राम पंचायत देसलसर) तहसील नोखा द्वारा पेश की गई थी ?

२. यदि हां, तो उक्त निगरानी की सुनवाई कब की जावेगी और पिछले साढ़े चारवर्षों में सुनवाई नहीं करने का क्या कारण रहा है ?

उत्तर

१. ऐसी निगरानी विकास विभाग में प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता।

२. प्रश्न पैदा नहीं होता।

कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, भीलवाड़ा

२७६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 32

(श्री योगेन्द्रनाथ हाडा)

(१) सेवा सदन कन्ज्यूमर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी, भीलवाड़ा कब स्थापित हुई ? क्या यह सोसाइटी आज भी कोई कार्य कर रही है ?

(२) इस सोसाइटी ने किन व्यक्तियों को कितना कितना रुपया १९५१-५२ व १९५२-५३ में उधार दिया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) क्या उपरोक्त व्यक्तियों से ऋण वसूल कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या उपरोक्त सोसाइटी को व्यक्तियों को ऋण देने का अधिकार है ?

उत्तर

१. सेवा सदन कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीयन दिनांक ६-२-४९ को हुआ ।

अब यह समिति कोई कार्य नहीं कर रही है ।

२. सोसाइटी ने वर्ष १९५१-५२ एवं ५२-५३ में कोई रुपया उधार नहीं दिया- सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

३. प्रश्न नहीं उठता है ।

४. रजिस्टर्ड उपनियमों के अन्तर्गत समिति द्वारा किसी को भी ऋण देने का अधिकार नहीं है ।

बांदीकुई-सिकन्दरा मार्ग पर पुल निर्माण कार्य

२८०. श्री मुथरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या तहसील बसवा, जिला जयपुर में बांदीकुई-सिकन्दरा मार्ग पर नदी बाणगंगा व नदी सावां पर पुल निर्माण करने के लिए किसी योजना की स्वीकृति हुई है ? यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ हो जावेगा ?

उत्तर

जी हां, तृतीय योजना में । अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

ऊंटों की चराई

२८२. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में ऊंटों की चराई ली जाती है ?

(२) यदि हां, तो उक्त चराई विभाग के द्वारा वसूल की जाती है या ठेकेदार के द्वारा वसूल की जाती है ?

(३) कोटा, झालावाड़ व बून्दी जिले में कुल कितने ठेकेदार किस किस रेंज में कायम हैं और कितनी कितनी रकम ठेके पर वसूल की जाती है ?

(४) क्या ऊंटों की चराई के लिये बूंदी, कोटा में जंगल कायम कर रक्खे हैं ? यदि हां, तो कौनसी रेंज में कहां कहां ऊंटों

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

की चराई की व्यवस्था करके जंगल खोल रक्खे हैं ?

(५) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की गुढा रेंज में बिहारीलाल रेंजर के द्वारा चराई वसूल करने के बाद भी ऊंटों को जंगल से निकाल दिया गया तथा १०) रु० ऊंट के हिसाब से अलग वसूल करने की मांग कर रखी है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) उक्त चराई विभाग द्वारा वसूल की जाती हैं।

(३) चूंकि ऊंटों की चराई विभागीय रूप से वसूल की जाती है इसलिये ठेकेदारों की कायमी का प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी हां। सूची संलग्न है।

(५) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा ऋण

२८३. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अलवर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक अलवर ने सन् १९६४–६५ में ऐसी कितनी को-ऑपरेटिव सोसाइटियों को ऋण दिया है जो कि 'डी' श्रेणी में हैं ?

(२) क्या यह सही है कि गोविन्दगढ़ वृहत् कृषि ऋण दात्री सहकारी समिति लि० गोविन्दगढ़ को न तो पिछले साल १९६३–६४ में कोई ऋण दिया गया था और ना साल १९६४–६५ में कोई ऋण दिया गया ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? इस सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या कितनी है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सोसाइटी ने ६३ नये सदस्य भर्ती करके ५०००) रु० की हिस्सा राशि बढ़ाई और बैंक का सब पुराना कर्जा चुकता कर दिया ?

(४) क्या यह सही है कि इस सोसाइटी ने दिनांक १२-६-१९६३ को अपने ऋण पत्र भिजवा दिये थे ?

(५) क्या यह सही है कि इस सोसाइटी को ऋण देने के लिए पंचायत समिति गोविन्दगढ़ की स्टेन्डिंग कमेटी एवं असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग ने विशेष सिफारिश की थी ?

(६) क्या यह सही है कि इस सोसाइटी को ऋण न देने का कारण कलेक्टर अलवर ने बैंक से पूछा था जिसका उत्तर बैंक ने यह दिया था कि हम अभी 'डी' श्रेणी की सहकारी समितियों को ऋण नहीं दे रहे हैं ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(७) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के निरीक्षक ने इस सोसाइटी को अप-ग्रेड करने की सिफारिश की है ?

(८) क्या यह सही है कि सोसाइटी ने यह शिकायत विभागीय अधिकारियों से की है कि इस सोसाइटी को राजनैतिक विद्वेष के कारण ऋण नहीं दिया गया है ?

उत्तर

(१) अलवर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बेंक, अलवर ने सन् १९६४-६५ में ११ को-ऑपरेटिव सोसाइटियों को ऋण दिये हैं जो 'डी' श्रेणी में हैं। सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(२) जी हां। ऋण न देने का कारण बेंक द्वारा उठाये गये एतराजों की पूर्ति न करना है। इस सोसायटी की वर्तमान सदस्य संख्या २७२ है।

(३) जी नहीं। यह सही नहीं है कि इस सोसायटी ने ६३ सदस्य भर्ती करके ५०००) रु० की हिस्सा-राशि बढ़ाई, बल्कि यह सही है कि समिति में दिनांक १०-१२-५८ से ६-७-६३ तक ७२ नये सदस्य बनाये जिनसे केवल २६८९-५० पैसे हिस्से राशि बढ़ी है। बेंक का पुराना कर्जा दिनांक २७-४-६३ को चुकता कर दिया।

(४) जी नहीं। सोसाइटी ने दिनांक १२-६-६३ को ऋण-पत्र नहीं भिजवाये बल्कि दिनांक २८-६-६३ को ऋण के लिये प्रस्ताव किया और दिनांक ४–७-६३ को प्रार्थ-नापत्र सहायक रजिस्ट्रार, अलवर के कार्यालय में प्रथम बार भिजवाये।

(५) जी हां।

(६) जी हां। यह सही है कि समिति को ऋण देने के कारण कलेक्टर साहब अलवर ने बेंक से पूछा था जिसका उत्तर बेंक ने यह दिया था कि फन्ड्स की कमी होने के कारण 'डी' श्रेणी की सोसाइटी को ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

(७) जी हां, यह सही है कि निरीक्षक ऑडिट ने अपग्रेड करने की सिफारिश की।

(८) जी हां।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(१२.८ म. प.)

राजस्थान–पाक सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा लूटमार इत्यादि विषयक स्थगन–प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : दो स्थगन-प्रस्तावों की सूचना आई है। माननीय सदस्य, श्री मुरलीधर व्यास ने राजस्थान पाक सीमा पर पाक हमलों से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके सम्बन्ध में एक स्थगन–प्रस्ताव की सूचना दी है। माननीय सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, कृष्णकुमार गोयल ने भी राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो पाक सीमा

(श्री अध्यक्ष)

है उस पर कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता है। परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कल एक वक्तव्य दे दें; ताकि स्थिति का स्पष्टीकरण हो सके।

गंगानगर में हड़ताल विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के अन्दर करीब ५-७ दिन पहले एक नोटिस दिया गया था कि वहां पर किसी व्यक्ति ने भूख हड़ताल कर रखी है और उसके बाद में दूसरा नोटिस फिर आया है कि ११ तारीख से आम हड़ताल हो रही है। मैं चाहता हूं कि क्योंकि यह टेक्सटाइल का मसला है, प्रोडक्शन का मसला है और आगे कदम नहीं उठे, इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट को अपना वक्तव्य देना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत भारी नुकसान होने की सम्भावना है। अगर हड़ताल हो जाती है तो बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस सिलसिले में सदन को परिचित करा दें कि वहां पर सरकार क्या कर रही है ?

अन्य स्थगन-प्रस्ताव विषयक

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है……

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! श्रम मंत्रीजी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसका स्टेटमेंट तो तैयार है, लेकिन पूरी जानकारी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, उसके प्रकाश में और (जानकारी) करके जिससे उनको पूरा संतोष हो सके, ऐसा स्टेटमेंट दूंगा।

(१२.१०. म० प०)

आय-व्ययक १९६५-६६ पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद; श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के १९६५-६६ के बजट को वित्त मंत्रीजी ने इस सदन में रखा है, और यह सदन उस पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्रीजी ने बजट रखने के दौरान में सबसे पहले राजस्थान की वित्तीय स्थिति का जिक्र करने का प्रयत्न किया है और उसमें यह बताने का प्रयत्न किया है कि ६४-६५ के वर्ष में राजस्थान किन कठिनाइयों के दोर में से गुजरा और इसका राजस्थान के अन्दर और राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ा। उसके बावजूद भी वित्तमंत्री जी ने यह बताने की कोशिश की है कि इन आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी हमने राजस्थान में विकास के कामों को चालू रखने का

(श्री फूलचन्द जैन)

प्रयत्न किया, और इन सारी हालतों के अन्दर जो माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बजट हमारे सामने रखा है, उस सारे बजट को देखने के बाद एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि उन्होंने राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आय और व्यय का संतुलन करते हुए यह बजट हमारे सामने रखा है।

मैं इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक आर्थिक संकट की इन हालतों के अन्दर वित्त मंत्रीजी ने बजट का संतुलन बना करके और जो बजट पेश किया है वह अच्छी बात है, परन्तु मेरे अपने विचार इस सम्बन्ध में ये हैं कि बजट प्रति वर्ष सदन के अन्दर रखा जाता है और यह सदन उसको पास करता है। इस सम्बन्ध में जो परम्पराएं चली आ रही हैं, मैं उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि बजट हमारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं वे तैयार करें और मोटे तौर पर क्या टैक्स लगाये जायं या क्या टैक्स नहीं लगाये जायं इस बारे में सिर्फ हम अपनी ओर से कुछ निर्णय लें जो घाटा है उसको पूरा करने के लिए और वे बाकी के सारे बजट को तैयार करके सदन में रखें। इस स्थिति में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। बजट को रखने के सम्बन्ध में मैं यह सोचता हूं कि आज हमारे सामने सबसे बड़ा जो आधार होना चाहिए वह यह होना चाहिये कि हम, जो बजट आय-व्यय का आगे आने वाले वर्ष का रखा है उससे समाजवादी समाज कायम करने की दिशा में अपने कदम को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं? इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बजट तैयार करने की जो परम्परा, जो रूढ़ियां चली आ रही हैं उनके अन्दर परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है, तभी हम समाजवादी दिशा की ओर बजट को सही प्रकार से राजस्थान की जनता के सामने रख सकते हैं। इस सम्बन्ध में जब मैं निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विकास के काम, योजनाओं के द्वारा जब हम राजस्थान में करते हैं और इधर अनेक प्रकार के विपरीत हालातों के अन्दर जो आर्थिक कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं तो निश्चित रूप से इन दोनों ही प्रकार की स्थितियों के अन्दर टैक्स भी जनता पर लगाना पड़ता है। टैक्स लगाया जाय या नहीं लगाया जाय इस बारे में विरोधी दलों के माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि आम तौर पर हम टैक्स लगाने की नीति के खिलाफ हैं, परन्तु वे यह नहीं कह सकते हैं कि बिना टैक्स लगाये वे किस प्रकार से आय के साधन बनाने में अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं। मैं तो, खैर, निश्चित रूप से यह मानता हूं कि टैक्स लगाये जाने पड़ते है, इच्छा हो या न हो, परन्तु टैक्स लगाने की जो नीति है उस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है आम जनता की उस पर कितना टैक्स लगाया जाता है, कौन से टैक्स लगाये जाते हैं या वह टैक्स देने के लिए तैयार है या नहीं है, यह किन्हीं के दिमाग के अन्दर एक विवाद का विषय हो सकता है, परन्तु मैं यह

Page No 37

(श्री फूलचन्द जैन)

मानता हूं कि आज जिस प्रकार से एक के बाद एक टैक्स लगाये जाते हैं, और उन टैक्सों के द्वारा उनकी जो वसूली होती है उनसे आम जनता को या दूसरे जो व्यवसायी और दूसरे लोग हैं उनको जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं व उससे जो परेशान हैं, हम को अपनी टैक्स की नीति के अन्दर कुछ इस प्रकार से, मैं समझता हूं, परिवर्तन करना चाहिये कि बहुत बड़ी तादाद के अन्दर और इतने सारे टैक्सेज जिनकी संख्या जो है, गिनने में दिक्कत आती है; न लगाये जाकर और टैक्सेज़ के मामले के अन्दर समाजवादी समाज कायम करने की दृष्टि से हमारा टैक्स लगाने का आधार किस प्रकार का हो और हमारी रेवेन्यू किस प्रकार से टैक्सेज़ के जरिये हम बढ़ा सकते हैं कि जिससे साधारण श्रेणी के, गरीब श्रेणी के लोगों पर कम भार पड़े और जिनकी आमद अधिक हो उनके ऊपर ज्यादा भार पड़े, और वे उन टैक्सेज़ को जो हैं वह कम से कम दिक्कतों और कठिनाइयों के द्वारा हमको दे सकें या हम उनसे वसूल कर सकें, इस प्रकार से टैक्सेज़ लगाने की दृष्टि में एक नया थिंकिंग डेवलप होना चाहिए। मैं यह मानता हूं, यह मेरा विचार है, जो मैं माननीय वित्त मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने इस बार जो टैक्सेज लगाये हैं उनके सम्बन्ध में विरोधी दल के नेता महोदय और विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करने के दौरान में उनमें से कुछ टैक्सेज़ का विरोध किया है। आम तौर पर यह उम्मीद की जा सकती है कि जो टैक्सेज़ हमारे सामने आये हैं कि इसके अन्दर वित्त मंत्री जी ने टैक्सेज़ जरूर लगाये हैं, परन्तु उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि यह टैक्सेज़ जो हैं यह उस जनता के ऊपर न पड़े जो पहले ही भावों की वृद्धि से और आर्थिक-दृष्टि से परेशान है।

मैं इस सम्बन्ध में इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जो मनोरंजन कर लगाया गया है उसके अन्दर जो एक रुपये तक के टिकट पर ४० फी सदी कर बढ़ाया है यानी ४० फीस दी कर लगेगा, मैं समझता हूं जो हमारे यहां के हालात हैं वे वित्त मंत्रीजी से भी छिपे हुए नहीं हैं। आज जो साधारण श्रेणी के लोगों के लिए दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद आमोद-प्रमोद का कोई साधन उपलब्ध है तो निश्चित तौर से मानना पड़ेगा कि वह सिनेमा है और वे लोग दिन दिन भर के परिश्रम के बाद यदि रिक्रिएशन के लिये सिनेमा जाते हैं तो यह अच्छी बात है या बुरी बात है, यह अलग प्रश्न है, लेकिन वे जाते हैं, जाना पड़ता है, क्योंकि जो आदमी मेहनत करता है उसको आमोद-प्रमोद के लिये इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में होना पड़ता है। मैं मानकर चलता हूं कि उन पर यह भार न पड़े तो वाजिब होगा। मैं निवेदन करूंगा वित्त मंत्रीजी इस सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

इसके साथ ही जो दवाइयों पर दो प्रतिशत टैक्स बढ़ाया गया है, वैसे जहां तक मेरी जानकारी है, दूसरे राज्यों में दवाइयों पर जो टैक्सेज़ की दर है उनसे

(श्री फूलचन्द जैन)

हमारे यहां दवाइयों पर जो टैक्स अभी लगा है वह कम है और इस दृष्टि से, मैं समझता हूं, राज्य सरकार ने यह टैक्स बहुत संभव है, बढ़ाया है। परन्तु जैसे हालात हैं उन हालात के अंदर दवाइयों का उपयोग मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये किया जाता है और स्वास्थ्य हमारी राजस्थान की जनता का अच्छा हो, उसके लिए जो हम सुविधाएं उन्हें प्रदान करते हैं उस दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से यदि सोचा जाय तो आज की हालत के अंदर मैं समझता हूं यह टैक्स जो दवाइयों पर बढ़ाया गया है वह नहीं बढ़ाया जाय तो वाजिब होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, ये जो टैक्सेज़ लगाये गये हैं मेरे इन विचारों के साथ इन टैक्सेज़ का समर्थन करता हूं और इस बजट के अंदर जो रियायतें वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में दी हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। परन्तु मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन सुविधाओं का हम स्वागत करते हैं, परन्तु मैं ऐसा मानता हूं कि मनुष्य के जीवन के लिये खाद्यान्न का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे राजस्थान के अंदर जिन हालात की वजह से खाद्यान्न के भाव बढ़े हैं और उसकी वजह से आम जनता को खाने पीने की दृष्टि से जिस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, हमारे वित्त मंत्रीजी, अच्छा होता, यदि खाद्यान्न के ऊपर जो सेल्स टैक्स पहले इस सदन में लगाया गया था उसमें कुछ रियायत देते जिससे खाद्यान्न के जो भाव बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ गये हैं उनसे लोगों को कुछ राहत मिलती। टैक्सेज़ फिर लगाये जा सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और जब टैक्स परिस्थिति के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार लगाये जाते हैं तो परिस्थिति के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार उनमें कुछ कमी भी की जानी चाहिये। इस दृष्टि से, मैं समझता हूं जो हमारे यहां के हालात हैं उनको देखते हुए वित्त मंत्रीजी खाद्यान्न पर बिक्री कर की दरों में जहां जहां भी संभव हो कुछ कमी करने के लिये गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन स्थितियों में जैसा कि मैंने बताया, टैक्सेज़ लगाने की हमारी जो पॉलिसी है उसके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जिससे आम जनता को फायदा पहुंचे और कम से कम उनको दिक्कत आवे और उनको यह लगे कि हमारी जो नीति है वह स्पष्ट तौर पर समाजवादी समाज कायम करने में आगे कदम बढ़ाने वाली है। वित्त मंत्रीजी यदि इस प्रकार गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता टैक्सेज़ को नहीं दे या देने से इन्कार करे ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये और नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, बजट पर मेरे अपने विचार रखते हुए मैं राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हमारी राज्य सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में जो अपने विचार प्रकट किये थे उनका उल्लेख करता हुआ

(श्री फूलचन्द जैन)

कुछ अपने विचार इस सदन में रखना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हमें यह बताया कि राज्य सरकार ने तृतीय योजना के जो लक्ष्य निर्धारित किये थे वे करीब करीब पूरे कर लिये गये हैं अथवा इस योजना के अंत तक पूरे हो जायेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने अभिभाषण में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की ओर से जो महत्वपूर्ण काम किये गये उनका भी उल्लेख किया है। अकाल, जिसके सम्बन्ध में इस सदन के सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से परिचित हैं कि राजस्थान में गत वर्ष किस प्रकार अकाल की भयंकर स्थिति में से गुजरना पड़ा था और राज्य सरकार ने किस सफलता के साथ इसका मुकाबला किया और जैसा कि आप सब को मालूम है यह एक ऐसा कार्य राज्य सरकार द्वारा किया गया था कि जिसके अंदर, जहां तक हो सके, अकाल पीड़ित क्षेत्र के प्रत्येक जन साधारण को राहत पहुंचाई जा सके इस बारे में उन्होंने अपने प्रयत्नों में कोई कमी और कसर नहीं रखी।

साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, खाद्य की स्थिति के संबंध में और विद्युत् का जो संकट हमारे यहां राजस्थान में आया था उस संकट को दूर करने की दिशा में जो प्रयत्न विद्युत् विभाग और विद्युत् मंत्री जी की ओर से किया गया है वह हमारे सामने है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारी सरकार की ओर से बहुत बड़े प्रशंसनीय कार्य किये गये हैं और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये योजना का जो लक्ष्य बनाया गया था हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो यहां बताये हैं वे करीब करीब पूरे कर लिये गये हैं अथवा इस वर्ष पूरे कर लिये जायेंगे यह बड़ी खुशी की बात है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने आज जो समस्या है वह कुछ ऐसी है कि जिस पर मैं समझता हूं हमारे लिये विचार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तृतीय पंच वर्षीय योजना के जरिये हमारे राजस्थान का विकास हुआ, बहुत बड़े बड़े काम विकास के हमारे राजस्थान में हुए उसके बावजूद भी आज जैसा कि एक जन साधारण को खाने के लिये खाद्यान्न, पहनने के लिए कपड़ा, स्वास्थ्य उसका ठीक रहे उस दृष्टि से दवा का, शिक्षा का और इसी प्रकार की जो आवश्यक जन-उपयोगी वस्तुएं हैं वे कम से कम उनको उपलब्ध हों ऐसी स्थिति में आज भी हम नहीं पहुंच पाये। स्वाभाविक है कि अभी और समय इसमें लगेगा जब हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे और आम जनता को उन्हें मुहैया कर सकेंगे, परन्तु इस बीच में जो इस दिशा में हमारा यह कदम बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में भी विचार करना चाहिये वे सही दिशा में, सही प्रकार से बढ़ाये जा रहे हैं अथवा नहीं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इन विचारों को रखते समय यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आम जनता में यह बात नहीं है कि उनको यह मालूम न हो कि विकास का काम उनके यहां नहीं हुआ है अथवा नहीं हो रहा है।

(श्री फूलचन्द जैन)

उनको यह भी मालूम है कि पिछले सत्रह वर्षों के अन्दर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किस प्रकार से गांवों के विकास के लिए और कस्बों के विकास के लिए काम किया है और आज भी कर रही है। परन्तु उनके सामने जो आज परेशानी है, वह परेशानी इस बात की है कि उन सारे विकास कामों के अन्दर भी इस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं जिनकी वजह से उनके दिलों में चोट पहुंचती है और वे इस बात को कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की गड़बड़ियां इन विकास के कामों के माध्यम से नहीं की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट बात है कि आज जहां एक ओर आम तौर पर मैं देखता हूं कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य विशेष रूप से कहते हैं कि राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता ज्यादा दिया जाय, उनको यह सहूलियत दी जाय, उनको वह सहूलियत दी जाय, उनको इस प्रकार की परेशानी है, लेकिन राज्य सरकार उन पर विचार नहीं करती है और उनके लिए इन इन चीजों को पूरा नहीं किया गया तो वे लोग हड़ताल कर देंगे। इसी प्रकार आप उत्पादन के क्षेत्र में लगे हुए और उद्योगों के अन्दर काम करने वाले मजदूरों को उनकी यूनियन के माध्यम से यह बताते हैं कि उनकी ये ये मांगें पूरी नहीं की गई हैं, उनको मंहगाई भत्ता नहीं दिया गया है, उनको फलां फलां सुविधा देने की ओर ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए वह हड़ताल कर दें। आप यह भी कहते हैं कि यह सरकार निकम्मी है और समाजवादी समाज व्यवस्था करने की सिर्फ बात करती है और उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं देती। इस प्रकार की बातें आम तौर पर कही जाती हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अब तो आप स्वयं भी कहने लगे हैं।

श्री फूलचन्द जैन : आप सुन लीजिये। मैं अभी आपको बताता हूं।

जहां तक राज्य कर्मचारियों का प्रश्न है–चाहे वे श्रमिक वर्ग के हों, उनकी अगर कोई दिक्कतें हैं तो उनकी उन दिक्कतों की ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस विधान सभा के हर माननीय सदस्य को भी उन सारी दिक्कतों की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए। परन्तु मैं यह देखता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस सबके पीछे जो एक रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए उस दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव नजर आता है। वह किस प्रकार से है? वह दो प्रकार से है–वह मैं माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं। एक तो यह, अध्यक्ष महोदय, यह किसी माननीय सदस्य को बुरा लग सकता है पर मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि जब राज्य कर्मचारियों की यहां वकालत की जाती है उस वकालत से उनको फायदा पहुंचे या नहीं पहुंचे। हो सकता है यह भावना उनके दिल में नहीं हो पर इस प्रकार की भावना उनके दिल में हो सकती है कि वह बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए सदन में कितने लड़ते हैं, कितनी वकालत करते हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसीलिए तो आये हैं ।

श्री फूलचन्द जैन : अभी बता रहा हूं, आप किसलिए आये हैं । आप सुनिये ।

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, यहां पर राज्य कर्मचारियों की, चाहे वह उच्च वर्ग के आफिसर हों या चाहे दूसरे लोग हों- उनकी जोर शोर से आलोचनायें की जाती हैं और साथ ही साथ यहां पर उनकी वकालत भी की जाती है । तो, अध्यक्ष महोदय, इन लोगों की यूनियनों के फंक्शनों के अन्दर भी उनकी वकालत की जाती है । तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे श्रमिक वर्ग हो, चाहे राज्य कर्मचारी हों,उन सबकी जब आप लीडरशिप लेकर यहां पर उनकी वकालत करने की बात करते हैं और माननीय सदस्य कहते हैं कि हम इसलिये यहां आये हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसलिए यहां आये हैं तो यह स्वागत करने की बात है पर आप अगर उनके नेता बनना चाहते हैं तो आप इसलिये भी आये हैं कि वह एफिशियेंसी से काम करें, वह अपने कर्त्तव्य को अच्छी तरह से निभायें। राज्य सरकार उनको जो तनख्वाह देती है और जनता से टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा करके पैसा देती हैं वह इसलिए देती है कि जनता को उनसे फायदा मिले,जनता को उनसे लाभ मिले और राज्य की व्यवस्था अच्छी तरह से चले। लेकिन आप इस सम्बन्ध में उनसे कहने के लिए तैयार नहीं हैं।आप उनको यह कहने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम आपकी तनख्वाह बढ़ायेंगे लेकिन आपकी जो यूनियन है वह देश के अन्दर प्रोडक्शन बढ़ाने का कार्यक्रम बनाये और प्रशासन के अन्दर किस तरह एफीशियेन्सी लाई जाय, इसका कार्यक्रम बनाये । लेकिन आप इसके लिये यहां नहीं आये हैं। आप तो इसलिये आये हैं कि उनकी यहां पर वकालत करें और उन लोगों का कान्फीडेंस गैन करें और अपने काम करायें । देश के हित और लोगों के हित को सामने रख कर यदि आप कन्विन्स करना चाहते हैं तो इनके हितों को उनके सामने रख कर आप कहते । आप बताइये कि आपने जो भाषण अब तक उन लोगों के सामने दिये हैं उनमें कभी भी आपने इस बात को कहा है ? हमेशा यही बात करते हैं कि यह चीज नहीं होती, वह चीज नहीं होती । मैं कहना चहाता हूं कि जनता यह कहती है, आम लोग यह कहते हैं कि जो एल. डी.सी. यू.डी.सी. हैं, ऑफिसर हैं और दूसरी श्रेणी के लोग हैं वे रिश्वत खाते हैं और काम नहीं करते हैं । दफ्तरों में बैठे मक्खियां मारते रहते हैं और आम जनता के दुःख-दर्द की बात नहीं सोचते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप उनके नेता बन कर आये हैं, कभी आपने ऐसे लोगों को हटाने की बात की है...

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस विधान सभा में कई बार उनको हटाने की बात की है ।

श्री फूलचन्द जैन : आप उनको हटाने की बात नहीं कह सकते। आप कहते हैं तो सरकार को हटाने की बात कहते हैं । मैं कहता हूं कि जब आप इस सदन के अन्दर उनकी मंहगाई भत्ते को बढ़वाने के लिए भाषण करते हैं और दूसरी सुविधाओं की बात करते हैं, तो जब आप उनके सामने

(श्री फूलचन्द जैन)

भाषण करते हैं तो वहां यह क्यों नहीं कहते, उनकी एक्टीविटीज़ की बात उनकी यूनियनों के सामने क्यों नहीं कहते हैं ? आपको यह कहना चाहिए कि जो लोग ऐसे हैं उनको हटा देना चाहिए । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हम उन लोगों की वकालत करना चाहते हैं जो सच्चे और ईमानदार हैं और जो अपने कर्त्तव्य को ठीक तरह से निभाते हैं । मैं व्यक्तिगत दृष्टि से किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपका एक रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, पर उस रचनात्मक दृष्टि-कोण का अभी तक आप में अभाव है और उसका अभाव होने का खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। मैं विधान सभा के विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से खास तौर से इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि वे उनको भड़काने की कोशिश करते हैं । मैं कहता हूं कि महरबानी करके उनको भड़काइये, उनको और भड़काइये और जो उनके अन्दर जोश और सक्रियता आ सकती है वह लाइये । लेकिन साथ ही साथ उनके अन्दर कार्यकुशलता आनी चाहिए और कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा और कार्यक्षमता भी आनी चाहिए । इसके लिए भी आप उतना ही काम करिये । हमारा अपना जो दृष्टि-कोण है, जो हमारा ढंग है, वह भले ही कैसा हो लेकिन जो हमारा कर्त्तव्य है और जो हमें करना चाहिए वह हम करते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जन-अभियोग निराकरण समिति, विजिलेंस कमीशन और एन्टी-करप्शन कमेटी बना रखी हैं । ये तीन तो मुझे मालूम हैं लेकिन इनके अलावा भी कितने ही छोटे-मोटे और कमीशन वगैरह बना रखे हैं । मोटे तौर पर ये समझ में आते हैं कि राज्य सरकार ने इन्हें बना रखा है । अध्यक्ष महोदय, मैंने जन-अभियोग निराकरण समिति की जो रिपोर्ट हमें दी गई उसको पढ़ा । इसके साथ ही विजिलेंस कमीशन ने जो काम किया है उसकी जो प्रगति हुई है उसको भी मैंने देखा है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से भी कि राज्य सरकार चाहे जन-अभियोग निराकरण समिति बनाये, चाहे विजिलेंस कमीशन बनाये और चाहे एन्टी-करप्शन कमेटी बनाये, हमें इससे कोई मतलब नहीं है । वह किस प्रकार से काम करना चाहती है, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है । हमारा मतलब तो इससे है कि यह जो बुराई है इसको आप खत्म करना चाहते हैं तो वह किस मुस्तैदी के साथ में खत्म करते हैं । लेकिन हमको आज यह यकीन नहीं होता है कि यह जो जन-अभियोग निरा-करण समिति है, और दूसरा जो विजिलेंस कमीशन है, इनके माध्यम से आप बुराइयों को खत्म कर सकते हैं, हमारी आस्था इन कमीशन और कमेटी में कायम नहीं रह सकी है । मैंने जन-अभियोग निराकरण समिति का जो विवरण है उसको देखा है । उसमें लिखा गया है कि जो हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुईं पिछले एक साल के अन्दर उन शिकायतों के अन्दर जनता की शिकायतें कम हैं और राज्य कर्मचारियों की शिकायतें अधिक हैं । हमने साथ साथ उस रिपोर्ट को

(श्री फूलचन्द जैन)

गौर से देखने का प्रयास किया है और देखने से आश्चर्य होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जनता की शिकायतें कम हैं बनिस्बत राज्य कर्मचारियों के। आश्चर्य की बात है, यदि जन-अभियोग निराकरण समिति इस कन्क्लूज़न पर पहुंचती है कि जनता की शिकायतें कम हैं इसलिए कम पहुँची हैं। मैं कहता हूं कि जो लोग इस प्रकार के कन्क्लूज़न पर पहुंच कर रिपोर्ट में ऐसे शब्द लिखने वाले हैं तो मैं समझता हूं कि उनके पास शिकायतें न पहुंचें तो अच्छा है। वे कहते हैं कि जनता की शिकायतें नहीं हैं इसलिए नहीं पहुंची हैं। मैं कहता हूं कि जनता की शिकायतें तो हैं परन्तु जनता को विश्वास नहीं है कि जन-अभियोग निराकरण समिति उनकी शिकायतों को दूर कर सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जनता के अन्दर इस बात की आस्था पैदा करने के लिए आपको प्रचार करना चाहिए कि यह जन-अभियोग निराकरण समिति के सामने जनता अपनी दिक्कतें रखेगी तो उसको राहत पहुंचेगी। यह स्थिति जब तक आप पैदा नहीं करते हैं तब तक हम कोई समिति बना दें और यह उम्मीद करें कि शिकायतें आ जायं और नहीं आयें तो यह कहें कि जनता की शिकायतें नहीं हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। जब इस दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं तो हम समझते हैं कि वास्तविकता हमारे सामने नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, हमारी जो स्थिति है वह यह है कि हम कानून बनाते हैं-इस सदन में विरोधी पक्ष में बैठने वाले सदस्य और इधर बैठने वाले सदस्य कानून बनाने के बाद यह समझते हैं कि यह कानून बन गया, उसके बाद यह लागू हो गया और फिर जनता अपने आप उस पर अमल करने लग जायगी और उसके अन्दर हम सोशियल रिवोल्यूशन और इकोनोमिक रिवोल्यूशन के कानून बनाते हैं, ऐसे कानून जिनको जन-साधारण समझ नहीं पाता और उसका असर जन-साधारण पर पड़ता है। माननीय अध्यक्ष, हमारा भी यह कर्तव्य है, कि जो हम कानून बनाते हैं और हम इस बात को कहते हैं कि हम एक लाख जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने हमको चुन कर भेजा है और उनके अच्छाई और भलाई के लिए यहां पर कानून बनाते हैं, उनको समझाएं, क्योंकि उनको समझाने के लिए हमने ठेकेदारी ली है; इस दृष्टि से हम इस बात को महसूस नहीं करते हैं कि हम उनको समझावेंगे कि यह कानून बन गया है। इस पर इस तरह से अमल करना चाहिये। मगर हम यह करते हैं कि यह कानून इस तरह से बन गया है, इसको इस तरह से खत्म कर सकते हैं। अगर कोई वकील है तो इस तरह से समझावेगा और अगर कोई राजनैतिक व्यक्ति है तो वह राजनैतिक दृष्टिकोण से उसको समझावेगा। इस तरह से वह कानून बनता है और कुछ समय बाद टूटता है। यह हम और आप देखते जाते हैं। उसमें रद्दो-बदल होते जाते हैं। इस तरह करके हम लोक तन्त्र को मजबूत बनाने की बातें करते हैं और समाजवादी समाज की बातें करते हैं तो हमें फिर इस पर विचार करना होगा।

(श्री फूलचन्द जैन)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं, राज्य सरकार ने विकास के बारे जो कार्य किया है, निवेदन करूंगा कि जो कार्य अब तक उन्होंने किया है वह स्वागत के योग्य है लेकिन इससे जो आम जनता को लाभ महसूस होना चाहिये उसको महसूस कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं और जिससे आम जनता को तकलीफ हो रही है उनके लिए क्रांतिकारी कदम उठाना होगा। इसलिए सेल्फ-सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों को संतोष दिलाना चाहते हैं कि हम मंजूर कर लें कि जो कुछ हुआ उससे संतोष है। हम यह कह कर चलते हैं कि आपको जनता को समझा कर जनता में आस्ता और विश्वास लाकर जो बुराइयां हैं उनको खत्म करेंगे तो बुराइयां खत्म होगी, अन्यथा नहीं।

(श्री मानसिंह महार के बोलने के लिए खड़े होने पर)

मैं तो अभी बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी अपना भाषण समाप्त करें।

श्री फूलचन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान हमारे यहां राष्ट्रीयकरण की जो नीति बनी उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी राष्ट्रीयकरण की जो नीति बनी उसके आधार पर हमने राष्ट्रीयकरण किया और उसको किस प्रकार से किया जावेगा उसके लिए आधार भी बनाये और नियम भी बनाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाया कि इस रोडवेज़ की ओर से हमको जो किताब दी गई है उसके अन्दर जब हम देखते हैं तो मैं देखता हूं कि अब तक बीकानेर डिवीजन और उदयपुर डिवीजन है वहां पर राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि ये बीकानेर डिवीजन और उदयपुर डिवीजन राष्ट्रीयकरण के काबिल नही हैं जिससे कि वहां का राष्ट्रीयकरण किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में भी यह प्रश्न उठाया था कि आपने इस बात को आधार माना है कि हर डिवीजनल हैड क्वार्टर को इससे लिंक करेंगे। जब आपने इसको माना है तो फिर आपने बीकानेर और उदयपुर का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया? मैंने इस बारे में प्रश्न भी उठाया। मेरी समझ में नहीं आता कि जब वहां पर अच्छी रोड्स बनी हुई हैं और वहां पर पांच-पांच और ६-६ बसें रोजाना चलती हैं, डिवीजनल हैड क्वार्टर है मगर फिर भी उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता है? मैं नहीं कह सकता कि इसके पीछे क्या राज है। परन्तु मैं महसूस करता हूं और वह यह करता हूं कि इस मार्ग में जिन लोगों की बसें चलती हैं चाहे बीकानेर में चलती हों चाहे बीच में टुकड़ों पर चलती हों, उसमें वेस्टेड लोगों का इन्ट्रेस्ट है और उसमें राज्य कर्मचारियों का भी वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है और यही कारण है कि वे लोग इसको राष्ट्रीयकरण नहीं करने देते हैं। अगर हम अपनी नीतियों को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो भी दूसरे लोग हमें अपनी नीतियों को कार्यान्वित नहीं करने

(श्री फूलचन्द जैन)

देते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिये ।

इसके साथ साथ मैं अकाल की समस्या के बारे में भी कुछ निवेदन करूंगा । अकाल के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने काफी अच्छा काम किया है । सरकार ने चार करोड़ रुपया खर्च किया और इससे बहुत से लोगों को राहत मिली । मगर मैं यह कहूंगा कि आप हमसे यह चाहते हैं कि हम इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करें, हम से आप प्रशंसा करा लीजिए पर हम यह कहते हैं कि हम प्रशंसा करते हैं तो हमारा यह फर्ज है कि हम इस बात को भी अच्छी तरह से देखें कि आया जो रुपया खर्च हुआ है उसका पूर्णतया उपयोग हुआ है या नहीं । मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि आपने अकाल पीड़ितों को सहायता देने के लिए छोटी छोटी रोड्स को लिंक करने के लिए काम किया । उसमें कहीं पर पत्थर डाले गए तो कहीं पर अर्थ वर्क हुआ और वर्षा हो गई और इस कारण से वे सब कार्य अधूरे रह गए और बन्द हो गए । अगर इन सड़कों को वैसे ही छोड़ दिया जाता है तो वह रुपया जो उन सड़कों पर सरकार की तरफ से लगाया गया वह यों ही बर्बाद हो जाता है । तो हम यह समझते हैं कि फेमिन में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कार्य चालू किए गए थे उससे लोगों को एम्पलॉय-मेंट तो मिल गया लेकिन डेवलपमेंट का काम जो शुरू किया गया था उसको ध्यान में नहीं रखा । यह ठीक नहीं है । इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि जहां जहां भी फेमिन में सड़कें बनाई गईं उनको पूरी करने की दृष्टि से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

अब मैं खाद्यान्नों की स्थिति के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, पहले भी जब जब खाद्यान्नों की स्थिति पर बहस हुई मैंने स्पष्ट तौर से अपने विचार उस पर रखे हैं । मैं यह कहूंगा कि खाद्य समस्या के बारे में जिस दृष्टि से काम कर रहे हैं उस दृष्टि से राज्य सरकार हल नहीं कर पाएगी । मैं आज भी यह समझता हूं कि खाद्यान्नों की समस्या गंभीर है । यह हो सकता है कि राज्य सरकारों के प्रयत्नों से या और किन्हीं कारणों से अनाजों के दाम धीरे धीरे गिरने शुरू हो गए हैं मगर इससे समस्या का हल नहीं निकलने वाला है और इससे समस्या का हल हुआ नहीं माना जा सकता है । यह भाव किसी भी समय बढ़ सकते हैं । इससे गिरावट हम नहीं मान सकते हैं । हमें यह देखना है कि जिस नीति से हम खाद्य की समस्या को हल करना चाहते हैं वह हल हो सकती है या नहीं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य समस्या को हल करने की दृष्टि से इस विभाग को जितना गंभीरता से विचार करना चाहिए इस समस्या को हल करने के लिए, जिसके लिए समय समय पर मुनासिब एक्शन लेने चाहिए, जो कार्य करना चाहिए, वह इस विभाग ने करने की कोशिश बहुत कम की है । जब जब यह समस्या उनके सामने रखी गई तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही जैसा कि वे कहते हैं कि यह मसला इतना बड़ा

(श्री फूलचन्द जैन)

मसला है कि इसका केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय खाद्य मंत्री जी से भी हमने विचार-विमर्श किया था। मैं यह कह सकता हूं कि खाद्य का मसला कुछ हद तक केन्द्र से और राज्य सरकारों से सम्बन्धित है पर फिर भी राजस्थान सरकार जो फूड ग्रेन्स उसे अवेलेबल हैं, उनसे यहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रॉपर डिस्ट्रिब्यूशन का काम कर सकती है, उसमें केन्द्रीय सरकार कहीं बीच में नहीं आती।

हम यह कहना चाहते हैं कि खाद्य मंत्री जी ने इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान में यह बताया था कि योजना से पूर्व २८-२९ लाख टन के लगभग खाद्यान्नों का हमारे यहां उत्पादन होता था। उसके बाद योजना शुरू करने से बढ़ते बढ़ते ५७-५८ लाख टन तक यह उत्पादन बढ़ गया। इस प्रकार आंकड़ों से प्रोडक्शन बढ़ा हुआ बताया हमें खुशी हुई। आंकड़ों से बढ़ा है पर खाने को नहीं मिलता, यह हमारी समझ में नहीं आता। खाने को क्यों नहीं मिलता? मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं; समयाभाव से खाद्य की व्यवस्था, व नीति के सम्बन्ध में इस समय प्रकाश नहीं डाल सकता पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को इस तरीके से लाया जा रहा है, जिससे हमें महसूस नहीं हो रहा है कि खाद्य मंत्री जी इस प्रश्न को उतना ही गंभीर लेते हैं जितनी गंभीर यह समस्या है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्व का प्रश्न है, जिस पर उनके खाद्य विभाग का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए और पार्टी रिप्रेजेन्टेटिव्ज की एडवाइजरी बॉडी बना कर उनसे कन्सल्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने की पॉलिसी को एडॉप्ट करना चाहिए और सबका सहयोग लेकर कार्य करना चाहिए। अन्यथा मैं अन्य किसी अवसर पर बताऊंगा कि खाद्य समस्या कहां जाने वाली है?

यही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा!

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले वित्त मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस बार सदन की व व्यापारियों की बात मान कर सुबह के समय इस बजट को पेश किया। बजट जो भी प्रस्तुत किया, जैसा किया, यदि यह वैसा ही होता तो और स्वागत होता, पर दुख की बात है कि यह बजट घाटे का बताया गया। मेरे ख्याल से ११ करोड़ का सरप्लस का बजट है। ध्यान से देखा जाय तो भू-राजस्व में ९ करोड़ ४० लाख की इन्कम एस्टीमेट की गई है, उसमें ६२-६३ में ९४१.०८ की थी तो इस वर्ष कम होने की उम्मीद नहीं। इसके अलावा ५ करोड़ की ऐसी बकायात हैं जो पुराने सालों की है जिनकी वसूली होनी है। मान लिया जाय अगर १० पर्सेन्ट, २०-

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

पर्सेन्ट या ३० पर्सेन्ट भी वसूली हो तो एक करोड़ रुपये भी वसूली होगी। इस तरह भू-राजस्व में आपने जो आमदनी बताई है वह एक-दो करोड़ कम बताई है।

इसके बाद सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मेडिसिन्स एण्ड टॉयलेट प्रिपेरेशन्स यानी सुल्फा व अफीम आदि संयुक्त भेषजीय तथा प्रसाधन सामग्रियों पर कर, इस हैड के नीचे कम आमदनी बताई है। ६४-६५ में १७० हजार रुपया इस हैड के नीचे आमदनी बताई है पर ६५-६६ में एस्टीमेट करते हैं उसमें ७० हजार की आमदनी बताई है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह कम आमदनी इस हैड के नीचे बताई गई है। दवाइयां बन्द नहीं हुई हैं, प्रसाधन सामग्रियां बनाना बन्द नहीं हुआ है फिर भी इस सामग्री को कम किस प्रकार बताया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आया।

इसी प्रकार गत वर्ष भारत सरकार से मिलने वाली आमदनी तीन चार करोड़ की कम आमदनी बताई गई थी, इस वर्ष भी कम से कम चार करोड़ की कम आमदनी बताई गई है। इसी प्रकार एस्टेट ड्यूटी वगैरह में भी आमदनी को कम आंका है।

यदि बकायात की वसूली को सख्ती से वसूल किया जाय तो राजस्व की ५ करोड़ और १० करोड़ और बकायात हैं उनमें से काफी वसूल हो सकती हैं। उस हालत में घाटे का सवाल ही नहीं। नये टैक्सों के लगाने की आवश्यकता ही नहीं, काफी बचत हो सकती है।

यही नहीं कि केवल आमदनी में ही घोटाला किया है, खर्च में भी घोटाला किया है। गत वर्ष के मुकाबले में ११ करोड़ का खर्चा इस वर्ष अधिक बताया गया है। दस लाख, २० लाख या एक-दो करोड़ का अधिक खर्चा तो फिर भी समझ में आ सकता है, पर राजस्व एक्स्पेन्डीचर में ११ करोड़ का खर्चा ज्यादा बताया गया है।

केपिटल एक्स्पेन्डीचर में राजस्थान केनाल पर ४।।। करोड़ का खर्चा बताया गया है। इसे भारत सरकार ने ले लिया है और इस पर भारत सरकार ने ६ करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा है। यदि इस ४।।। करोड़ के खर्च को खर्च के मद से निकाल दिया जाय तो घाटे का तो सवाल ही नहीं कई करोड़ रुपयों की हमें बचत हो जाती है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): वह तो उसमें वापिस बता दिया जायगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सबसे मजेदार बात यह है कि सेल्स टैक्स और एक्साइज टैक्स को अलग किया है, यह बात जरूर है कि अलग करने से एफिशियेन्सी बढ़ेगी पर इससे खर्चा कितना अधिक बढ़ा दिया गया है। सेल्स टैक्स पर २१६७ हजार खर्चा था उसे बढ़ाकर ४०३६ हजार कर दिया और एक्साइज डिपार्टमेंट पर ८५ लाख से बढ़ा कर ६५ लाख कर दिया। इस तरह सिर्फ २ डिपार्टमेंट्स पर २१ लाख ५ हजार रुपया

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

बढ़ाया है। नवीन व्यय में ९० लाख और बढ़ाया गया हैं, एक्साइज़ और सेल्स टैक्स पर २·२१ लाख और बढ़ाया गया है। यह सब मिला कर १ करोड़ ३० लाख और बढ़ाया गया है जो २६ परसेंट इस डिपार्टमेंट के कुल खर्चे का आता है।

इसी प्रकार पुलिस पर भी ५० लाख का खर्चा बढ़ा दिया है। यों बढ़ाने के लिये सब जगह गुंजाइश है। हम सब राजस्थान को बहुत जल्दी आबाद करना चाहते हैं। हर जगह एअर कन्डीशन्ड मकान बना दिये जायं तो बहुत अच्छा है पर जितनी हमारी शक्ति है उसी माफिक करना चाहिये, 'तेते पांव पसारिये जेती लाम्बी सौर'। तो राजस्थान की आज यह स्थिति नहीं है कि अनाप-शनाप खर्चा बढ़ा कर राजस्थान की खराब वित्तीय स्थिति को और खराब किया जाय।

ये तो ऐसे आंकड़े हैं जिन पर जानबूझ कर खर्चा बढ़ाया गया है पर इसके अलावा अन्य कई मद ऐसे हैं जिनमें ऐतिहात से काम किया जाय तो हमें कितनी ही बचत होती है। ३१-३-६३ को राज्य का २९ लाख रुपया ऐसा था जो मिसएप्रोप्रियेशन, गबन आदि के केसेज़ में फंसा हुआ था, ये केसेज़ चल रहे हैं। इन केसेज़ को निबटा दिया जाय तो यह रुपया वसूल किया जा सकता है, पर इसे वसूल नहीं किया गया। ३१-३-६३ को जो २९ लाख रुपया ऐसे केसेज का है ये केसेज़ ५७ से चले आ रहे हैं। इन केसेज़ को जल्दी से निबटा दिया जाय तो २९ लाख रुपये की रकम वसूल हो सकती है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : १९६३ का ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ३१-३-६३ तक २९ लाख रुपया ऐसे केसेज का है। मैं पूरी रकम बताऊं २९,५२,४४८ रु० गबन, मिसएप्रोप्रियेशन आदि केसेज में ५७ से चले आ रहे हैं। उसके बाद ३१-३-६४ तक के होंगे। ३१-३-६५ आने वाला है उसके होंगे। यह रुपया तो बकाया है। ही इनके अलावा इन केसेज पर खर्चा हो रहा है वह भी इस रकम को जल्दी वसूल करने से बचता है। सरकारी अफसर जिन पर इस प्रकार की कार्यवाहियां चलती हैं उनको पेशियों पर जाना पड़ता है।

श्री बालकृष्ण कौल : क्या ये केसेज़ कोर्ट में पेंडिंग हैं ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप ही बताइये कहां हैं ? आपके केसेज हैं, आपको पता होना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : टोटल इतना अमाउन्ट इन केसेज़ में इन्वॉल्व्ड है। इनमें से कुछ केसेज़ कोर्ट में हैं। कुछ एन्क्वायरीज़ में चल रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य जानते हैं, यह विरासत में आया है। इसलिये देर लग रही है फैसला होने में।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपकी ही विरासत से आपकी विरासत में यह रकम आई है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आपने यह असेस कहां से किया ? केस चल रहे हैं, रुपया जमा भी हुआ है ?

(१.०० म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ३१–३–६३ तक के ये आंकड़े ऑडिट रिपोर्ट में दिये हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की परम्परा के अनुसार डाइरेक्ट बात न की जाय।

यह जो मैंने आंकड़ा बताया है वह ऑडिट रिपोर्ट १९६४ से बताया है । उसमें ३१–३–६३ को २९,५२,००,०००) रु० बाकी दिखाया गया है जो सरकार प्रयत्न करके वसूल कर सकती है । इसके अलावा ९,४२,००,०००) रु० का आपके पास कोई हिसाब नहीं जो पंचायत समितियों को आपने लोन दे रखा है ।

प्रांत के अन्दर आपने इंडस्ट्रियल सर्वे कराया उस पर १६ लाख रुपये खर्च किया; उसका क्या उपयोग हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं । सोडियम सल्फेट पर लाखों रुपए आपने खर्च किया । क्या आमदनी की ? उसमें १४ लाख रुपए सालाना लॉस हो रहा है । यदि आप कारखाने को चालू करें तो आमदनी हो सकती है । ऐसे भी केसेज़ हैं जहां टेन्डर एक्सेप्ट करने में देरी के कारण, सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ । मैं यह सब बता रहा था कि किस प्रकार खर्चे को मिनिमाइज़ करके किस प्रकार बजट सरप्लस हो सकता है । टैक्सेज़ वास्तव में लगाने ही हैं तो कौनसी लगानी चाहिए, जिससे राजस्थान के अन्दर इंडस्ट्री समाप्त हो जाय, क्या ऐसे टैक्सेज़ लगाने चाहिए जिससे राजस्थान का व्यापार समाप्त हो जाय ? हमारी सरकार कहती है कि हमने वाइन्स और स्प्रिट पर टैक्स लगाया इससे हमको १३ लाख का नुकसान हुआ, हमारी आमदनी ४७ लाख की होने वाली थी लेकिन क्योंकि वाइन्स और स्प्रिट पर टैक्स लगा दिया इसलिए हमारी आमदनी ३३ लाख रह गई क्योंकि हमारा शराब बाहर जाना बंद हो गया, यह आपकी रिपोर्ट कहती है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (वित्त-मंत्री से) : चार्टर्ड अकाउंटेन्ट हैं, आप जैसे मिडल पास नहीं हैं ।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : "Wines and Spirits-Levy of sales tax has affected the sales and movement of Indian made foreign liquor outside Rajasthan. Hence decreased."

और हिंदी में लिखा है-"द्राक्षिराएं तथा प्रासवः—बिक्री कर के आरोपण ने स्थानीय बिक्री और भारत में निर्मित विदेशी मदिराओं को राजस्थान से बाहर लाने, ले जाने को प्रभावित किया है । अतः कमी है ।"

और पेज १४ पर देखिये, यहां ३३.६४ का बजट था, १९६३–६४ के अकाउंट्स

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

में और १९६४–६५ का एस्टीमेटेड बजट था ४७ लाख और वसूल हुआ ३३ लाख।

श्री बालकृष्ण कौल : टोटल बताओ।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : सेल्स टैक्स वसूल हुआ; एक लाख और १४ लाख का घाटा हुआ तो फिर सेल्स टैक्स किस बात का लगाया ?

श्री बालकृष्ण कौल : आप एक आइटम का फैसला करते हैं। सारे सेल्स टैक्स को देखिए, कितने लाखों का फायदा है।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : यह आइटम स्प्रिट्स का है। मैं सिद्ध कर सकता हूं कि राजस्थान में वाइन्स पर सेल्स टैक्स लगाने से रेवेन्यू कम हुई।

श्री बालकृष्ण कौल : क्या माननीय सदस्य का कहना है कि सेल्स टैक्स लगाने से सेल्स टैक्स की रेवेन्यू कम हुई ?

श्री संपत्तिलाल बोहरा : यह आपका डिपार्टमेंट कह रहा है।

श्री बालकृष्ण कौल : वह आइटम एक चीज है। टोटल सेल्स टैक्स में भी कमी हुई क्या ?

श्री संपत्तिलाल बोहरा : टोटल सेल्स टैक्स की बात नहीं है। मैं कहता हूं कि वाइन्स और स्प्रिरिट्स से जितनी आमदनी एक्सपेक्ट की थी उसमें १४ लाख की कमी हुई है वह इसलिए कि आपने सेल्स-टैक्स लगाया। सेल्स टैक्स तो दो लाख मिला और १४ लाख का घाटा हुआ। अगर आप इस तरह टैक्स लगा कर राजस्थान को मारना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। मैं दस उदाहरण दे सकता हूं।

इन वित्त मंत्री महोदय के आने के बाद राजस्थान में टैक्सेज की वजह से इंडस्ट्रीज़ को डुबो दिया, एग्रीकल्चर को डुबो दिया। शराब की इश्यू प्राइस लिख दी ५,८०,००,०००)। कितनी एक्साइज़ ड्यूटी है इसमें ? कितनी सेल प्राइस है, कितना प्रोफिट है, कोई नहीं बता सकता ? आपका डिप्टी सेक्रेटरी नहीं बता सकता, आपका बजट ऑफिसर नहीं बता सकता कि इसमें एक्साइज़ ड्यूटी कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, इसका कास्ट क्या है, इस पर बजट साइलेन्ट है। जिस अधिकारी से पूछते हैं, तो जवाब आता है "जरूर दी गई होगी, कहीं नहीं जा सकता"। आपने लिखा है ५५ लाख रुपए की विदेशी शराब खरीदी है।

श्री बालकृष्ण कौल : ट्रेड सीक्रेट हम नहीं बता सकते।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : जनता से नहीं छिपा सकते। इसमें लिखा है ५५ लाख रुपये विदेशी शराब खरीदने की कीमत। गंगानगर शुगर मिल से खरीदी हुई की कीमत नहीं, कहां गई ?

अकाउंट्स में फाल्स फिगर्स देने के लिए, पिछले सालों में अब तक जितनी

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

सिक्यूरिटीज़ उन्होंने वसूल की थी ठेकेदारों से डिपॉज़िट, लेकिन जमा की वे सारी की सारी इन्कम में शो की हुई हैं।

सेन्ट्रल सेल्स टैक्स १-४-६३ को एक परसेंट था और उसके बाद दो परसेंट टैक्स था। १९६२-६३ में ६४,२०,६६२) की इन्कम हमारी सेन्ट्रल सेल्स टैक्स की थी, १९६३-६४ में ९७ लाख, १९६४-६५ में १,१०,००,०००), १९६५-६ट का एस्टीमेट १,१६,००,०००) हुआ, जब कि १९६३-६४ में १,२६,००,०००) हो जानी चाहिए थी। यह सेन्ट्रल सेल्स टैक्स की इन्कम आधी से भी कम हुई है जो १९६३-६४ में दूनी होनी चाहिए थी, वह १९६५-६६ में पूरी नहीं हो पाई है। तीन साल में भी डबल नहीं हुई। जिन चीजों का प्रोडक्शन घटा है; जैसे अनाज का प्रोडक्शन घटा है जिस पर कोई सेल्स टैक्स नहीं है, शक्कर का प्रोडक्शन घटा है, राजस्थान से जितनी चीजें बाहर जाती हैं उनमें कोई अंतर नहीं आया।

श्री बालकृष्ण कौल : सीमेंट की क्या पोज़ीशन है ?

श्री संपत्तिलाल बोहरा : दूसरी चीज कितनी आती हैं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सीमेंट का प्रोडक्शन भी गिरा है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, खास तौर से आपने दो परसेन्ट सेल्स टैक्स और मेडिसिन्स पर बढ़ाया है। पहले दो पर्सेन्ट था और उसको अब चार पर्सेन्ट किया है। वित्त मन्त्री महोदय कमजोर तबियत के आदमी हैं। जो चाहे रेट बढ़वा सकता है और घटवा सकता है। ज़ोनल मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि राजस्थान के पड़ौसी राज्यों में बराबर टैक्स रखे जावेंगे। मैं गंगानगर गया तो मैंने पूछा एक फर्म से कि मेडिसिन्स की बिक्री कितनी है; तो बताया कि १ लाख। छोटासा गांव है और एक लाख की बिक्री कैसे ? पंजाब में जाती हैं और लाखों की आमदनी हो रही है। पंजाब में टैक्स रेट ज्यादा थी इसलिए वित्त मन्त्री ने भी यहां पर टैक्स रेट बढ़ा दी। इसके बढ़ाने से क्या होगा ? राजस्थान में ही मेडिसिन्स सेल होंगी और वे बाहर नही जावेंगी। चार पर्सेन्ट टैक्स से इन्कम कम होगी और बढ़ेगी नहीं। यदि आप इसका स्पष्ट प्रमाण चाहते हैं तो आप ३१-३-६५ तक कितनी मेडिसिन्स सेल होती हैं और उस पर कितना टैक्स वसूल हुआ है और ६६ तक कितना होगा, यह देख लीजिये। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी को इस बात की हिदायेत दी जाय कि एक ही चीज के स्टेटिस्टिक्स, आंकड़े एकत्र कर लें उनको और सारे सदन को पता चल जावेगा कि २ परसेन्ट से चार परसेन्ट करने से राजस्थान को कितना घाटा होगा। एक बात हो, दो बात हो; हर चीज में पड़ौसी राज्यों के मुकाबले में आपने रेट्स ज्यादा रखीं जिससे राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़, राजस्थान में व्यापार डेवलप न हो और एक तरह से मैं यह कह सकता हूं कि इन सब लोगों ने

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

मिल कर एक षड्यन्त्र रचा है जिससे राजस्थान की जनता तड़पती रहे और आस-पास के राज्यों की जनता राजस्थान के कॉस्ट पर अपना डेवलपमेन्ट करे।

श्री बालकृष्ण कौल : पंजाब में क्या रेट है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप ही बताइये।

श्री बालकृष्ण कौल : आप बताइये ? आपने कहा कि मिल कर षड्यन्त्र रच रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : दिल्ली और मध्य प्रदेश की ही आप बताइये ?

श्री बालकृष्ण कौल : आप बताइये।

श्री भैरोंसिंह : आप बताइये, आपने आंकड़े रखे होंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं बताऊंगा तो आप क्या बतायेंगे ? आप कह रहे हैं कि मिल कर षडयन्त्र किया। वहां छः पर-सेंन्ट है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और देखिये। आज हम कागज पर ६ परसेन्ट सेल्स टैक्स लेते हैं। इसी कारण से आज राजस्थान में कोई कागज की इन्डस्ट्रीज़ नहीं हैं। आज राजस्थान में इसी कारण से बुक्स मेन्युफेक्चर नहीं होतीं, रजिस्टर मेन्युफेक्चर नहीं होते और अन्य इन्डस्ट्रीज़ डेवलप नहीं होती हैं। दिल्ली से ये चीजें सीधी आती हैं। व्हाइट पेपर पर वहां टैक्स नहीं हैं। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को पेट्रोनाइज़ करने के लिए आपने अपने तीन साल के इतिहास में कोई एक भी कदम उठाया हो तो वित्त मंत्री जी बतायें ? आपने तो इतने जुल्म किये हैं कि जितने एग्ज़ेम्पशन्स स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को थे उन सब को विद्ड्रॉ कर लिया है। कई इन्डस्ट्रीज़ पहले टैक्स देकर फिर इन्डस्ट्रीज़ चला रही हैं। बाहर भेजते हैं तो सैन्ट्रल टैक्स अलग लगता है। और तो और राजस्थान में कई बनने वाली चीजों पर आपने जो एग्ज़ेम्प्शन्स थे उनको विद्ड्रॉ कर लिया। आपने किसी चीज़ को भी तो नही छोड़ा यहां तक कि जूते तक। बन्धेज की साड़ियां, हाथी दांत, मोर पंख, यह अधिक आश्चर्य की बात है, ये चीजें बाहर जाती हैं, उन पर जो एक्जेम्प्शन्स थे उनको वित्त मन्त्री जी आपने विद्ड्रॉ कर लिया। इससे राजस्थान का उद्योग, हस्तकला–उद्योग किस प्रकार बढ़ सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : कौल साहब को खुशी है कि जूतों पर टैक्स लगा दिया।

श्री बालकृष्ण कौल : अब कम पड़ेंगे आपको।

श्री भैरोंसिंह : अब तो टैक्स वाले जूते पड़ेंगे, ध्यान रखिये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : और तो और उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक गरीब आदमी बचा हुआ था जो उनकी निगाहों से बच गया था। वह है ठठेरा !

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

जो अपने हाथ से बर्तन बना कर आपके घरों को सुशोभित करता था। उस सम्बन्ध में वर्डिंग्स बताऊंगा तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि किस आदमी को छूट थी यह भी मालूम हो जायगा।

"Hand made utensils made of any metal when sold by maker of such utensils or by any other member of such family or use..."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सीधा-सादा यह है कि ऐसा आदमी बच गया था जो बर्तन खुद अपने हाथ से बनाता है, दूसरा कोई मजदूर एम्प्लाय नहीं करता है, कोई मशीनरी नहीं काम में लाता है, बिजली का प्रयोग नहीं करता है। ऐसे आदमी को बर्तन बना कर बेचने की छूट थी। आपने उस छूट को बड़ी हिम्मत से हटा दिया। बड़ी राजस्थान में आपने इन्डस्ट्रीज बढ़ायीं! आपने तो स्माल स्केल आर्टिज़न्स को एक तोफा दे दिया है। आपको तो उनको बढ़ाने के लिए चाहिये था कि सस्ता सामान देते, उनको राहत देते, सस्ते भाव पर उनको रॉ मैटीरियल सस्ते भाव पर देते। वह नहीं। आप तो चाहते हैं, राजस्थान में इन्डस्ट्री समाप्त हो। आज दिन तक आप ऐसा कोई आइटम बता दीजिये, ऐसी कोई भी हरकत बता दीजिये, ऐसा कोई नोटिफिकेशन बता दीजिये, कोई चीज ऐसी बता दीजिये जिससे यह सिद्ध हो सके कि आपने राजस्थान की स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ या रूरल इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन को हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कोई एग्ज़ेम्प्शन दिया हो उनको बढ़ावा दिया हो, छूट दी हो, किसी प्रकार का कुछ काम किया हो? मुख्य मंत्री जो कलकत्ते जाकर बड़े बड़े सेठों को आश्वासन दे आते होंगे, बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज के लिए कोई छूट दे आते होंगे; लेकिन मैं आपको स्माल स्केल आर्टिजन्स के बारे में पूछना चाहता हूं कि श्रीमाथुरजी आपने उनको क्या छूट दी हैं, उनको क्या प्रोत्साहन दिया है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): खादी और ग्रामोद्योग की जितनी चीजें हैं उन पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह: वे इसलिए नहीं लेते कि खादी पर ही टैक्स लगा दें तो कांग्रेस वालों की दूकान बन्द हो जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उनको मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया है। मोटिव लगाना तो आपके पास है।

श्री भैरोंसिंह: मेरे पास है या नहीं, यह तो पेशेवर ही बोल सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप ही हैं वह तो।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित चीजों पर टैक्स नहीं है, लेकिन बाकी चीजों पर तो एग्ज़ेम्प्शन था उसको विद्ड्रॉ कर लिया है; इससे स्माल स्केल आर्टिज़न्स का उत्पादन बढ़े और यहां इंडस्ट्रीज लगें, यह

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

तो चान्स आपने समाप्त कर दिया है। ग्रामोद्योग की चीजों पर सैल्स टक्स किस कारण से नहीं है, क्या कृपा है वह सब जानते हैं और मैं उसको कहना नहीं चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे मजेदार और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस हाउस में बारबार यह घोषणा की गई है कि हम ऐग्रीकल्चरिस्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। शायद मोतीलाल जी चौधरी होते तो बता सकते थे। अब एग्रीकल्चरिस्ट्स पर हाउस में टैक्स लगाने की बात आई थी; मिनिस्टरों और हाउस में एक जबर्दस्त हंगामा मचा था । लेकिन ज्यों ही हाउस खत्म हुआ चुपके से नोटिफिकेशन निकाल दिया कि गुड़ जो पैदा करते हैं वह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नहीं आता है । जितने किसान गुड़ बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे उन को सेल्स टैक्स की परिधि में ले लिया। वित्त मंत्री बतायें कि जब सदन के अन्दर यह घोषणा कर दी कि टैक्स नहीं लगायेंगे फिर पीछे से कैसे नोटिफिकेशन निकाल दिया ? यदि लेना था तो आप हाउस को पूछते और यदि फिर आप टैक्स लगाते तो कोई बात थी । ज्योंही विधान सभा खत्म हुई गुड़ पर टैक्स लगाने के लिये सरकार ने सब जगह नोटिस भेज दिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं टैक्स का विरोधी नहीं हूं । टैक्स लगाने चाहिये । लेकिन आखिर कौन से और किस पर लगाना चाहिये ? टैक्स ऐसे लगाने चाहिये जिससे राजस्थान की इन्डस्ट्री का डेवलपमेंट हो, टैक्स ऐसे लगाने चाहिये कि जिससे राजस्थान की आमदनी घटे नहीं, लेकिन बढ़े। चूंकि हमारा अनडेवलप्ड स्टेट, पड़ौसी राज्यों के मुकाबले हमारे यहां टैक्स रेट कम होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात अधूरी रह जायगी जब तक कि मैं एक और आइडिया न दे दूं। फोरेस्ट प्रोडक्ट्स, जंगल की नीलामी होती है; जंगल दस हजार, बीस हजार या २५ हजार रुपये में चला जाता है। फर्स्ट पोइन्ट पर टैक्स लगाकर जंगलात की रकम वसूल कर ली जाती है। दस हजार में जो जंगल आपका नीलाम होता है उससे लाखों रुपयों की आमदनी लोग करते हैं। २५ हजार कटाई, २५ हजार ढलाई, लोडिंग, अन-लोडिंग अगर आप लास्ट पोइन्ट पर यह टैक्स लगाते हैं तो कम से कम फोरेस्ट से जितनी आमदनी हो सकती है उतनी आमदनी आप और किसी से नहीं कर सकते। इसका बर्डन भी किसी पर नहीं पड़ेगा, यह इनडाइरेक्ट रूप में वसूल हो जायगा। मकान आदि बनाने के लिए बल्ली, बांस आदि की जरूरत पड़ती है लेकिन इससे आपकी आमदनी दस गुना बढ़ सकती है...

श्री बालकृष्ण कौल : बहुत अच्छा सजेशन है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : दूसरा मेरा सुझाव है जहां राजस्थान से आप माइका वेस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में माइका ब्रिक्स की तीन इन्डस्ट्रीज हैं जिनमें

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

से एक राजस्थान में है। इस माइका वेस्ट से दस प्रकार की इन्डस्ट्रीज़ चल सकती हैं, माइका ट्यूब, माइका बाल पेपर, माइका पाउडर, ब्रिक्स आदि दस प्रकार की इन्डस्ट्रीज़ इससे चल सकती हैं; इसके रॉ मैटीरियल से इतनी चीजें बन सकती हैं। हमारा माइका वेस्ट जो एक्सपोर्ट हो रहा है वह मामूली पैसों में बाहर जा रहा है, अगर इसका एक्सपोर्ट बन्द कर दिया जाय तो काफी लाभ यहां के लोगों को मिल सकता है; कितना ही सेल्स टैक्स मिल जाय, राज-स्थान के कितने ही लोगों को काम मिल जाय। इस इन्डस्ट्री के तीस हजार रुपये के माल के तीस लाख रुपये की फोरिन करेन्सी आ सकती है। मेरा उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि स्टेट की आमदनी बढ़ाने के लिए माइका वेस्ट को एक्सपोर्ट करने से रोकिये और इसका किसी भी कीमत पर अपने यहां ही डेवलपमेंट करवाइये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार एक छोटा सा आइटम है गारन्टी का। हम इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए दूसरी-दूसरी कम्पनियों की गारन्टी देते हैं। इस समय राजस्थान सरकार १९ करोड़ २२ लाख ६१ हजार की गारन्टी दे चुकी है। हम जहां कार के लिए, स्कूटर के लिए गारन्टी देते हैं वह केवल दो साल के लिए ५६ रुपये की एक हजार पर २८ रुपये लगाते हैं। जिसके लिए आपके अधिकारी काम करते हैं उनका टी० ए०, डी० ए० होता है लेकिन सरकार जिनकी गारन्टी देती है उन पर आप एक नया पैसा भी चार्ज नहीं कर सकते। एक पर्सेन्ट में चार्ज करें तो १९ लाख रुपया सहज ही में प्राप्त हो सकता है। जो गारन्टी आपने उदयपुर मिल को दी, जयपुर स्पिनिंग मिल को दी, इनके विकास के लिए ११ करोड़ की गारन्टी दी है; उस पर आप एक पर्सेन्ट रेटस चार्ज करें तो आपको १९ लाख की आमदनी हो सकती है।

श्री बालकृष्ण कौल : क्या हम कुछ भी नहीं लेते हैं ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जी हां।

श्री बालकृष्ण कौल : खुदा के वास्ते समझिये। हम इस पर चार्ज करते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं; कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज करना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : आप पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। हम चार्ज करते हैं हाफ से वन पर्सेन्ट तक।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, आप यह कब से ले रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं जवाब में कह दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जवाब में बता देंगे, क्या अभी नहीं बताने की सौगन्ध खा रखी है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कहा लेते हैं, हाफ से वन पर्सेन्ट तक, यह मैं जवाब के समय बताउंगा।

श्री भैरोंसिंह : इस वक्त आपके ध्यान में नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : कौन से साल से ले रहे हैं, यह नहीं कह सकता। एक-दो साल से लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप तहकीक बताइये, किस साल से ले रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : तहकीक तो मैं अभी नहीं कह सकता। यह सब जवाब के दौरान बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : इस पोइन्ट पर मैं चेलेन्ज करता हूं, राजस्थान की लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट १९६४ की पेश हुई है उस रिपोर्ट के पेश होने तक राज्य सरकार गारन्टीज़ पर किसी प्रकार पैसा नहीं लेती थी ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : लास्ट ईयर मैंने इसी बात का जिक्र किया था तब मुख्य मंत्री महोदय ने खास तौर से पूछा था; क्या बात कही थी ?

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दे दूं कि इन्होंने इस साल जितनी सख्ती से जिस किसी भी तरीके से हो सकता था टैक्स वसूल किया। रात को दस दस बजे तक दूकानों पर रेड की है; बाजारों और आफिस में बुला बुला कर कपड़े खींच खींच कर वसूल किया गया है। बनियों को जिस तरह से गाली दे देकर वसूल किया वह आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया होगा। किसी अफसर ने किसी को बुलाया और वह हाजिर नहीं हुआ तो एक्स-पार्टी जजमेंट कर दिया गया। इस प्रकार से मनचाही ज्यादतियां कर करके वित्त मंत्री महोदय ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की है, इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं।

एक माननीय सदस्य : दिल से।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : हिन्दुस्तान का कोई प्रांत ऐसा नहीं होगा जिसमें टैक्स की चोरी करने वालों का प्रोसीक्यूशन किया गया हो। निम्बाहेड़ा के मगनीराम बालाचन्द को डबल सेट्स ऑफ बुक्स रखने के कारण प्रोसीक्यूट किया गया। उनकी बहियें सेल्स टैक्स ऑफिसर के पास पड़ी रहीं। उसके बाद प्रोसीक्यूशन के लिये कम्पलेनेन्ट को हाजिर होना था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ; एक्स पार्टी जजमेन्ट कर दिया। लाखों रुपयों की बकाया रह गई। क्या पता वह कब से डबल सेट ऑफ बुक्स रखता था। जब कि वह रेगुलर बिज़नेस करता आ रहा था तो पहले भी सालों में इसी तरह से रखता होगा। अन्याय की भी हद होती है !

सेल्स टैक्स और एक्साइज़ को अलग अलग किया गया; लोगों से ऑप्शन मांगा गया। ऑप्शन जिन्होंने एक्सर्साइज़ नहीं किया, तरक्कियां दे दी गई। जिन्होंने दूसरे विभागों के लिये ऑप्शन एक्सर्साइज़ किया वे लटकते रह गये।

सब से आश्चर्य की बात यह है कि आज तक आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा

(श्री सम्पतिलाल वोहरा)

रेवेन्यू एस्सपेन्डीचर के लिए केपीटल एक्स-पेन्डीचर में लिये रुपया आया हो। एक गरीब व्यक्ति भी खाने के लिए पैसा उधार लेता है वह भी उस हालत में जब उसकी हालत बहुत गिरी हुई हो। आज हमारे वित्त मंत्री की हालत है रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को मीट आउट करने के लिए केपिटल से उधार लिया है जो करीब चार करोड़ रुपये के हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति है, यह मैं नहीं मानता। रेवेन्यू को बढ़ाकर केपीटल एक्स-पेन्डीचर करना चाहिये। आज हमारे देश की हालत इसी कारण खराब हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय ने जब इस विभाग का चार्ज लिया, १ अरब ७४ करोड़ रुपये का कर्जा था लेकिन ३१-३-६४ तक जो कर्जा हमको देना है वह है ३ अरब १६ करोड़ ९६ लाख रुपया। हमारे वित्त मंत्रीजी १९६७ में हमारे राज्य पर तीन अरब का कर्जा छोड़कर जायेंगे। इन चार वर्षों में इन्होंने १ अरब ६ करोड़ रुपया बढ़ा लिया आखिर इसका भगवान ही मालिक है ! मैं आपकी वित्तीय स्थिति बता रहा हूं। राजस्थान में इस समय व्याज के लिए प्रोवीज़न है १० करोड़ ७२ लाख रुपया ब्याज का देना पड़ रहा है और १७ करोड़ ९५ लाख रुपया रिटर्न्स ऑफ लोन्स के लिये हैं। अगर हिसाब लगाया जावे इसका तो १० करोड़ रुपया ब्याज, जिसको प्रोवीज़नल सरकार यह कहती है, एक्युचल तो ज्यादा है। ३ से ६ ।। पर्सेन्ट की रेट पर रकम ले रखी है और मैंने हिसाब लगाया। एवरेज चार या पांच पर्सेन्ट भी लगावें तो १५ करोड़ रुपये सालाना की ब्याज की रकम एवरेज आती है और यदि इस रकम को प्रोपोर्शनल रेवेन्यू के हिसाब से देखा जावे तो राजस्थान की रेवेन्यू पर इसका भार १६ से २० पर्सेन्ट पड़ता है।

तो आप अपनी टोटल रेवेन्यू का बीस पर्सेन्ट तो ब्याज में ही दे देते हैं। और २५ पर्सेन्ट कैपिटल में देते हैं। इस तरह कुल मिलाकर ब्याज और कैपिटल में ४५ पर्सेन्ट राजस्थान की रेवेन्यू निकल जाती है। आपके पास तो ५५ पर्सेन्ट बचती है।

डेवलपमेंट की बात छोड़िये। उसका तो होगा सो होगा। पर आगे आने वाले वर्षों में ६७ के बाद नई योजना शुरु होगी तो ये वित्त मन्त्री जी तो चले जावेंगे पर ६७ में जो वित्त मन्त्रीजी आने वाले हैं उन की क्या हालत होगी ? यह इससे भलीभांति जाना जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अब कुछ बातें सैद्धान्तिक दृष्टि से कहना चाहूंगा। राजस्थान सरकार को यह तो तय करना चाहिये कि वह किन आर्थिक सिद्धान्तों पर चलना चाहती है।

एक बार महावीर त्यागी ने कमेटी बनाई पेनिसिलिन के बारे में। भारत सरकार के कारखानों पर कितने पर्सेन्ट मुनाफा लिया जावे। राजस्थान में भी ऐसी चीज होनी चाहिये, जिसमें यह तय हो कि सरकारी उत्पादन-गृहों में कितना मुनाफा लिया जाय। कम से कम ऐसी चीजों पर

Page No 58

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

तो तय करना ही चाहिये कि जिनका संबंध सीधा जन-साधारण से है। आपको यह जानकर सचमुच में बड़ा आश्चर्य होगा कि सरकार का आयुर्वेद विभाग अपने उत्पादित दवाइयों पर ११ पर्सेन्ट से लेकर ६०० पर्सेन्ट तक मुनाफा लेता है। क्या यह समाजवादी सरकार की नीति है ? इतना एग्ज़ोर्बिटेन्ट मुनाफा ! इससे ज्यादा क्या हालत खराब हो सकती है ? समाज कल्याण और समाजवाद के नाम पर यह लूट रोकी जानी चाहिये और एक निश्चिय नीति के अन्तर्गत ही मुनाफा लिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज शराब की बात ले लीजिये। टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है। पर हमने यह तय नहीं किया है कि हम क्या करना चाहते हैं ? प्रोहिबिशन करना चाहते है या नहीं ? यह करना चाहते हैं तो किस क्रम से, कैसे ? पर इस पर कोई ध्यान नहीं, अमल नहीं उस रिपोर्ट पर। पंजाब में यू. पी की शराब बिकती है। ताकि धीरे धीरे शराब पीना लोग बन्द कर द। पर राजस्थान में १० ओ. पी. की शराब बिक रही है जगमोहन १० ओ. पी. की। आप कह दीजिये कि आप टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट नहीं मानते या कह दीजिये कि लोएस्ट क्वालिटी की ६० यू. पी. की बिकेगी ताकि ऊंची शराब पीना कम हो और धीरे धीरे प्रोहिबिशन की तरफ बढ़ा जाय। पर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे मजेदार बात जिसको सुनकर शायद आपको भी आश्चर्य हो, मैं बताना चाहता हूं। यह गजट है जो जो ६ मार्च को छपा है।

इसमें जो लिखा है और जो वित्त मन्त्रीजी ने अपनी स्पीच में कहा है, इन दोनों को मिलाया जावे तो शायद सदन भी आश्चर्य करेगा और हतप्रभ रहं जावेगा। इसमें उन्होंने हैडिंग लगाया है अफीम पर, खरीद कर। राजस्थान बिक्री कर कानून में अभी अफीम पर कोई टैक्स नहीं है। राजस्थान में अफीम काफी मिकदार में बिकती हो, यह भी नहीं है। यह रोजमर्रा की बिक्री की चीज भी नहीं है जिस पर टैक्स लगाया जा सकता हो। तो उसमें लिखा कि इस पर १० फी सदी की दर से खरीद कर लगाया जावेगा और इस सदन में यह बताया गया कि उससे १६ लाख से ज्यादा की आमदनी होगी।

अब गजट में कहा है कि हम खरीद टैक्स लगा रहे हैं और यहां नोटिफिकेशन में खरीद टैक्स नहीं लगाया, सेल्सटैक्स लगा दिया। सेक्शन (५) में कहा गया है, not in the Section 5A में। खरीद कर नहीं लगा कर उन्होंने लिखा है :

" In exercise of the powers conferred under sec. 5 of the Rajasthan Sales Tax Act, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so hereby provides with immediate effect the rate of tax......"

This is Sales Tax and not Purchase Tax.

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

यह है साहब सेक्शन ५ ऑफ दी राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट। पर्चेज़ टैक्स में तो सेक्शन ५ ए एप्लाई होता है। सेक्शन ५ तो सेल्स टैक्स के लिये है। जब इस तरह से कहकर और लिखकर सदन को किस तरह से गुमराह किया गया है, यह उपाध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं।

इसमें स्पष्ट कहना चाहिये कि यह जो डिस्क्रिपेन्सी है यह या तो जानबूझ कर की गई है या कसे यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि राजस्थान में जितनी बिक्री होती है अफीम की, तो भारत सरकार खरीदती है। उस पर टैक्स लगाने का औचित्य नहीं। अगर टैक्स भी लगाया है तो भारत सरकार से सीधा वसूल होगा। तो उस पर तो न पर्चेज टैक्स लगाया जा सकता है न सेल्स-टैक्स। सीधा कोई खरीदता ही नहीं है। डाइरेक्ट भारत सरकार ले जाती है। तो कोई टैक्स लगा सकते थे तो पर्चेज़ टैक्स लगा सकते थे, पर सेल्स टैक्स लगा दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लास्ट में यह कह कर समाप्त करता हूं। इस दौरान मे उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो घोषणाएं की वित्त मंत्रीजी ने, उनमें किसी पंचायत समिति के प्रधान का पचास रुपया बढ़ाया, किसी जिला परिषद् के प्रमुख का भी ५० रुपया बढ़ाया; तो मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन को भी रेम्युनरेशन बढ़ाना चाहिये था; वह बढ़ाते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि उनको भी उतना ही काम करना पड़ता है जितना जिला परिषद् और पंचायत समिति के प्रमुख और प्रधान को।

अन्त में मैं यह निवेदन करता हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए और जो रेट ऑफ टैक्सेज़ लगाये जा रहे हैं और जिस तरह से राजस्थान की इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस पीछे हटी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पीछे हटा है उसको देखते हुए मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान सरकार एक ऐसी फाइनेन्शियल एडवाइज़री कमेटी नियुक्त करे जो राजस्थान सरकार और वित्तमंत्रीजी को समय समय पर मार्ग-दर्शन और सलाह इन मामलों में दे सके क्योंकि मैं मानता हूं कि वित्तमन्त्री के पद पर आप किसी को भी बिठा दो, वहसब बातों में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। इसलिये इस कमेटी में जिसमें आप हर मामले के एक्सपर्ट रख सकते हैं अच्छे जानकार रख सकते हैं, वह जो राय देगी वह हर दृष्टि से ठीक होगी और यहां की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी समिति के गठन का सुझाव देते हुए मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरसिंह जासोल।

श्री अमरसिंह जसोल (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने स्वयं ६५-६६ का बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कई एक एक्सप्लेनेशन्स उसके बारे में अपने भाषण में दिये।

(श्री अमरसिंह जसोर)

माननीय उपाध्यक्षजी, प्रजातन्त्रीय शासन के ढांचे का यह एक फण्डामेन्टल उसूल है, मूलभूत तथ्य है कि जहां करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में वसूल किया जावे उसके साथ उस टैक्स के वितरण सम्बन्धी किस प्रकार का टैक्स सरकार लगाती है और किस प्रकार उसका वितरण होता है इसका ब्यौरा जनता के चुने हुए नुमाइन्दों के समक्ष रख कर उन की अनुमति प्राप्त करें और इसके बाद इस टैक्स को खर्च करने का सरकार का अधिकार बनता है। साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, जनता इस बात के लिए आशातीत रहती है कि जहां पर इतनी तादाद में वह टैक्स बर्दाश्त करती है और सहर्ष या मजबूरी की हालत में उन टैक्सों को अदा करती है, कम से कम प्रजातांत्रिक ढांचे में जो एक मूल तथ्य है वह है सुशासन । कोई भी सरकार इस प्रकार का टैक्स वसूल करे और उसको खर्च करे तो उसका पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि देश के लिए एक सुशासन दे जिसमें जनता एक सुव्यवस्थित शासन का अनुभव करते हुए अपना जीवन आसानी के साथ बसर कर सके। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार एक सुव्यवस्थित शासन देने में सर्वथा असफल रही है और इसलिए इस प्रकार से वह जनता के कर का वितरण करने के और इस प्रकार से कर लगाने के लिए हकदार नहीं है। जहां इस सुव्यवस्थित शासन का मैं यहां पर संकेत कर रहा हूं मैं समझता हूँ कि सत्तारूढ़ दल भी इसको महसूस करता होगा और ग्रामीण जनता भी इसको महसूस करती होगी कि जैसा शासन हम चाहते हैं, जो सुविधायें हम चाहते हैं, जो हमारी सुनवाई हम चाहते हैं उस प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है, उस प्रकार की सुविधायें नहीं मिल रही हैं और उस प्रकार का न्यायोचित व्यवहार हमारे साथ में नहीं हो रहा है। यह एक मान्य बात है। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा और आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि सौभाग्यवश हमारे राजस्थान के अन्दर वे सब साधन उपलब्ध हैं कि जिससे वह सुव्यवस्थित शासन हमारे राज्य के जन-वासियों को उपलब्ध करा सकते है। मैं यहां पर त्रुटियों और बुराइयों की तरफ संकेत न करते हुए उन साधनों का और उन अच्छाइयों का जिक्र करूंगा कि जिससे हमारे लिए सुव्यवस्थित शासन हो सकता है।

हमारी जनता बहुत ही अच्छी है और अधिकांश में वह अशिक्षित होते हुए भी उनके अन्दर बहुत ज्यादा कॉमनसेन्स हैं, उनकी आंखों में शराफत है व्यवस्था का वे पालन करना जानते हैं और राज्य की कठिनाइयों को भी वह महसूस करते हुए अपने ऊपर कठिनाइयां बर्दाश्त कर सकती हैं बशर्ते कि जो मिनिमम सरकार से एक्स-पैक्ट करते हैं वह सरकार हमें दे दे।

मैं मन्त्रियों को भी हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी साइकोलाजी का स्टुडेन्ट हो तो इसको देखेगा कि हमारे मन्त्रीगण आखिर-कार कहां से आते है ? आते हैं जन-समुदाय

(श्री अमरसिंह जसोल)

में से। तो वे भी ऐसे बुरे व्यक्ति नहीं हैं कि अगर वे चाहें तो राजस्थान में सुव्यवस्था नहीं दे सकें। हमारी सर्विसेज़ की मैं भूरि भूरि प्रशंसा करूंगा कि वह कोई भी योग्य कार्य करने के लिए सक्षम है। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार के दृष्टिकोण में त्रुटि है और इस बात को लेकर वे चलें कि हमारा कर्त्तव्य यह है कि हमें राजस्थान के लिए अच्छी व्यवस्था कायम करनी है और अच्छे अच्छे उसूलों पर काम करना है। जहां थोड़ी सी भी स्वार्थ भावना आ जाती है वह चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे पार्टी की सत्ता के लिए हो, तो ये दो चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं। सुव्यवस्थित शासन और सत्ता को कायम रखने की एक लालसा; ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। उपाध्यक्ष महोदय, सुव्यवस्थित शासन तब ही हो सकेगा जब कि आप कर्त्तव्यपरायणता का कटु प्याला पी सकते हों और उसको पीने के लिए तयार हों। जहां अपने–पराये के भेदभाव को छोड़कर आप एक कर्त्तव्य के रूप में जो काम करना आवश्यक है, उचित है वह सारा करने के लिए तत्पर रहते हैं और कर्त्तव्य पालन करते हुए जो अनुचित काम हैं उनसे दूर रहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार एक बहुत ही सुव्यस्थित शासन जनता को दे सकेगी। हमारे मुख्य मन्त्रीजी का यह सौभाग्य है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे इस ओर अपना मुंह करें तो राजस्थान के लिए एक सुव्यस्थित शासन दे सकते हैं और उनके पास मसाला है और ईश्वर ने भी उनको बख्शीश दी है और सवाल है केवल उसके सदुपयोग करने का। सिर्फ रुख का सवाल है, दृष्टिकोण का सवाल है, दृढ़ निश्चितता का सवाल है और मैं समझता हूं कि वह हमारे राजस्थान के इतिहास में बहुत ऊंचे व्यक्ति के पद को ग्रहण कर सकते हैं और दूसरी स्टेट्स के लिए भी वे एक आदर्श रख सकते हैं। कुछ इसका विवरण करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि आखिरकार यह सुव्यवस्था राज्य कैसे प्राप्त कर सकता है। आवश्यक है कि पहले तो ऐसे मनुष्यों की नियुक्ति की जाये और व्यक्तिगत जिस आदमी का जैसा चरित्र है जिसकी जैसी योग्यता है, जिस वातावरण में वह पनपा हो और जो दृष्टिकोण उसका बना हुआ है वह उसी के माफिक काम करे। अच्छा पढ़ा हुआ है तो अच्छा काम करेगा, दूषित है तो वह अच्छा काम नहीं कर सकता। इसलिए पहली आवश्यकता तो यह है कि जो मन्त्रिमण्डल बनाया जाये। वह इस विचार से बनाया जाये कि कौन व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए योग्य है और जो इस योग्य हो उसी को मन्त्रिमण्डल में लिया जाये। आवश्यक है कि ये लोग उसी पार्टी के आयेंगे कि जो मैंजोरिटी पार्टी हो। दूसरों का कन्ट्रीब्यूशन होने की सम्भावना नहीं है, लेकिन मैंजोरिटी पार्टी में से भी अच्छे २ आदमियों को चुना जाये और इस लक्ष्य से उनको आदेश दिये जायें कि हमें हमारे राजस्थान के लिए अच्छी व्यवस्था करनी है। मैं समझता हूं कि यह नम्बर वन कदम होगा इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जितने

(श्री अमरसिंह जसोल)

विभाग हैं, उन विभागों की अच्छी तरह से जानकारी रखना और निगरानी रखना ; रेस्पेक्टिव मिनिस्टर्स, उस विभाग के मन्त्री गण अपना प्रथम कर्त्तव्य बना लें तो बहुत सी अच्छाइयां पैदा हो जायेंगी ! सर्विसेज़ के लिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि मैं इस शब्द का उपयोग भी नहीं करना चाहता हूं, जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं। यह स्वयं इतना भ्रष्ट है कि यह सारे वातावरण को दूषित कर देता है। जब कभी भी सवाल होता है तो बड़े खेद का विषय है कि गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया जाता है कि बात ठीक है। क्योंकि दुनिया कहती है कि भ्रष्टाचार फैल गया तो सरकार भी कह देती है कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है, लेकिन हम क्या करें, हमारी सर्विसेज़ ही ऐसी हैं कि हमारा कहना ही नहीं मानतीं ; मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। मैं उस दिशा को लेकर चलूंगा कि जहां मेरी स्वयं की धारणा के अनुसार भ्रष्टाचार नहीं है। मैं यह गारन्टी से नहीं कहता कि मैं १०० पर्सेन्ट दुरुस्त हूं, लेकिन मेरी भावना यह है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ३ मुख्य अंग हैं। सेक्रेटेरियट है, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स हैं और उससे बहुत ही निकट सम्बन्ध रखने वाला पुलिस का विभाग है; जिसके ऊपर अमूमन टीका-टिप्पणी होती है। यह मेरी भावना है, उपाध्यक्ष जी, कि जहां तक कलेक्टर का सवाल है मैंने तो नहीं सुना कि पैसे के सिलसिले में कोई भ्रष्टाचार हो। मेरी तो निगाह में नहीं आया और मैं यह लेकर चलता हूं कि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है।

कलेक्टर्स आइ० ए० एस० हैं—कोई एक–दो होंगी तो होंगी, पर मैंने नहीं सुना। सेक्रेटेरियट में, मैं समझता हूं कि सीनियर सेक्रेटरीज़ हैं वे भी भ्रष्ट नहीं हैं, सूझबूझ के व्यक्ति हैं, समझदार हैं और अपने कर्त्तव्यों का उनको ख्याल है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। पुलिस का जहां सवाल है, यह मेरी मान्यता है कि आपके आई० जी०, डी० आई० जी० और बहुत से एस० पी० भी भ्रष्ट नहीं हैं। यह मानते हुए भी मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां सुव्यवस्था नहीं है, माल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका कारण मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार ये पोलीटीशियन्स हैं; चाहे वे मन्त्री हों, चाहे विधान सभाई हों जिनके अन्दर मैं खुद भी एक हूं और चाहे वे पैंटी नेता लोग हो जिनकी कमाई का जरिया नेतागिरी है।

इसके अलावा मैं आपके द्वारा यह नम्र निवेदन करूंगा कि मन्त्रि-मन्डल पर और खास तौर से मुख्य मन्त्री पर इसका बड़ा ही उत्तरदायित्व है। सर्विसेज़ के साथ में हमारी सबकी यह धारणा है कि जरूरत से ज्यादा इन्टरफियरेन्स हो रहा है। उनको अपने कॉन्श्यस के मातहत काम करने के लिए पूरी छूट नहीं मिलती है। किसी कॉन्स्टेबल को कहां लगाया जायेगा........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपके अनुसार धारणा ही है कि वास्तव में ऐसा है।

श्री अमरसिंह जसोल : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता क्या है, मैं कुछ नहीं समझ सकता। जो कुछ कहता हूं मेरी

(श्री अमरसिंह जसोल)

सत्य धारणा के आधार पर कहता हूं। मैं बहुत गलत हो सकता हूं। मेरी धारणा और विचार के होते हुए मैं गलत हो सकता हूं इसके लिए, लेकिन मैं कोई लेख नहीं लिखता हूं। जैसा मैंने देखा है और देखने की कोशिश की है वह मेरा अनुभव इस सदन के समक्ष बहुत नम्रता से करना चाहता हूं। मेरे मन में किसी के लिए कटुता नहीं है, लेकिन मैं यह पुनीत कर्तव्य समझता हूं कि यह मेरा देश है और जो मेरी धारणा है, जो मैंने देखा है वह मैं आपके समक्ष रखता हूं। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि किसी कॉन्स्टेबल का कहीं तबादला करना है, किसी थानेदार को कहां लगाना है, यह मन्त्रि-मण्डल की खींचतान से किया जाय; किस कलेक्टर का कहां पर फिक्सेशन हो वह एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से नहीं, उसकी व्यक्तिगत योग्यता से नहीं, लेकिन किसी मन्त्री को या किसी पार्टी को या किसी पार्टी के लोगों को किसका नहीं रहना सुविधाजनक है; इन बातों के आधार पर रखकर जो सर्विसेज़ के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, मैं समझता हूं कि वह एक सुव्यवस्थित शासन का स्वप्नमात्र रह जाता है। आवश्यकता इस बात की हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी सर्विसेज़ के अन्दर जहां एक तरफ अच्छे आदमी हों, जहां पर इतना बड़ा अमला हो तो वहां कई खराब भी होंगे, निश्चयात्मक होंगे, और हमेशा से हुए हैं और अब भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, शत प्रति शत अच्छे व्यक्ति हों, यह असम्भवता है। एक घर के अन्दर १० लड़के हैं, तो दसों एक सरीखे नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि इस नीति को लेकर चलते हैं कि हमारे राज्य को एक सुव्यवस्थित राज्य करना है तो हमारी सर्विसेज़ के अन्दर अच्छे आदमियों की ताक में रहिये। यह आपके लिए सम्भव नहीं है मौजूदा परिस्थिति में, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई है कि बहुत वर्ष पहले जब हमारा जोधपुर का राज्य था तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से एक समय यह कहा, वे मेरे पर बड़े मह्रबान थे, कि यदि आप अच्छी व्यवस्था चाहते हैं तो जैसे कि नौकर इस फिराक में रहते हैं कि हमको यह नौकरी मिल जाय तो आपको भी चाहिए कि आप अच्छे आदमी की फिराक में रहिये। जहां अच्छे आदमी हों उनको रखें। उनको मोका दें, उनको तालीम दें, उन पर निगरानी उन्हें रख कर बढ़ायें तब तो अच्छे आदमी बढ़ेंगे और राज्य की व्यवस्था अच्छी होगी। और जो खुशामद करके घुस गये हैं वे पनपेंगे नहीं। तो मेरा मतलब यह था कि योग्यतापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक नियुक्तियां करें, फिर उन को काम करने दें, बगैर दखल किए हुए काम करने दें, और अगर कोई गलती करे तो अनिवार्य रूप से उनको सजा दें कानून के मुताबिक। उन पर चैक होना चाहिए। इन तीनों बातों का सर्विसेज को पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक बात तो यह है कि जहां तक हम कर्त्तव्य का पालन करते हैं हमारे अन्दर इंटरफियरेन्स करने वाला कोई नहीं है, हम पूरे जिम्मेवार हैं, हमारे ओहदे के प्रति जिम्मेवार हैं, हमारे कर्त्तव्य के लिए जिम्मेवार हैं, जैसा अच्छा-बुरा हम करेंगे उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। अगर

(श्री अमरसिंह जसोल)

हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी पीठ थपेड़ी जायेगी, लेकिन साथ में उनको यह भी भान होना चाहिये कि अगर बुरा काम करते हैं तो फिर सजा तैयार है। अगर इस भावना से हमारी सर्विसेज के साथ व्यवहार किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा होगा।

मैं आगे दूसरी बात पर जाऊं उसके पहले तो जो उससे कनेक्टेड, लिन्क्ड चीज है, यह भी निवेदन कर दूं कि हमारा भी एक बड़ा कर्त्तव्य हो जाता है। जो लोग इस सदन में बैठे हैं चाहे सत्तारूढ़ दल के हों, चाहे विरोधी दल के हों लेकिन गैरजिम्मेवाराना तरीके पर किसी किस्म का आक्षेप नहीं करें। यह बात हमको मानकर चलनी होगी कि डेमोक्रेटिक सेट अप में जहां शासन एक पार्टी और एक दल के आधार पर बनता है सर्विसेज का किसी दल से कोई ताल्लुक नहीं है; वह है अपने राज्य का नौकर, पब्लिक एक्सचेकर से तनख्वाह उठाते हैं और इस तरह से अपने कर्त्तव्यपालन की तरफ उनकी रुचि होना आवश्यक है। तो उनकी तरफ हमको भी बड़ी सावधानी से रहने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इससे सर्विसेज की हालत और भी ज्यादा खराब हो जायेगी। एक तरफ तो उनको हमेशा कुचला जाता है; कभी कोई मन्त्री महोदय कहते हैं, तो कोई पार्टी लीडर्स कहते हैं, तो कभी पैटी लीडर्स जो दो दो आने के हैं वे उन पर सवार होते हैं....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : दो दो आने के भी कोई होते हैं ?

श्री अमरसिंह जसोल : हां, होते हैं।

और दूसरी ओर हम लोग भी आक्षेप करने लग जायें तो मैं समझता हूं; तो इनका बड़ा डिमोरेलाइजेशन होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर मैं कहने को खड़ा हुआ हूं उस तरफ पूरा सत्य न कहूं और अधूरी बात कहूं तो मैं अपने कर्त्तव्य से वंचित रहूंगा। मैं यहां पर हाजिर नहीं था और फिर से सदन में आया उतने में एक जिम्मेवार व्यक्ति के ऊपर आक्षेप होता मैंने सुना, और वे थे चीफ सेक्रेटरी; तो मैं उस वक्त हक्का-बक्का सा रह गया, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब इसके बारे में कहता हूं तो कर्त्तव्य-बद्ध होता हूं, इस बात को कहने के लिए वे बहुत ऊंची कैपेसिटी के व्यक्ति हैं। फेमीन के सिलसिले में मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने सहृदयता का नमूना दिया, क्विक एक्शन का नमूना दिया, लोगों के साथ हमदर्दी दिखाई। मैं उनके दफ्तर में बैठा हुआ था तो दो-एक अफसर और भी आये, तो उनको एक साथ यह भावना हुई, उनको प्रेरणा भी मिल गई कि क्या काम करना है, किस तरह से करना है, और मैंने देखा कि एक तरह का कमाण्ड है उनका सबोर्डिनेट्स के ऊपर। वे भी जिम्मेदार अफसर थे, मालूम नहीं कि कौन थे। उनकी अपने प्रति रेस्पेक्ट रखते हुए और दूसरों की रेस्पेक्ट रखते हुए, उन्होंने यह कहा। जगह जगह कमेटियों के अन्दर काम किया तो एक तवालत अपने ऊपर ली।

(२ म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, आदामी बनने में

Page No 65

(श्री अमरसिंह जसोल)

देरी लगती है, समय लगता है, उसके लिये सामग्री उपलब्ध करने के लिये भी बहुत तकलीफ होती है। फिर उसमें कुछ माद्दा हो तभी बन सकता है। इस तरह कई कठिनाइयों में से पार होता हुआ यदि कोई आदमी बनता है तो हमें खुशी होनी चाहिये कि वह हमारे राजस्थान का है, चाहे वह किसी भी पक्ष का हो। उसके बारे में यदि हम इस तरह की बात कहें तो उसका बड़ा भारी असर पड़ता है। मैं समझता हूं इस प्रकार की हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ त्रुटियां महसूस होती हैं।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे चल कर निवेदन करूंगा कि इसमें और क्या क्या त्रुटियां आई। मेरा पहला निवेदन तो इस बारे में यह है कि हमारे मंत्री महोदय जो टूर करते हैं वे कत्तई अनपर्पज़फुल होती हैं। वे अपने ख्याल से पर्पज़फुल करते होंगे, लेकिन मेरी यह धारणा है कि वे अपनी टूर में जो उनका काम का मद है उसकी तरफ इनमें से एक भी नहीं देखता। न कृषि मंत्रीजी कृषि की तरफ देखते हैं, न पूछते हैं और न मुख्य मंत्रीजी और न दूसरे मंत्री महोदय अपने अपने काम की और मद की ओर ध्यान नहीं देते, उनका जो मुख्य काम है उस ओर वे ध्यान नहीं देते। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि ज्योंही मंत्री महोदय की कार आकर खड़ी रहती है त्योंही उनके पैट्टी नेता उनको इस प्रकार घेर लेते हैं जिस तरह, दूसरे खराब शब्द न कह कर यही कहूंगा कि गुड़ पर मक्खियां जिस प्रकार भिनभिनाती हैं उसी प्रकार ये पैट्टी नेता कार के चारों ओर भिनभिनाते हैं और उनको घेर लेते हैं और दूसरे लोग एक तरफ खड़े हो जाते हैं और यह सोचते रहते हैं कि हमारी बारी आयेगी, मंत्री महोदय कहेंगे तो हमारी बात भी उनसे होगी।

एक बात मैं और निवेदन करूं कि कौन ऑफिसर, विभागीय ऑफिसर कैसा है उसका निर्णय कौन करता है, ये ही नीचे स्तर के लोग जिनको मैं पेट्टी नेता कहूंगा। ये लोग जिस ऑफिसर के लिये कह दें कि यह आदमी अच्छा है चाहे वह बिल्कुल खराब हो तो भी वह आदमी अच्छा समझा जायगा और जिस आदमी के बारे में ये लोग कह दें कि यह आदमी खराब है, चाहे वह कितना ही अच्छा है तो भी वह खराब ही माना जायगा। यही नहीं, बल्कि उसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया जाता है। दूसरा खराब वातावरण यह बनता है कि जिस तबके को आप महत्व देते हैं वही तबका आपके जाने के बाद सर्विसेज़ के सिर पर सवार हो जाता है। चाहे आप यह कहिये कि उनके चरित्र की कमजोरी है, लेकिन मैं इन ऑफिसर्स के बारे में यह कहूंगा कि 'ये बेचारे गरीब' कोई ऐतराज नहीं उठा दें कि उनको 'बेचारे गरीब' कह दिया; चाहे कलेक्टर हो, चाहे एस. डी. ओ. हो, चाहे एस. पी. हो, चाहे दूसरा ऑफिसर हो, उनको भी मौजूदा वातावरण में रह कर चलना है, इनके भी परिवार है और उस परिवार का भरण–पोषण करना है; इसलिये दिल-जलों की कार्यवाही से तकलीफ उठानी पड़े तो ऐसे कम होंगे जो तकलीफ उठाना पसन्द करें। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से

(श्री अमरसिंह जसोल)

निवेदन करूंगा कि यह एक बड़ी खराब प्रणाली है जो अनडिज़ायरेबल आदमी हैं उनको अहमियत दे दी जाय ।

दूसरा ड्रॉ-बैक आपका यह है, मैंने राजाओं के राज्य में देखा है की उनके वहां जो मंत्री लोग होते थे वे ऊंची तनख्वाह पाने वाले होते थे; उनको ढाई हजार,तीन हजार रुपये उनको तनख्वाह के मिलते थे । चुने हुए आदमी अमूमन बाहर से बुलाये जाते थे । जब उनका टूर होता था तब वे हर तरह के आदमी से बात करना चाहते थे और देश के वाकयात का ज्ञान हासिल करना चाहते थे और उसके आधार पर ऐसे काम करने चाहते थे जिनसे जनता को फायदा हो.......

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या आप यह कहना चाहते है कि आज जो मंत्री लोग जाते है वे हरेक आदमी से बात नहीं करते ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : मंत्री लोगों की ही बात कर रहे है, इनको समझने की कोशिश करिये ।

श्री अमरसिंह जसोल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात के ख्वाहिशगार थे कि लोगों से बात करके हालात मालूम करें । मुझे इस बात की शिकायत है कि हमारे मंत्री लोग, जो चाहे होंगे, पब्लिक सर्वेन्ट होने का दावा करते हैं वे हर लोगों से बात नहीं करते हैं.......

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं यह बात नहीं मानता । आप कब किसी मिनिस्टर के पास गये और उन्होंने आपसे बात नहीं की ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : आप चारों तरफ लग सकते हैं । शायद किसी मिनिस्टर की मोटर खड़ी हो तो आप लगते होंगे ?

श्री अमरसिंह जसोल : मैं व्यक्तिगत शिकायत में नहीं जाना चाहता........

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप सैशन्स जज रहे हुए हैं; पहले किसी से बात नहीं करते थे, इसलिये समझ रहे होंगे कि मंत्री भी किसी से बात नहीं करते ।

श्री अमरसिंह जसोल : मैं तो सबसे बात करता हूं । मैं ईश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मेरे साथ सबने अच्छा व्यवहार किया । पहले वाले मंत्रियों ने भी अच्छा व्यवहार किया और आप लोग भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं । मुझे किसी से शिकायत नहीं है । शिकायत किसी से अगर है तो स्वयं से है कि मैं इतना योग्य नहीं हूं, फिर भी आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया । हाउएवर, यह मेरा ख्याल है इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं ।

तो हरेक तबके के आदमियों से यदि मंत्री लोग बात करें तो उनको ज्यादा अनुभव हो सकता है और लोगों में ज्याद उनकी शोहरत हो सकती है ।

(श्री अमरसिंह जसोल)

अब मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहूंगा, जिसकी तारीफ करनी है उसका नाम लूंगा, जिसकी बुराई करनी है उसका नाम नहीं लूंगा। कहतसाली का समय था। एक पमंत्री मैंने महोदय से टाइम मांगा टेलीफोन से कि मैं आपकी सेवा में हाजिर होना चाहता हूं। मुझे टाइम मिला। मैं ५ मिनट पहले गया। लेकिन वहां जाने पर मालूम हुआ कि उप-मंत्री महोदय चले गये सेक्रेटेरियट। मैंने उनका वहां तक पीछा किया और वहां उनसे मिला और कहा कि मैं इसलिये आया हूं, आप सुनवाई करें। उन्होंने कहा, मैं बाड़मेर आ रहा हूं, वहां बात करिये। मैंने कहा बाड़मेर बहुत दूर है, मैं तो आपको बालोतरा में ही रोकना चाहता हूं। उन्होंने फर्माया अच्छा मैं रुकूंगा। मैंने उनके आने से पहले टेलीफोन किया कि पंचायत समिति को सूचित किया जाय ताकि सबको संतोष हो। आखिर मंत्री महोदय वहां पर आये लेकिन वही हुआ कि उन पेट्टी नेताओं ने उनको घेर लिया; लेकिन मुझ पर उन्होंने कृपा की और कहा कि रावल साहब पहले आप से बात कर लें। मैंने अपने विचार उनके सामने रखे तब उन्होंने कहा यह तो मेरे हाथ की बात नहीं है, इसके लिये मैं कुछ नहीं कहूंगा। तब मैंने कहा आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी आप यहां तक पधारे ही क्यों? उनके अलावा दूसरी उप-मंत्राणी थी श्रीमती...वे वहां पर आई...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : श्रीमतीजी का का नाम नहीं बताया आपने ?

रावल श्री अमरसिंह : वे वहां पर आई थीं, तब उन्होंने पंचायत समिति को अटेन्ड किया। मैं समझता था कि ये बीमार रहने वाली महिला बहिन हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी विपरीत बात दिखाई, बात अच्छी तरह से सुनी, क्विक एक्शन, फौरन निर्णय लेना और जितनी समस्याएं थीं उनको बड़े धैर्य से उन्होंने सुना और वहीं का वहीं फैसला किया। मैंने समझा ये बड़ी योग्य उप-मंत्राणी हैं और मन ही मन उनकी तारीफ की। उसके बाद पंचायत समिति के सभी लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी हमारी सुनवाई हुई। जो बातें हमने उनसे कहीं वे उन्होंने सुनीं, समझीं और तुरन्त निर्णय लिया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जनता ऐसी है कि एक दफा आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो दुरुपयोग कोई नहीं करेगा, उसको याद करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और ठीक समझेंगे। इससे इस राज्य का कार्य अच्छी तरह से होगा और इसके अन्दर खास तौर से कोऑपरेशन रहेगा। मैं जनता की तरफ से आपके साथ सहयोग दूंगा इसके अन्दर तो। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप इन लोगों के ऊपर खाली एडमिनिस्ट्रेटिव देखभाल अवश्य रखिये क्योंकि उसके बगैर सब बहक जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको जिम्मेदाराना तरीके के अन्दर उनको काम करने दीजिये, कम से कम उनके काम के अन्दर हस्तक्षेप कीजिये। यह भी मैं कहूंगा, कोई साथी यह न समझें कि मैं खुशामद के रूप में कह रहा हूं, जो सही बात है वही मैं कहूंगा— तो जहां तक मैंने रिपोर्ट सुनी है कि कम से कम हस्तक्षेप मुख्य मंत्रीजी की तरफ से होता

(श्री अमरसिंह जसोल)

है उनके काम में । और कहीं उन्होंने कहा भी तो केवल केस को देख लेना, कैसा है । लेकिन यह दवाव नहीं डाला जाता कि इसमें ऐसा करना है, यह कर देना । नहीं करना है तो कहें कि मत करना ! ऐसी लोगों की भावना है इनके प्रति । इसके विपरीत यह भी हमने देखा कि किसी आदमी के पुलिस के द्वारा जूते लगाने हैं तो वह भी लगवाने की कार्यवाही होती है, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाने हैं तो वह भी लगवाने की कार्यवाही होती है और यदि कहीं सच्चे मुकदमे ड्रॉप करने हैं तो उसकी भी कार्य-वाही होती है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह कौन करता है ?

रावल श्री अमरसिंह जसोल : मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह की कार्य-वाही नहीं होनी चाहिए और सर्विसेज़ का सदुपयोग होना चाहिए । यह सत्ता का वाहन जो सरकार के हाथ में है, इसका अच्छी तरह से सदुपयोग कीजिये तो आपकी प्रशंसा होगी और देश की व्यवस्था अच्छी होगी, साथ ही जन समुदाय भी सुखी होगा ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं कुछ समय और चाहूंगा, श्रीमान् जी !

इसके बाद में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो सबसे बड़ी चीज है वह चीज है देश का मोरेल । देश का मोरेल बनाये रखना अत्यावश्यक है । जब तक ये तमाम चीजें होंगी, जब तक कॉमन मैन को यह प्रतीत नहीं होगा कि मेरे लिए कोई सम्मानित जीवन जीने के लिए स्थान है, तब तक वह हतोत्साहित होकर रहेगा । वह यह समझेगा कि मुझे जुल्म के सामने झुकना है और वगैर झुके मेरा निर्वाह नहीं हो सकता है । मैं समझता हूं कि इस तरह की भावना से देश का मोरेल डाउन हो जायगा और देश का मोरेल डाउन हो गया तो हम कोई भी अच्छा काम करने के योग्य नही रहेंगे ।

एक मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जहां तारीफ करने लायक कोई बात होती है तो तारीफ करना भी आवश्यक है ।

मैं समझता हूं कि अकालग्रस्त क्षेत्र के अन्दर सरकार ने अच्छा काम किया है । यह मैं आपको ही नहीं कहता हूं । मैं जहां कहीं भी गया हूं मैंने यही कहा है कि सरकार ने अच्छा काम किया है । मैंने यह नहीं कहा है कि सरकार को कहा या सरकार को मजबूर किया । बिल्कुल नहीं । मैं समझता हूं कि मजबूर करने में कुछ होता भी नहीं है, अनफेअर है । तो क्रेडिट इसके लिये मुख्य मंत्री जी को है, जो श्रेय के पात्र हैं । इन्होंने खुले दिल से काम किया । पहले अकाल के अन्दर मुझे बड़ी शिकायत रही और इसका दोष मुख्य मंत्री जी के अपने ऊपर है । दूसरे अकाल में लगाम ढीली छोड़ दी, घोड़े की लगाम ढीली रखी । पहले अकाल में यह नहीं होता तो अच्छा होता । कुछ भी हो, देर आयद दुरुस्त आयद ! दूसरे अकाल में जो यह सहूलियतें दी हैं इनको हम अच्छा मानते

(श्री अमरसिंह जसोल)

हैं । आपके जो फेमिन कमिश्नर हैं मि० हावा, जिनके लिये मैंने पहले अकाल के अन्दर समझा था कि कुछ नहीं कर सकते हैं–दूसरे अकाल में मैंने देखा कि हावा साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं । उन्होंने अच्छा काम किया है जिसके लिये मैं धन्यवाद के साथ क्रेडिट देता हूं । उन्होंने रेड-टेपिज़्म के ऊपर उठ कर काम किया हैं, जहां फंड की जरूरत थी वहां तत्काल फंड दिये हैं और यहां से टेलीफोन पर हाल पूछते रहे जिससे अच्छी व्यवस्था हुई । इनके उपरान्त, उपाध्यक्ष महोदय, इनकी अच्छाई माइनस आधी रह गई होती यदि आपके यहां टिक्कू जैसा ऑफिसर नहीं होता । इस व्यक्ति ने बड़ी कार्य दक्षता दिखाई । स्टर्लिंग इन्टीग्रिटी इस शख्स की है । कोई पैसा खाने का सवाल नहीं है और यह महसूस हुआ कि यह शख्स देश का पैसा नहीं खा सकता है । रात-दिन एक करके उसने काम किया और मुझे स्पष्टता से कहना पड़ेगा कि यह शख्स मुझ से ज्यादा वाकफियत रखता है कि इस काम में कैसा आदमी हो, क्या जरूरत है–यह टिक्कू को मालूम है । और विशेष रूप से मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि कहीं उसने यह नहीं दिखाया कि यह कोई नई चीज है जो वह कर रहा है । वह समझता था कि वह उसका कर्त्तव्य है...

एक माननीय सदस्य—सरकारी कर्मचारियों ने आपके यहां उखाड़-पछाड़ की ।

श्री अमरसिंह जसोल : No, no; बिल्कुल नहीं । मैं समझता हूं कि किसी सरकारी कर्मचारी या कान्स्टेबल ने कोई उखाड़ पछाड़ का काम नहीं किया । काम अच्छे कन्डक्ट से किया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसने जाहिर करना चाहा कि मैं तनख्वाह किसलिये लेता हूं, यह तो मेरा फर्ज है । इस भावना से काम किया है कि मैं सरकार का काम कर रहा हूं । इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं पूरे जिम्मेदाराना तौर से सिफारिश करूंगा कि ऐसे आदमी की कद्र करके उसे आई. ए एस. तो जरूर बनाना चाहिए । इसके दो नतीजे होंगे कि जिस किसी क्षेत्र में, जिस डिस्ट्रिक्ट में यह शख्स जायगा वहां अच्छा काम करेगा, जनता खुश रहेगी और सरकार के लिए अच्छा नाम पैदा करेगा । दूसरे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खत्ती-कुट्टी एक सी नहीं होती है, जो अच्छा काम करता है उसकी तरक्की होती है । मैं सिफारिश करूंगा कि इस शख्स को.......

श्री गिरधारीलाल व्यास : सिफारिश नोट करने वाला कोई नहीं है ?

श्री अमरसिंह जसोल :जी !

श्री गिरधारीलाल व्यास : सिफारिश नोट करने वाला कोई नहीं हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्थान): I am there

श्री अमरसिंह जसोल : "सिफारिश" के शब्द में उम्मीद भी रहती है । यह रिकार्ड में है। और रिकार्ड में भी न रहे

(श्री अमरसिंह जसोल)

तो हवा में रहेगा। और मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी कि मैंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया। जो कोई बुराई करता है तो मैं उसकी बुराई करने को भी कटिबद्ध रहता हूं। अगर अच्छा काम करता है तो मेरा कर्त्तव्य है कि मैं सदन के समक्ष उसे लाऊं और सरकार को बताऊं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि चूंकि मैं एक विपक्षी पार्टी का हूं, इस लिये मेरी सिफारिश से कहीं उसकी सर्विस बुक खराब न हो जाय। तो उसके पहिले सुखाड़ियाजी की सर्विस बुक खराब हो जानी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा कोई सरोकार नहीं है........

श्री गिरधारीलाल व्यास : Very fine!

श्री अमरसिंह जसोल : सिवाय टेली-फोन करने के मैं कभी बात नहीं करता। कभी किसी के घर नहीं जाता। कोई काम हो रहा है तो मैं देखता आता हूं, खुली आंख से देखता हूं और आदमी को पहि-चानता हूं। इसलिये कहना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपका थोड़ा समय और लूंगा।

मैं इसके साथ साथ जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां की कुछ क्षेत्रीय बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे पचपदरा की नमक इन्डस्ट्री सैंकड़ों वर्ष पुरानी है। इस इन्डस्ट्री का तरीका यह था कि सरकार ने, जोधपुर गवर्नमेंट ने अंग्रेजी सरकार को इसे लीज़ पर दे दिया था और वहां के लोगों के द्वारा जो नमक पैदा होता है एक साल के अन्दर वह सरकार खरीद लेती थी। पिछले कई वर्षों से यह नमक पूरी तादाद में खरीदा नहीं जा रहा है और इस कारण तीस लाख मन नमक का डिपोज़िट पड़ा है और सरकार कहती है कि तीन लाख मन नमक खरीदेगी। इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन है कि यह उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिनका जीवन-निर्वाह इस नमक इन्डस्ट्री के ऊपर निर्भर है। इस नमक की इन्डस्ट्री के ऊपर अमूमन दस हजार, पन्द्रह हजार आदमी पलते हैं, इस कारण यदि इस नमक को नहीं खरीदा गया, इसकी बिक्री नहीं हुई और इसको नहीं उठाया गया तो मैं समझता हूं कि यह इन्डस्ट्री ही बरबाद नहीं होगी बल्कि सबके सब लोग बरबाद हो जायेंगे। इसलिये मैं मंत्री मुत-ल्लिका का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा और निवेदन करूंगा कि आप कृपा कर उस का भी गौर रखिये और वहां की हालत को देखिये और जिस प्रकार उपमंत्राणी जी ने समस्यायें हल की थीं उसी प्रकार कृपा करके आप भी इस समस्या को हल करने की कोशिश कीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : यह क्या प्राइवेट टॉक है ?

श्री अमरसिंह जसोल : इसके साथ ही मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के लोगों की मांग है कि पचपदरा के अन्दर हायर सैकन्डरी स्कूल होना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इस ओर राज्य सरकार ध्यान देगी।

(श्री अमरसिंह जासोल)

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर दवाइयों की स्थिति खराब है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जब कभी बाडमेर जायं तो वहां हॉल्ट करें, वह बालोतरा रुकें। मैं अपील करता हूं कि वह वहां रुक कर शिकायतों को सुनें। वहां पर वार्ड नहीं हैं, इनडोर पेशन्ट्स के लिये, उसका ध्यान रखें। और शफाखाने में दवाइयां नहीं है, उसका प्रबन्ध करें। वहां पर जरूरी स्टाफ नहीं है, उसको देखें। और एक डाक्टर की नियुक्ति करना और लेडी डॉक्टर की नियुक्ति करना अत्यावश्यक है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर का जसौल के अन्दर पोस्टिंग किया जाय, ताकि वहां जनता को संतोष हो।

मैं सरकार से जसौल में एक हायर सैकन्डरी स्कूल या हाई स्कूल बनाने के लिये भी निवेदन करूंगा।

दूसरी बात मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा, मुझे दोहराना पड़ता है लेकिन यह विषय ऐसा है कि जब तक इसको दोहराया नहीं जावे मुझे बड़ी आशंका होती है, और मुझे आग्रहपूर्वक दोहराना पड़ता है कि हमारे यहां पर बड़ा भीषण अकाल पड़ा और उस अकाल के समय लोगों ने अपने जेवर वगैरा बेच कर अपना निर्वाह किया। अब उनसे तीन वर्षों की बीघोड़ी एक साथ वसूल की जा रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि दो साल की बीगोडी उनसे सस्पेन्स की गई उसको जल्दी से जल्दी रेमिशन में तब्दील कर दी जावे। मैं पूरा ठीक तरह से नहीं देख सकता, मैं समझता हूं कि उप मंत्री, रेवेन्यू यदि यहां पर हैं तो वे इस पर ध्यान देंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यहां पर मौजूद हैं।

श्री अमरसिंह जसोल : मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके मंत्रालय से एक आॅर्डर निकला है उसमें यह लिखा है कि यह सरकार के विचाराधीन है। मैं यह कहूंगा कि दो सालों की बिघोड़ी उनसे नहीं ली जावे। यह मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं और मैं समझता हूँ कि दूसरों की भलाई के लिये मुझे किसी के सामने कर बद्ध होकर प्रार्थना करनी पड़े तो भी मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं समझता हूं कि आप इस संबंध में मक्खन की तरह दिल को मुलायम करके सस्पेन्शन को रेमिशन में तबदील फर्मा दें।

एक चीज़ उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा फिर अर्ज करूंगा, आपके मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि आज उनके यहां पानी पीने को नहीं। वे लोग पानी कहां से लावें ? तालावों में पानी नहीं है। सात सात कोस पर कुए हैं उनमें पानी है, वहां से लाना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कृपा करके जल्दी से जल्दी वहां पर पानी की सुविधा उपलब्ध की जावे। एक दो जगह ट्यूब वेल्स खोदे गये। मगर मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार कार्य होना चाहिये और उनको खोदने में शीघ्रता होनी चाहिये और कर्त्तव्यानिष्ठा से काम होना चाहिये वह नहीं हुआ। वह ढीलम-ढालम तरीके से होता रहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि

(श्री अमरसिंह जसोल)

अगर रोटी नहीं हो तो चार दिन तक वगैर रोटी के चल सकता है मगर जहां पानी का प्रश्न है, लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता तो वह विना पानी नहीं जिन्दा रह सकता। जहां पर पानी नहीं मिलता और वहां पर इस प्रकार सरकार ढिलमढाली करती रहे तो मैं समझता हूं कि सरकार अपने कर्त्तव्य का नहीं पालन कर रही है। दो चार जगह कुएं खोदने का प्रयत्न किया मगर वहुत समय लगने पर भी वह काम पूरा नहीं हो पाया। मैं यह निवेदन करूंगा कि बड़ी शीघ्रता के साथ पानी की योजना को पूरा करवाया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

धन्यवाद।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने जो संतुलित बजट यहां पर प्रस्तुत किया, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। पिछले साल के आंकड़े जो आपने प्रस्तुत किये. पिछले साल का बजट भी घाटे का बजट था। पिछले साल जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति रही, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं ने बयान किया है, राजस्थान को अकाल की वजह से ६ करोड़ रुपये खर्च करने पड़े, डेढ करोड़ लगान माफ करना पड़ा और तकावी लोन्स एक करोड़ के देने पड़े। इतनी बड़ी रकम हमको अकाल के सम्बन्ध में खर्च करनी पड़ी जिसका कि प्रावधान पिछले बजट में नहीं था। आपने बताया कि पुलिस और खाद्य के सम्बन्ध में भी हमको अलग डिपार्टमेंट और कर्मचारी रखने पड़े, विजिलेन्स डिपार्टमेंट बनाया। इस प्रकार नये खर्चे बढ़े पर फिर भी पिछले बजट में घाटा नहीं रहा। पिछले साल इतने खर्च के बावजूद भी जब घाटा नहीं रहा तो इस साल जिस प्रकार आपने बजट प्रस्तुत किया, जिसमें ११ लाख रुपये की वढोत्तरी बताई है, उसको देखते हुए और नये टैक्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, पर फिर भी जिस प्रकार पिछले साल राजस्थान ने टैक्सों में वढ़ोत्तरी की है, तो इस साल अगर नये टैक्स इम्पोज़ नहीं करते तो भी हमारे बजट में घाटा नहीं रहता। लेकिन आपने फिर भी नये नये टैक्स लगाये हैं। खास तौर से दवाइयों पर जो टैक्स लगाया है उसका बड़े लोगों पर तो असर नहीं पड़ेगा लेकिन गरीब लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जिनको कि अस्पताल से भी दवाई नहीं मिलती है और डाक्टर लोग कहते है कि बाहर से ले आइये इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दवाइयों पर जो टैक्स आपने लगाया है, हालांकि दूसरे प्रांतों में आज ज्यादा टैक्स है और राजस्थान में कम होने की वजह से राजस्थान से दवाइयां बाहर जाती हैं। फिर भी मैं समझता हूं इस टैक्स का गरीब लोगों पर ज्यादा असर पड़ेगा। आपने यह भी कहा कि बिक्री कर के संबंध में भी आवश्यक संशोधन किया जायगा। मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे पिछले दफे गेहूं वगैरह

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पर २ प्रतिशत टैक्स लगाया था और बाद में कम किया था, तो ऐसे कोई टैक्सेज़ नहीं लगावें जिससे आम जनता को कोई नुक-सान हो ।

सरकारी कर्मचारियों को जो आपने ५ रुपये की वृद्धि महंगाई भत्ते में दी है उसकी प्रशंसा किये बगैर मैं नहीं रह सकता । लेकिन १५० रुपये से कम पाने वालों को आपने केवल ५ रुपये की वृद्धि दी है, जबकि ३०० और ५०० रुपये लेने वालों को १०) और १५) रु० की वृद्धि दी है । होना तो यह चाहिये था कि कम वेतन वालों को ज्यादा वृद्धि दी जाती और ऊंची वेतन वालों को कम दिया जाता । छोटे कर्मचा-रियों को ज्यादा राहत मिलनी चाहिये थी । वे ही सबसे ज्यादा दुखी हैं और उनको कोई राहत नहीं मिली है । स्लाईडिंग स्केल पर महंगाई भत्ता देना, छोटे को थोड़ा और बड़ों को ज्यादा यह न्यायसंगत नहीं है । थोड़ा वेतन वालों को भी १० रु० से १५ रु० तक की वृद्धि दी जाती तो अच्छा रहता।

इसके अतिरिक्त आपने पेन्शन्स वगैरह का जिस प्रकार से प्रावधान किया है , कम से कम पेन्शन जो मिलती थी उसको आपने २५ से ३० रु० कर दिया है और साथ ही अन्धे, लूले, अपाहिज लोगों के लिये कोई प्रावधान नहीं था उनको भी पेन्शन दी है, यह आपका कार्य प्रशंसनीय कार्य है । पर जहां तक हम इन बातों पर विचार करें तो ऐसा देखने में आता है कि सरकारी कर्मचारियों के पेन्शन के केसेज़ भी जब तक वे मर जाते हैं तब तक डिसाइड नहीं होते, तो ऐसे लोग जिनकी कोई पहुँच नहीं, जो समझते नहीं, वे किस प्रकार पेन्शन पा सकेंगे, इस सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार का प्रावधान किया जाता तो अच्छा रहता । कल ही एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राज्य सरकार की तरफ से इसमें प्रबन्ध किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । आपने कहा था कि माननीय सदस्य भी इसमें मदद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार और माननीय सदस्यों की तरफ से इस कार्य में मदद हो और जो लोग अन्धे, लूले, अपाहिज हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जायगा तो ज्यादा अच्छी बात होगी ।

तीसरी पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो कटौती की गई और जिसके सम्बन्ध में अपोजिशन के नेता महोदय ने कहा कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में कटौती कर दी, इसके बावजूद भी टैक्सेज़ से जितना पैसा इकट्ठा करना था वह इकट्ठा किया और सेविंग्स, लोन वगैरह से पैसा इकट्ठा किया गया पर जमीनों की बिक्री, बेटरमेंट लेवी से पैसा नहीं मिला इसलिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कमी करनी पड़ी ।

पिछले साल या दो तीन सालों में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के साल हैं, उनमें बेटरमेंट लेवी और जमीन की आमदनी के आंकड़ों का यदि ध्यान रखते कि इसमें इस प्रकार की कठिनाइयां आयेंगी और हम रकम इकट्ठी नहीं कर सकेंगे तो जिस प्रकार हम योजना पूरी करना चाहते थे

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इसमें इस प्रकार की कठिनाई नहीं आती और तीसरी पंच वर्षीय योजना सुचारु रूप से चल सकती।

परसों के रोज अपोजिशन के लीडर ने भावना व्यक्त की कि हमारी प्लान बड़ी एम्बिशियस है, हम ठीक प्रकार से नहीं सोचते। पर हमारी योजनाएं एम्बिशियस नहीं होंगी, तेजी से हम नहीं बढ़ायेंगे, राजस्थान की तरक्की की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रान्त आगे नहीं बढ़ सकेगा। आपने इस बात का जिक्र किया कि राजस्थान का प्रोडक्शन निरन्तर गिरता जा रहा है। जिस प्रकार के हालात राजस्थान में हो रहे हैं, बरसात की कमी हो रही है, जिसकी वजह से कम प्रोडक्शन हुआ है, इसकी जिम्मेदारी वर्षा पर है। तो उन आंकड़ों से जो आंकड़े उन्होंने रखे उनसे यह महसूस कर लिया कि प्रोडक्शन घट रहा है, मैं इसको नहीं मानता। क्योंकि हमारे राजस्थान में वर्षा पर ही अधिक प्रोडक्शन निर्भर करता है।

इसी प्रकार फूड ग्रेन्स के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में फूड ग्रेन्स के बारे में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा। दो सालों में फूड प्राइसेज़ बढ़ी हैं, उनको देखें तो पहले जो कीमतें थी, उनसे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इन्हें बढ़ने से रोकना है तो राजकीय तौर पर व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के इस बजट में किसी प्रकार का प्रबन्ध नहीं है, किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है जिससे कि प्राइसेज़ को चैक कर सकें। दूसरी स्टेट्स ने अपने बजट्स में बफर स्टॉक्स का प्रावधान रखा है, कई स्टेट्स ने तो लाखों मन अनाज खरीद कर बफर स्टॉक रखने का प्रावधान किया है। इस प्रकार का कोई प्रावधान हमारे वित्त मंत्री महोदय ने हमारे बजट में नहीं रखा है तो इससे जाहिर होता है कि राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया, कीमतों को रोकने में कोई सहयोग नहीं मिला। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का प्रावधान बजट में रखना पड़ेगा जिससे कि राज्य सरकार अनाज खरीद कर राजस्थान के लोगों को सस्ता अनाज दे सके।

यदि कीमतें घटती नहीं हैं, फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर से कीमतों को हम चैक करना चाहते हैं, इसके बावजूद भी बढ़ती जा रही हैं तो हमें चाहिए कि यह व्यापार स्टेट के द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाय। स्टेट ट्रेडिंग के बारे में खाद्य मंत्रीजी ने एक रिमार्क सदन में रखा, जो समाजवादी सरकार के लिए शोभाजनक नहीं है। अगर कीमतों को रोकने के सभी प्रकार के प्रयास करने पर भी कीमतें बढ़ने से नहीं रुकती हैं तो हमारी स्टेट का फर्ज हो जाता है कि स्टेट ट्रेडिंग से उनको रोकें। चाहे वह स्टेट ट्रेडिंग फूड ग्रेन्स का कर सके या नहीं कर सके, नहीं कर सकने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, हमारे पास मशीनरी है, हम उस मशीनरी का इस प्रकार डालें कि उस मशीनरी के जरिये बढ़ती हुई कीमतों को रोकें स्टेट ट्रेडिंग करें। जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकने का यही उपाय है जिससे लोगों को जरूरत की

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

चीजें ठीक तरह से सस्ते भावों पर मुहैया कर सकते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन करना है कि ट्रान्स्पोर्ट के नेशनलाइज़ेशन का बार बार सवाल उठता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम नेशनलाइज़ेशन में विश्वास करते हैं तो ट्रान्स्पोर्ट को नेशनलाइज़ करने के लिये हमें पूरे कदम उठाने होंगे, ट्रान्सपोर्ट के बारे में नेशनलाइज़ेशन का दृढ़ विचार रख कर आगे बढ़ना चाहिए।

पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस चल रही थी तो मैंने कहा था कि तमाम ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज करके गुड्स ट्रान्स्पोर्ट को भी नेशनलाइज करना चाहिये, जिससे हमारी आमदनी बढ़े और नये टैक्स लागू नहीं करने पड़ें।

इसी प्रकार माइनिंग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो माइन्स लाभप्रद हैं, उन माइन्स को राज्य सरकार को चलाना चाहिए जिनको राज्य सरकार द्वारा चलाने पर ज्यादा लाभ मिल सकता हो। ऐसी माइन्स को नेशनलाइज करने से राज्य की आमदनी बढ़ेगी। हमें नान टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिए। हमारे भीलवाड़ा जिले में अभ्रक की खानें चलती हैं और दूसरे लोग कमाई करते हैं। वहां लोगों को आठ-आठ, दस-दस महीनों तक लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है, वे मजदूरों की आठ-आठ, दस–दस महीनों की पगारें खा-खा कर खानें चलाते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा मजदूरों का शोषण कराया जाता है। सरकार को इस प्रकार की माइन्स को नेशनलाइज़ करके अपने द्वारा चलाया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री दलपतसिंह (आबू) : None of the Minister is present in the House.

श्री गिरधारीलाल व्यास : ट्रान्सपोर्ट के लिए एक कोर्पोरेशन बनाई गई, उसके हाथों में व्यवस्था दी गई। पर व्यवस्था कॉर्पोरेशन के हाथ में देने से कोर्पोरेशन के कौन-कौन सदस्य बने, कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नेशनलाइज़ेशन में विश्वास है, जिनका नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में विश्वास है या नहीं। सेठ लोग जो नेशनलाइज़ेशन में विश्वास नहीं करते ऐसे लोगों को रखने से कॉर्पोरेशन आगे नहीं बढ़ सकती और जो व्यवस्था हम करना चाहते हैं वह आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो लोग नेशनलाइजेशन में विश्वास रखते हैं उनको इस कॉर्पोरेशन में लिया जाय ताकि कॉर्पोरेशन का काम आगे बढ़े और राज्य को ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो सके।

बैंक्स के सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब तक इन बैंक्स पर राज्य का कन्ट्रोल नहीं होगा तब तक प्राइसेज़ नहीं गिरेंगी। मनमाने ढंग से व्यापारी सौदेबाजियां करते हैं, जिनके कारण भाव बढ़ते हैं तो बढ़ते हुए भावों को रोकने के लिए बैंक्स पर कन्ट्रोल करना पड़ेगा। बैंकों पर कन्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक भावों की

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बढ़ोत्तरी रुकेगी नहीं और गरीबों को राहत मिलेगी नहीं ।

ठेकेदारी प्रथा के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि पी० डब्लू डी० के अन्दर, इरिगेशन के अन्दर ठेकेदारों द्वारा काम कराया जाता है । जहां तक मेरी जानकारी है ठेकेदार लोग खुद २०-२५ प्रतिशत मुनाफा कमाते हैं काम भी खराब होता है और बहुत से सरकारी कर्मचारियों पर दोष लगता है । इस तरह से स्टेट का काम ठीक तरह से नहीं हो पाता इसलिए ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाय । इसमें स्टेट का कोई कॉर्पोरेशन बनना चाहिए, उसके द्वारा यह काम किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : भारत सेवक समाज को दे दें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नहीं । सरकारी मशीनरी द्वारा कॉर्पोरेशन बनाकर कराया जाय ताकि आमदनी बढ़े । इसी प्रकार प्रिवी पर्सेज़ और जागीरदारों के मुआवजे के बारे में यह निवेदन करना है कि जागीरदारों का मुआवजा जो भी दिया जा रहा है पहले स्टेट के फंड में से दिया जाता था । अब से वित्त मंत्री महोदय ने इस संबंध में अलग लोन खड़ा करके उस पैसे के द्वारा यह मुआवजा दिया जायगा । इन प्रिवी पर्सेज और जागीरदारों के मुआवजे के रूप में कितनी रकम राज्य सरकार को देनी पड़ती है और इस वजह से जनता को टैक्स देना पड़ता है, इन सब बातों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए । समाजवादी समाज में इस प्रकार जनता का पैसा इन बातों पर खर्च किया जायगा तो उससे लोगों को बड़ी कठिनाई महसूस करनी पड़ेगी ।

श्री भैरोंसिंह : आप स्पष्ट कर दें कि बाकी जो थोड़े से जागीरदार हैं उनको मुआवजा न दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरी तो शुरू से यही इच्छा थी, अब भी यही राय है लेकिन कोई सुनता नहीं है, फिर भी अपनी बात को दुहराता रहता हूं । मंहगाई भत्ते में वित्तमंत्री ने वृद्धि की है १५०) रु० तक और ५४०) तक; लेकिन जो सरकारी कर्मचारी पी० डब्लू० डी० और इरिगेशन के अन्दर या सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं या जो वर्कचार्ज्ड स्टाफ है, उनके संबंध में कोई प्रावधान नजर नहीं आता है, इस बारे में भी वह ख्याल रखें ।

शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने काफी तरक्की की है, लकिन गांवों के संबंध में सरकार का उदासीन व्यवहार रहा है जिसकी वजह से जितने भी स्कूल गांवों में खुले हैं उनमें या तो साधनों का अभाव है या विषयों का अभाव है (घंटी) मिडल स्कूल्स और हायर सैकंडरी स्कूलों में जो गांवों में हैं किसी में भी आपको साइन्स विषय नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा जिनकी वजह से गांव वालों को टैक्नीकल लाइन्स में आने का अवसर नहीं मिलता । इसलिए गांवों के प्रति आप उदासीनता नहीं बर्तें और इस प्रकार के विषय गांवों में भी पढ़ाये जायं । प्राइमरी स्कूल आपने गांव गांव में खोलें लेकिन उसके साथ साथ आप उनकी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हालत देखें, वहां दरियां नहीं है, साधनों का अभाव है जिसकी वजह से स्कूल अच्छी तरह से नहीं चल सकते । दूसरी तरफ शहरों में भी स्कूल्स चलते हैं, इंग्लिश स्कूल्स, जिनको सरकार ९० प्रतिशत एड देती है और बड़े बड़े आदमियों के लड़के उन स्कूलों में पढ़ते हैं क्योंकि उनमें बड़ा खर्चा लगता है, वहां गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता । ९० प्रतिशत एड के बावजूद भर्ती होने का तरीका गरीब लोगों के लिए ओपन नहीं है, फीस माफ नहीं हैं । तो यह भेदभाव की नीति खत्म होनी चाहिए । सरकार को यह चाहिए कि या तो इंग्लिश स्कूलों को ओपन कर दिया जाय या गरीब से गरीब बच्चा भी उसमें भर्ती हो जाय । इन दोनों

(घंटी)

तरह के स्कूलों को एक ही कैडर में रखा जाय ।

तनख्वाहों के संबंध में भी समाजवादी समाज में जो डिस्पेरिटी इस वक्त बनी हुई है वह खत्म होनी चाहिये । एक तरफ तो लोगों को तीन हजार मिलता है और दूसरी तरफ ६०-७० मिलता है । हमारे समाजवाद में इस प्रकार की डिस्पेरिटी शोभाजनक चीज नहीं है । कम से कम तनख्वाह पाने वाले को १००)रु. मिलें और ज्यादा से ज्यादा १०००)रु. मिलें । इस प्रकार का प्रावधान हमें करना चाहिए, लेकिन अब तक कोई तरीका अख्तयार नहीं किया गया

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस प्रकार का डिपार्टमेंट है जो सरकार को आमदनी देता है और जिसके द्वारा लोगों को राहत मिलनी चाहिए । सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी जमीनें काश्तकारों को दी गई हैं जो बिना नाम के थीं और अलॉट कर दी गई हैं लेकिन पटवारी या अन्य कर्मचारी लोग, जिनका कर्त्तव्य है कि उनके नाम पर जमीनें दर्ज करें, लगान वसूल करें, वे ऐसा नहीं करते । बहुत सी जगह इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे । यदि जमीन रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होगी तो लगान वसूल नहीं हो पायेगा और सरकार की बहुत सी रकम बाकी रह जाती है ।

पिछली बार माननीय सदस्यों ने कहा था कि भीलवाड़ा के अन्दर कलेक्टर महोदय ने सरकारी जमीन अपने रिश्तेदार को दे दी और वह आदमी उस जमीन को दबा कर लाखों रुपये का नाजायज फायदा उठा रहा है । तो इस प्रकार जो अफसर गड़बड़ी करते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठा कर राज्य की आमदनी के नुकसान को बचाया जाय ।

आपने टैंक्स पर जागीरदारों को कब्जा दे रखा है । या तो जितने भी तालाब आप जागीरदारों के मानते हैं उनको मुआवजा देकर सरकार के कब्जे में कर लेने चाहिए या इस प्रकार कानून बनाकर जो टैंक्स बने हुए हैं उन पर किसी जागीरदार का कब्जा न मानकर सरकारी मान लिया जाय ताकि जितना पानी का सवाल है या जमीन का सवाल है, जो मसले जागीरदारों और कृषकों के बीच में वर्षों से चले आ रहे हैं वे समाप्त हों ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : काश्त तो कर सकते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : इरिगेशन चार्जेज़ के संबंध में बहुत बड़ी गड़बडी है। यहां पर कानून बना हुआ है कि ३ पाण पानी पूरा देने पर चार्जेज वसूल किये जायं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस प्रकार की अव्यवस्था इरिगेशन डिपार्टमेंट में फैली हुई है। हजारों बीघा जमीन दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, ६५-६६ के अगले साल का खर्चे का एक तखमीना अन्दाज़िया वित्त मंत्री ने सदन के सामने रखा है। यह अन्दाजिया तखमीना जरूर होता है, लेकिन उसके साथ पहले जो खर्च के लिए इजाजत ली वह हिसाब भी रखना जरूरी होता है। दो साल खत्म होने को आ रहे हैं। सन् ६३-६४ और ६४-६५ के हिसाब अब तक सदन के सामने नहीं आये हैं। जो कुछ अधिकारपूर्ण बात कही जाती हैं वह ६२-६३ के फाइनेन्स अकाउन्ट और एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स के आधार पर ही कही जा सकती हैं। पिछले दो साल में क्या हुआ, कोई कह नहीं सकता। आपने ६२-६३ का हिसाब बताया। सदन में मांग की थी तो यह बताया कि ६१ करोड़ रुपया खर्च कर चुके और इतनी ही आय आपने बतायी थी। उस आमदनी को देखें। आय का हिसाब और खर्च का हिसाब जो देखा गया या बताया गया इतना घाटा हुआ और इतने टैक्स लगे, शायद टैक्स से आमदनी हुई हो। खर्च आपने कम किया। कहां कम किया, यह देखने का प्रश्न है। हमने जो खर्च कम किया उसमें कोई ज्यादा अक्ल नहीं लगायी गई। एक तो कर्ज चुकाने के लिए एक राशि रखी गई थी उसमें से १ करोड़ ११ लाख चुकाये नहीं। नहीं चुकाये, यह बुद्धि से बचा लिया हो, ऐसा नहीं है। आज नहीं कल वह तो चुकाना ही है। दूसरा, ८ करोड़ रुपया ६२-६३ में रखा था उसमें से ६ करोड़ रुपया चुकाया और २॥ करोड़ के आस-पास बचत बतायी। मैं इसको बचत नहीं मानता। कर्ज नहीं चुका तो उस पर तो ब्याज बढ़ेगा।

इसी प्रकार निर्माण कार्यों में खर्च करने के लिए जो धन राशि रखी थी उसमें से १॥ करोड़ की बचत बतायी। जो स्टॉफ रखा और संचालक मंडल का उसके खर्चे में कोई कमी नहीं हुई। देश में निर्माण के कार्य होने चाहिए थे, हॉस्पिटल, स्कूल और तहसील की बिल्डिंग्ज़ बननी चाहिए थीं, पटवारियों के मकान आदि बनने चाहिये थे; वे आपने नहीं बनाये; पैसा बचा लिया, लेकिन ऊपर का खर्चा, एस्टेब्लिशमेंट का, वह कम नहीं हुआ। बचत क्या है आखिर ? कर्ज नहीं चुकाया, सार्वजनिक निर्माण कार्यों में धन नहीं लगाया-बचत की, तीन मदों में बचत की। समाज कल्याण में बचत की बड़ी बुद्धि का काम किया।

बहरे गूंगों आदि के लिए जो स्कूल खोलना चाहिये था और जिसके लिए प्रोविज़न किया था वह आपने शत-प्रतिशत रुपया बचा लिया और कोई प्रबन्ध नहीं किया। आपको कोई फिक्र नहीं है कि अन्धे बहरे, गूंगों के लिए कोई स्कूल खुले। उनके

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

प्रति आपकी हमदर्दी नहीं है । इसी तरह से घुमक्कड़ जाति के लिए पैसा रखा था उसमें से ६५ प्रतिशत आपने बचा लिया । घुमक्कड़ जाति जंगलों में मारी मारी फिरती रहे, उसको बसाने का वित्त मंत्रीजी को फिक्र नहीं है । आप अन्धों को, बहरों को, गूंगों को शिक्षा नहीं देना चाहते, कर्ज का रुपया नहीं चुकाना चाहते और ब्याज का भी नहीं । सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए रखे गये पैसे में बचत, समाज कल्याण के कार्यों के लिए रखे गये पैसे में बचत ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : काम नहीं चाहते हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ईश्वर न करे, आस-पड़ौस और आपके घर में ही जरूरत न पड़ जाय । जब अंधे, बहरे और गूंगों को सड़कों पर देखते हैं तो हृदय पसीज जाता है ।

श्री अब्दुलजब्बार : पड़ौस में देखा है तब ही कहते हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वित्त मंत्रीजी को अन्धे, बहरों, गूंगों के लिए पैसा खर्च करना चाहिये । उनको शिक्षा दीजिये । उसके लिए बचत मत कीजिये । अन्धों के साथ आपकी कोई हमदर्दी नहीं है, आपको कोई उनके प्रति दर्द नहीं है ।

श्री अब्दुलजब्बार : बर्बाद कौन कर रहा है ? आप बचा रहे हैं या आप ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कही जाती है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विकास देश में नहीं हो पाया है । भारत सरकार काफी खर्च कर रही है और दे रही है । कहीं ६२ प्रतिशत, कहीं ५० प्रतिशत और कहीं ६५ प्रतिशत । ६२-६३ के आंकड़ों से प्रकट है कि आपने उस साल में इस विकास के निमित्त रखी गई धन-राशि में से बचाया है । न उनके लिए कुए खुदवाये गये, न बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दी, हो सकता है कि एक-आध आदमी के बच्चे को दे दी । वह भी सैकड़ों रुपया माहवार-सौ-प्रतिशत तो उससे क्या ? जो भी आपने प्रावधान उसके लिए रखा था, हालांकि वह भी संतोषजनक नहीं था, फिर भी आपने उसमें से पैसा बचा लिया । हो सकता है आपके सामने वे लोग आकर न बोल सकें । शिड्यूल्ड कास्ट के लोग बांसवाड़ा, डूंगरपुर से यहां चल कर नहीं आ सकते हैं । सवाई-माधोपुर में रहने वाला मीणा आपके पास आकर न कह सके । जो कुछ रुपया रखा उसमें भी बचत करके बजट फायदे का दिखाया । इस तरह की बचत शोभनीय नहीं है ।

और बचत क्या दिखायी ? एक तरफ कृषि उत्पादन का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ कृषि उत्पादन के कार्यों में, कृषि के लिए नये नये अन्वेषण हो सकते हैं उनमें बचत की है । १७ लाख रुपया बचाया ६२-६३ में ।

(२.५५. म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

(श्रीगोलकु प्रसाद शर्मा)

कृषि के विकास के लिए ४.३३ खर्च किये जा सकते थे उनमें आपने सोचा बचत की जाय। कृषि के मद में बचा कर राज्य का विकास किया। ३०-४० लाख रुपया कृषि अनुसन्धान के मद में बचत की। कृषि के डाइरेक्टर आॅफिस में खर्चा बढ़ा है, वहां नहीं घटा है। डाइरेक्टर साहब यहां बैठे २ डंडा घुमा देंगे और आप घुमा देंगे, बस हो गया कृषि का विकास। डाइरेक्टर के ऑफिस का खर्चा बढ़ गया, लेकिन दूसरा खर्चा नहीं किया गया। किसान तो मूक हैं, बोलते नहीं। पशु-पालन और उनकी चिकित्सा के मामले में पैसा कम खर्च किया, दवाइयों में खर्चा कम किया, गांवों में जानवरों के लिए अस्पताल नहीं खोले, इन कामों में पैसा बचाया और करीब पांच करोड़ की बचत कर ली। वह बात पांच करोड़ की हुई, लेकिन अक्ल की बचत नहीं हुई। सुस्ती से बैठ कर काम करने वाले हैं उनकी सुस्ती हटाने की चेष्टा नहीं की जिससे वे राजस्थान के विकास में हाथ बंटा सकें। वित्त-मंत्रीजी इससे काम नहीं चलेगा। ब्याज चुकाने में बचत; मूक, गूंगे, बहरे, अंधों की शिक्षा के लिए रखे गये पैसे में बचत, सार्वजनिक निर्माण के कार्य में बचत। आय कहां कम हुई है, यह सोचने की बात है। आय में कमी आयी है वह आयी है दो तीन जगह। एक या तो भारत सरकार से वक्त पर पूरी सहायता नहीं ले पाये जिसके लिए आपने यह लिखा कि अगले साल कुछ ले पायेंगे। एक लोगों को कर्जा दे रखा है उसमें से ब्याज की जितनी राशि चाहते थे वसूल कर पायेंगे वह नहीं कर पाये। इससे आय कम हुई। ब्याज पर कर्जा लोगों को देते हो, लाखों रुपया देते हो, लोगों से वसूल नहीं कर पाते और यह दंड हमारे ऊपर लगाना चाहते हो कि रुपयों की जरूरत पर टैक्स हमारे ऊपर लगे। वे कर्जा न चुका पायें, ब्याज न चुका पायें और हम टैक्स चुकायें, यह अच्छी बात नहीं।

कर्ज के लिए मुझे यह कहना है कि ६२-६३ में १ करोड़ रुपया कर्ज का ब्याज वसूल नहीं कर सके। एक करोड़ रुपया ब्याज का नहीं दिया इसलिए उसको कम कर दिया। ६३-६४, ६४-६५ और ६५-६६ में भी कम कर दिया होगा। कर्जा देते जाओ और ब्याज नहीं लेओगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : वह आदमी ढूंढे नहीं मिलता जिसको कर्जा दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : सही बात यही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं।

५०-५१ से जब से फाइनेन्स अकाउन्ट बनाये कर्ज में कितना रुपया बाकी है वह आपने अकाउन्ट नहीं बनाये। गलत होऊं तो आप बता दीजिये। यह ब्याज की रकम है ३४ करोड़ ५८ लाख रुपया जिनको आपने कर्जा दिया है उनमें बाकी है। ३५ करोड़ रुपया आप ब्याज का रख दें, १८ करोड़ रुपया लैंड रेवेन्यू और दूसरे हिसाब का वसूल करना बाकी रखें, इस तरह से

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

५० करोड़ से ऊपर लोगों में बाकी है रुपया और हम से टैक्स लगवाते हैं और आप उनसे वसूल नहीं कर सकते, जिनमें मांगते हैं। वित्त मंत्रीजी, यह किसी तरह शोभनीय नहीं है भले पुरुष के लिए। लेन्ड रेवेन्यू का, जब राजस्थान बना था उस समय.......

(३ म. प.)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे तो हैं ही नहीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हैं, इसीलिए तो बाकी नहीं रहेगा, आ जायगा। हैं इसीलिए पैसा वसूल होगा। जब राजस्थान बना, ३०-३१ लाख रुपया लैन्ड रेवेन्यू का बकाया था वह भी उन लोगों में था, जो फोर्मर राजस्थान के वक्त में जागीरदार जमीन लेकर बैठे थे, लगान नहीं देते थे, उनमें बकाया था। उनको राइट ऑफ कर दिया। अब वह लैन्ड रेवेन्यू की बकाया धीरे धीरे बढ़ कर ९ करोड़ रुपया हो गई। यह जो आपने बढ़ाया है वह किसानों में बाकी नहीं है। अगर किसानों में बाकी होती तो पटवारी उसके मकान के कड़ी लगा देता। उसके मकान के आगे पटवारी बैठा रहता उसके साथ उसका चपरासी उसके बाद तहसील इन्स्पेक्टर, लगान, किसान से लगान की रकम एकदम बसूल कर लेता। लेकिन यह जो बकाया है उनमें है जिनको हम जागीर बोण्ड भी दे रहे हैं उनमें बकाया है। जागीरी बोण्ड का पैसा दे रहे हैं उस पर ब्याज भी दे रहे हैं; मैं बराबर कहता जा रहा हूं इसमें हमें घाटा होगा। सवा करोड़ रुपया वसूल नहीं हो सका। उसको राइट ऑफ करिए अकाल के इलाके का है। यह जो ९ करोड़ रुपया है वह आप जागीरदारों से वसूल नहीं कर पाते जब कि हम उनको जागीर बोण्ड पर बराबर ब्याज देते जा रहे हैं। पुरानी रियासतों ने किसी ने लगान नहीं छोड़ा, आप छोड़ते जा रहे हैं, यह उचित नहीं है।

सिंचाई के मामले में पैसा बाकी है वह भी एक करोड़ के आस-पास है, वह भी उन्हीं लोगों में है। वाटर वर्क्स का ढाई करोड़ रुपया बाकी है। अगर छोटे आदमी में वाटर का पैसा बाकी हो तो २५ पर्सेन्ट ज्यादा लगाकर उससे वसूल कर लिया जाता है, नहीं तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन यह जो ढाई करोड़ रुपया बकाया है वह या तो उन नगरपालिकाओं में जहां पर आप रहते हैं शहरों में, इसलिए नगरपालिकाओं को छोड़ देते हैं दूसरा राजाओं से बाकी है और किसी व्यक्ति में बाकी नहीं। यह आप तीन करोड़ रुपया बाकी है वह वसूल क्यों नहीं करते, यात्री कर का जो बकाया है; मैं बस से गवर्नमेंट होस्टल से चढ़ कर आता हूं तो मेरे से चार पैसे टैक्स के वसूल कर लेते हैं, वर्षों से लेते आ रहे हैं, उसको लेकर जो घर पर बैठ जायं और आप उनसे वसूल नहीं कर सकते यह बड़ी शर्म की बात है। इससे मालूम पड़ता है आप में हिम्मत नहीं तो फिर टैक्स किस आधार पर लगा दिया? अजमेर से ज्यों ही कोई

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बैठता है उससे ४५ पैसे टैक्स के वसूल कर लिए जाते हैं, लेकिन वे आपको नहीं देते, इस तरह से वे हजम कर जायेंगे। सन् ५९ से ले रहे हैं, लेकिन लोगों में जो इस प्रकार का करोड़ों रुपया बाकी है उसको वसूल नहीं कर पा रहे हैं, असेसमेन्ट ही नहीं कराते हैं वे लोग।

मैं यात्री कर को जजिया कर का नाम देता हूं। सिटी बस से यदि मैं दस मर्तबा गवर्नमेंट होस्टल से शहर आता हूं, तो वह दस बार मेरे से यात्री कर लेगा, साथ में दस आदमियों को लाता हूं तो दस आदमियों से भी यात्री कर के पैसे वसूल होंगे। इस तरह से मेरे और दस आदमियों से आठ रुपया वसूल कर लिया लेकिन दूसरी तरफ एक लखपति आदमी है, आप हैं जो कार में बैठकर आते हैं और साथ में दस आदमी बैठाकर लायें तो उस पर कोई यात्री कर नहीं। क्या इसको समाजवादी राज्य मानना चाहिए ? आप जहां बस में बैठने वाले दस आदमियों पर जितनी बार आयगा उसको टैक्स देना होगा उसी तरह आपकी कार में कोई बैठकर आता है उससे भी वसूल करना चाहिए। आज १२ हजार कारें सड़कों की छाती पर दौड़ रही हैं, एक एक कार से १५० रुपये मासिक भी यात्रा कर के रूप में वसूल करते हैं तो सालाना दो करोड़ से अधिक आमदनी हो सकती है। दो करोड रुपए आसानी से पैदा कर सकते हैं लेकिन आप उनसे लेंगे नहीं क्योंकि आप पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, आप समाजवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, अगर रखते तो निश्चय ही इन पर टैक्स लगाते। मेरी जेब में पैसा नहीं मुझ से टैक्स का पैसा लेंगे, यह भला काम नहीं, मैं इसको समाजवाद की व्यवस्था नहीं कहता। आपके अन्दर कुछ है और बाहर कुछ इससे ऐसा प्रतीत होता है।

एक माननीय सदस्य : उन पर तो डबल हो गया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अगर कारों डबल पर हो जाता तो कारें रखना भूल जाते। इन कार वालों से एक सीट का पचास रुपया करीब लिया जाता है पांच सीट वाली या सात सीट वाली........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बस तो दस पैसे ले लेती है एक फर्लांग पर

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सिटी बस से चल कर अकेले जब आते हैं तब १६ पैसे टिकट के वसूल किए जाते हैं, जब विधान सभा सदस्यों के लिए बस आती है उसमें हमसे पन्द्रह पैसे चार्ज करते हैं। इस तरह से एक पैसे की छूट देते हैं एम० एल० ए० होने के नाते। वे एम० एल० ए० की कीमत एक पैसे की आंकते हैं, एक पैसे के आदमी समझते हैं इसलिए एक पैसा कम करके आपसे चार्ज करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि पुरानी बकायात जितनी यात्री कर की हैं वह वसूल की जानी चाहिए।

ब्याज की रकम कितनी होती है सब एक साथ ही बता दूं, ३४ करोड़ से तीस करोड़ नहीं होने वाले हैं। आपका इतना

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

पैसा व्याज का बकाया है यह अच्छे राज के लिए शर्म की बात है। सन् ५२ से पैसा दिया है तो उसका ब्याज का पैसा आप वसूल नहीं कर पाए। आप इन पैसों को वसूल क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट ब्याज नहीं देते हैं यही उसका कारण है बड़े बड़े अफसरों ने मकान के लिए, कार के लिए कर्जा लिया है वे आपको ब्याज नहीं देने वाले हैं न देते हैं और इसी तरह से आज तक उन्होंने ब्याज नहीं दिया। छोटे कर्मचारियों से ब्याज वसूल हो जाता हैं, ऐसे कर्मचारियों में केवल ९ लाख रुपया बकाया है, अपनी इस बकाया के वसूली से बचने के कारण उनको तीस करोड़ की आय की परवाह नहीं है। माननीय वित्त मंत्री हां या ना तो कहें, इतना धन छिपा कैसे रह गया अगर मैं गलत कहता हूं तो मुझे कह दीजिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : वित्त मंत्री जी तीन साल पहले नहीं थे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ६२-६३ से बराबर हैं।

बजट में कुछ पे के बारे में भी बात-चीत रखी है उसमें १५० रुपये से कम वेतन पाने वालों को २५ रुपया मिलेगा। और १५० से ५४० तक ५७५ की पे होगी उसको डिफरेन्स मिलेगा। पहले में तो रिवाइज्ड पे लिखा है दूसरे में संशोधित वेतन नहीं लिखा है। यह कौन से वेतन का होगा यह आप बता दें। आपने कह दिया कि १५० से कम पाने वालों को २५ देंगे और १५० से ५४० तक पाने वाले को ३५ देंगे। वह रिवाइज़्ड पे स्केल का देंगे या किसका देंगे, यह नहीं बताया।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : वह हिन्दी के भाषण में है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हिन्दी की तो आपने हिन्दी कर डाली।

श्री बालकृष्ण कौल : वह भी रिवाइज्ड का है। पैरेग्राफ ३६ को देखिए जिसमें लिखा है वेतनों के रिवाइज्ड स्केलों में जिन कर्मचारियों की १५० रुपये मासिक या इससे कम वेतन मिलता है, उनको कुल २५ रुपया माहवार मंहगाई भत्ता दिया जायगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : १५० से ५४० रुपये तक के मासिक वेतन के लिए कहां है ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसी में है वेतन रिवाइज्ड पे स्केल के अनुसार है डेढ सौ रुपया, उनको २५ रुपया माहवार दिया जायगा। उसी के अनुसार आगे के लिए भी है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : लेकिन इसमें नहीं है। इसमें आपने रिवाइज्ड नहीं लिखा है।

और अब आप कहते हैं तो बहुत अच्छी बता है!

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

अब जहां तक टैक्सों का प्रश्न है, टैक्स हमने जो लगाये हैं, वे कुछ ठीक मालूम नहीं होते ।

हमारे टैक्स लगे हैं । एक तो वह यात्री कर के बारे में है । आप कहते हैं इससे १६ लाख रुपया आवेगा । आपकी इन्कम और बढ़ सकती है । आप माल ढोने वाले ट्रकों को क्यों नहीं ले लेते हैं ?

आपने अपने बजट में एक बात कही है कि लोग अनाज को इधर-उधर ले जाते हैं और इस तरह से टैक्स की चोरियां करते हैं और इसको रोकने करने के लिये सरकार को पुलिस वगैरह पर अधिक खर्चा करना पड़ता है , आप यह क्यों नहीं करते कि ट्रकों का भी राष्ट्रीयकरण कर लो तो यह खर्चा भी आपको नहीं करना पड़े, और एक दाना चोरी नहीं हो । एक मील सड़क बनाने में चालीस-पचास हजार हम खर्च करते हैं, दूसरा आदमी उस पर अपनी गाड़ियां चलाकर पैसा कमावे । अगर आप इसे नेशनलाइज़ कर दोगे तो फिर चोरियों से कैसे ले जावेगा कोई, बैलगाड़ियों से अगर ले जावेगा तो कितना ले जावेगा । कहां ले जावेगा? आप उधर पुलिस वगैरह का खर्चा बढ़ावेंगे, पर असल रोक नहीं करेंगे । आप राष्ट्रीयकरण ट्रकों का कर लीजिये, सारी चोरी बन्द हो जावेगी ।

अब आपने आबकारी कर बढ़ाया । आबकारी कर बढ़ाइये । आपने इसमें देशी शराब लिखा है, उस पर बढ़ाया है, पर विदेशी शराब का क्या मामला है ? इसमें नहीं बढ़ाया । उन पर भी बढ़ाना चाहिये । यह तो वैसी ही बात हुइ जैसे मैं बस में आता हूं क्योंकि पैसा मेरे पास कार रखने का नहीं है और इसलिये टैक्स देता हूं, पर कार वाले को वह टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि उसके पास कार खरीदने को पैसा है । वैसे ही देशी शराब जो गरीब खरीदता है उस पर टैक्स बढ़ावेंगे, विदेशी पर नहीं क्योंकि उसे अमीर खरीदता है । आपको उन पर भी बढ़ाना चाहिये ।

आप कुओं के बेचने की बात कहते हैं। कहते हैं इससे बीस लाख करीब आ जावेंगे । ये कुए आप कौन से बेचेंगे ? सरकार के । अब जितने दो साल, तीन साल खेती कर ली तो कुए उनके हो गये । जिसकी जमीन उसके कुए, फिर आप उस किसान से क्या लोगे, जो बरसों से जोतता आया है । उसे एक तरफ टीनेन्सी एक्ट में आप कहते हैं जो जोतता है उसकी जमीन, दूसरी तरफ कहते हैं सरकार के कुएं ।

मनोरंजन कर । मनोरंजन तो बड़े लाग करते हैं । जैसे मैंने यात्री कर की बात कही । मनोरंजन बड़े लोगों का होता है आबू पर । आबू के पहाड़ पर जाकर करते हैं । वहां तो आप टैक्स नहीं लगावेंगे, उल्टे सब्सिडी देते हैं वहां तो । अलवर के पास है जगह वहां पर मनोरंजन होता है बड़े आदमियों का । वहां टैक्स नहीं लगाते, उल्टे वहां खर्चा करते हैं, सब्सिडी देते हैं दिखाने के लिये । टूरिस्ट ऑफिस खोल रखे हैं, शिकार आदि के प्रोग्राम खोल रखे हैं क्योंकि वहां बड़े लोग जाते हैं। यहां दलाराम का गार्डन है वह मनोरंजन

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

का स्थान है, पर है बड़े लोगों का; वहां टैक्स नहीं लगेगा। वहां तो सब्सिडी देंगे आप। गरीब आदमी इन सब जगहों पर जाकर मनोरंजन नहीं कर सकता; वह तो सिनेमा देखकर ही अपना गुजारा कर लेगा, पर वहां आप जरूर मनोरंजन कर लगावेंगे, एक रुपया पर चालीस प्रतिशत। क्या लेंगे आप उनसे जिनके तन पर कपड़े नहीं, खाने को पूरा नहीं, दिन भर कस कर मेहनत करते हैं और गरीबी के दुःख के मारे घर पर भी जिनको चैन नहीं, वहां से भी हैरान होकर थके-हारे भागते हैं थोड़ा मनोरंजन करने को कि चलो छः आने में खेल देख आवें ? वहां आप भी डटे खड़े हैं कि तीन आने मेरी जेब में भी डाल दो। वहां भी आप उसको नहीं छोड़ते। वहां भी उसे हैरानी ही मिलती है आप से। तो आप इस पर थोड़ा विचार करो। आपको बढ़ाना है तो ढ़ाई-तीन रुपये की सीटों पर भी बढ़ाते। नीचे वालों को छोड़ दीजिये। नहीं छोड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि आप गरीबों से टैक्स लेना चाहते हैं और अमीरों से नहीं, उनके लिये तो उल्टे सब्सिडी है, छूट है। तो इन टैक्सों को तो छोड़ना चाहिये छोटे गरीबों के लिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक अर्ज और करता हूं। आपने अपने भाषण में एक तो गांधी युग और दूसरा कहा नेहरू युग। गांधी युग तो समाप्त हो गया और दूसरा गांधी युग के जाने के बाद। आपने इसमें साफ कहा है कि गांधी युग गया, नेहरू युग भी चला गया। मैं पूछता हूं आपसे कि गांधी युग और नेहरू युग कैसे चला गया ? कौनसा युग आया फिर ? अगर आप यह कहो कि आपका युग आया तो आपका युग न आया है, न आने वाला है आपकी जिन्दगी भर। यह कैसे कह दिया कि गांधी युग गया नेहरू युग गया ? कभी भी मृत्यु को नहीं मानते हम अपनी भारतीय संस्कृति में। जन्म तिथि हरेक की मानते हैं मृत्यु तिथि नहीं। राम, कृष्ण और गांधी का मृत्यु दिवस नहीं मनाया, जन्म दिवस ही मनाया है। जो आत्मा एक बार यहां जन्म ले चुकी, यहां आ गई, अनन्त काल तक उनका युग रहेगा, जायगा नहीं कभी। कहने वाला चला जावेगा। उसका ठिकाना भी नहीं लगेगा। पर गांधी और नेहरू युग इस देश से कभी जाने वाला नहीं।

कह दिया, नेहरू युग गायब हो गया, तो किसका युग आ गया; कौल साहब ? आपका युग नहीं आया और न आने वाला है। हमारे यहां जन्म तिथि जानते हैं, मरण तिथि नहीं। भगवान् राम और भगवान् कृष्ण कब निर्वाण दिवस को गये कोई नहीं जानता। जन्म दिवस जानते हैं सभी। थोड़े दिनों में गान्धीजी की मृत्यु का दिवस भी लोग भूल जावेंगे। तो हम तो जन्म दिवस मनाते हैं। नेहरू एक बार जन्म गये इस धरती पर तो उनकी आत्मा रहेगी यहां पर, पार्थिव शरीर भले ही चला गया हो। गांधी युग और नेहरू युग रहेगा यहां पर, आपके कहने से जा नहीं सकता। अपने युग को इसमें से निकाल दें तो ज्यादा अच्छा है। नेहरू की कृपा है कि हम इस

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

युग में पहुंचे हैं और इस देश को वह रूप देना चाहते हैं कि जो वह देने का स्वप्न लेता था। हम उसी प्रकार उनके इरादों को पूरा करेंगे, उसके स्वप्न को सरकार करेंगे, यह कहना चाहिए था। पर कहां नया युग आया और नया तरीका शुरू हुआ। नया युग नहीं आया है, आपका युग नहीं आया है, नये तरीके भी नहीं आये हैं, आप अपने नये तरीके शुरू करेंगे तो वे चलने वाले नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो मेरा अर्ज करना है कि आपने इस साल में ६३-६४ में भी बताया कि थोड़ी रकम की बचत होगी। आप सही हिसाब नहीं बताते हैं और टैक्स लगाने पर आ जाते हैं। आप अपना हिसाब बताइये पहले पूरा और आप जितनी वसूलियां हैं लोगों में उनको लेना जल्दी शुरू कीजिये।

अब यहां बहुत से भाई काफी विरोध में बोले। कितनी बातें कीं लोगों ने। कोई भी आता है यह कह देता है कि फलां काम नहीं हुआ। मिनिस्टर गये तो मिलने नहीं आये। जज साहब विद्वान् हैं। पर मैं बता दूं जो यह कहा गया कि दो-दो आने के आदमी आ जाते हैं उनको कांग्रेस के वर्कर दो-दो आने के लगते हैं। नीचे के तबके के लोग होते हैं वे घेर लेते हैं मिनिस्टरों को, कह दिया। मैं बताऊं आपसे दो-दो आने के आदमी वही कहेंगे। सर्विस क्लास के लोग। मैं सर्विस क्लास की निन्दा करने को खड़ा नहीं हुआ हूं। पुराने राजाओं के जमाने से जो "जी हुजूरिय' आदमी थे उनको तो "जी हुजूरी" करें। पर जो वर्कर हैं, काम करते हैं उनको कहें दो-दो आने के आदमियों की बात मान लेंगे। आपके "जी हुजूरों" की बात मानें, वो दो आने वाले काम करने वालों की नहीं मानें? आप जहां जावेंगे कहते रहेंगे," हुजूर यह हो गया।" तो अब यह हुजूर नहीं चलने वाला। मिनिस्टर तो उनसे मिलेंगे जो काम करने वाले हैं, फिर वे किसी भी पार्टी के हों। वे आवेंगे उनको आप ओछे शब्दों में कहेंगे तो नहीं चलेगा।

जहां तक काम का प्रश्न है मजदूरों के मामलों में सरकार बिल्कुल चुप है। आपने अपने १५० रुपये बढ़ाये जो नाकाफी हैं, पर दूसरी ओर जो प्रान्त भर में मजदूरी करने वाले मजदूर हैं उनके लिये कुछ नहीं कहा। उनके लिये अब तक आपने क्या किया? कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिये। आप जो बाजार में चीजों के भाव बढ़ रहे हैं उनको भी घटाने का प्रयत्न नहीं करते ताकि उन मजदूरों को इससे भी राहत मिल सकती। आज यह हालत है कि टैक्स बढ़ाया आपने थोड़ा सा और भाव बाजार में बढ़ा दिये पांच गुना। तो भावों के सन्तुलन को बनाये रखने के लिये आप सख्ती से काम लीजिये।

आप इन मजदूरों की मजदूरी तो नहीं बढ़ा पावेंगे। पर मजदूर भी आज देशभक्ति के कारण चुप हैं। ऐसे वक्त जब कि चीन पाकिस्तान का हल्ला उठ रहा है, शैतानियत पर उतारू हो रहे हैं तो देशभक्ति के कारण

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

वे चुप हैं। आप उसको ऐसा मत समझिये कि सब ठीक चल रहा है, वह चुप हैं तो इसका गलत अर्थ मत लगाइये। गरीब तबका इस घुटन में घिरा नहीं रहेगा। जिस दिन वह सोचेगा अपने आप तो सब ठीक कर लेगा। गरीब आदमी इस छोटी मजदूरी में बैठा नहीं रहेगा। वेतन स्केल उनका इन्डस्ट्री में बढ़े, आप इसको सोचिये। किसानों के प्रोड्यूस की कीमत गिराने के नारे लगाते हैं, यह भी ठीक नहीं होगा। आपने जिस तरह से अपने शहरों का स्तर बढ़ाया है गांवों का स्तर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और यह स्तर तभी बढ़ सकता है जब कि किसानों की उपज का उनको पूरा पैसा मिले। अगर आप उसमें कमी करते हैं तो गांव तो छोटे व कमजोर होते चले जायेंगे और शहर बड़े व बलवान होते चले जायेंगे और अभी जैसा कि माननीय सदस्य श्री गिरधारीलालजी ने कहा था कि कई जागीरदार ऐसे हैं कि जिनकी जागीरें तो आपने ले लीं और बोण्ड के पैसे उनको दे दिये और वे लेकर चले गये लेकिन आप तालाब और जमीनों के मामले अभी तक तय नहीं कर सके। उन तालाबों से आपको अलग पैसा मिलता है और जागीरदार उनसे अलग पैसा लेते हैं, तब जाकर नाली खोलते हैं। मेरी तहसील में निम्बाहेड़ा-करेड़ा में शिवचरणदासजी जागीरदार हैं और करेड़ा में उनके बेटे जागीरदार हैं जो गोद गये हुए हैं। वहां पर सारे तालाबों की चाभी उनके पास है और सरकार हमसे पैसा ले रही है और जागीरदार अलग ले रहे हैं और आपसे फैसला नहीं हो पा रहा है। मगर आप सोचते हैं कि तालाबों को जागीरदारों ने बनाया है और हर साल इन्कम में से बचाकर तालाब बना दिया है तो आप उनको मुआवजा देकर तय कीजिए। आप हमको डबल क्यों मार रहे हैं? आपने उनको खाल और पेड़ बेचने का मुआवजा दिया है और वे क्योंकि होशियार जागीरदार हैं और उन्होंने कहीं अपने मकान बना लिये हैं, बिल्डिंग्ज़ बना ली हैं, शहरों में जैसे सीधे-सादे जागीरदारों ने गांवों में तालाब बना लिये तो उनको आप मुआवजा देकर जल्दी से फैसला करो। आपने १५ साल गुजार दिये। जब आप सबको मुआवजा देते हैं तो इन छोटे जागीरदारों को क्यों बचा रखा है? इसलिए आप इसका जल्दी से फैसला कीजिए, हमारे ऊपर डबल मार पड़ती है।

एक बात सुनी कि माइका पेन्ट यहां से बाहर जा रहा है जिसके लिए यहां वकालत की गई है कि उसके ऊपर तुरन्त रोक लगा दी जाये। जो लोग माइका में काम करते हैं उनको मालूम है कि माइका तो फोरिन कन्ट्री में चली जाती है, एक्सपोर्ट होती है और पहले उसके वेस्ट का एक्सपोर्ट नहीं होता था और वह यों ही बेकार पड़ी रहती थी। अब यह बात कैसे आई, मैं बताऊं तो ठीक नहीं होगा। हमारे यहां भीलवाड़ा में एक माइका ब्रिक्स की फैक्ट्री है और जब से वह बनी है तब से एक माननीय सदस्य उसके वकील हैं इन्कम टैक्स और सैल्स टैक्स के। तो उन्होंने कहा होगा कि चलो यहां असेम्बली में भी कहला दो। जो माइका

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

के काम करने वाले लोग थे वे तंग थे और उनके सामने यह समस्या थी कि जो माइका वेस्ट थी उसको कहां रखें। तो वहां से उस वेस्ट को फैक्ट्री वाले लोग यों ही उठा उठाकर ले जाते थे। उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास लोग डेपुटेशन लेकर गये और सेन्टर ने निर्णय लिया कि २२५ रुपये टन से बाहर भेज दी जाये और उस पर उन्होंने अपनी ड्यूटी लगा दी। अब उसके भाव ६०,७० व ८० के हो गए तो जो उठा उठाकर ले जाते थे और अपनी ब्रिक फैक्टरी में लगाते थे उन को मुश्किल हुई। बाहर से नहीं मिल पाया तो वह कारण यह है कि यहां कहलाया कि माइका का एक्सपोर्ट बन्द कर दिया जाये और राजस्थान की राजस्थान में रख लिया जाये, ताकि लोग २ रुपये टन में बेच दें। यह ठीक नहीं है, अगर आपने रोक दिया है। यदि विरोधी पक्ष के सदस्यों को किसी चीज का विरोध करना है तो वह साफ कहें। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को लिया है और यहां का माइका बड़ी अच्छी तरह से बाहर जा रहा है। यहां खरीदते हैं तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कीमत पर खरीद लें। आज ६–७ वर्ष हो गए, मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि आपने उनकी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने एक पैसे की माइका नहीं खरीदी। अब/जब लोगों का लाखों रुपयों का माल बिकने लगा तो वह ब्रेक लगवाना चाहते हैं, तो यह उचित नहीं है। आखिर वहां पर हमारे भी मिलने वाले हैं, डिप्टी मिनिस्टर साहब के मिलने वाले भी हैं, सबके मिलने वाले हैं। हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम गलत काम नहीं करेंगे। इससे मनुष्य के स्तर का पता लगता है। यहां आकर किस तरह की बात करते हैं, जहां हजारों लोगों के पेट भरने की बात है। वहां एक आदमी का सवाल हो, इसको कोई पसन्द नहींकरेगा। इस तरह की बातें करके किसी के कहने से इस तरह से रोक लगाने की बात हम करने लगेंगे तो बड़ा अहित होगा।........

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : वह तो इन्डस्ट्रियलाइज करने का है, रोक की बात नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक पैसे का माइका नहीं खरीदा और मुफ्त में ले जाते थे। आज मुफ्त में नहीं मिलती है, इसलिए यहां कहलाते हैं। इस तरह की रोक ठीक नहीं होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके बजट को देखने के बाद साफ लगता है कि आपका बजट घाटे का नहीं है। ५० करोड़ का बकाया है जिस को आप वसूल नहीं कर रहे हो। अगर इसको ठीक तरह से देख लिया जाये तो इसमें ५-७ करोड़ की बचत होगी। हमारे ब्याज की रकम जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आने वाली थी आप बराबर उसको कैपिटल खाते में जमा करते जा रहे हैं। कैपीटल खाते में जमा करने से नुकसान यह होगा कि ३ करोड़ की जो रकम आई है वह उसका ब्याज नहीं देंगे। वह आप रेवेन्यू अकाउन्ट्स में करते तो ठीक था।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

आप जो रेवेन्यू अकाउन्ट्स में घाटा दिखाते हैं, यह ठीक नहीं है। इसमें आप सुधार कीजिये, आप एडजस्ट करके यह दिखायें कि घाटे का बजट है, यह स्थिति सही नहीं है। मैं कहता हूं कि केपिटल अकाउन्ट से हटाकर इस रकम को रेवेन्यू अकाउन्ट में जमा करो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बस मुझे एक बात कहनी है। आप सेन्ट्रल की रकम को पूंजीखाते में डलवा देते हैं। हमारे ऊपर करोड़ों रुपए सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बाकी रहते हैं। कहते हैं कि पूंजीखाते में डलवा दिये तो हमारे ब्याज के लोगों में बाकी हैं। गत वर्ष आपने करवाया है। आप यह बतायें कि हमारे पैसों को आप पूंजीखाते में क्यों नहीं डलवाते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल सत्य है कि इतने करोड़ रुपये बाकी हैं; उनको पूंजीखाते में डलवायें तो ब्याज बढ़ेगा और घाटा कम नजर आयेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली बात को ठीक करवाइये और यह भी ठीक करवाइये। बजट भाषण जैसा आपने दिया है तो पण्डितजी वाली बात को भी वापिस लेने की बात आप कहें। क्योंकि आप उनके बहुत नजदीक रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदया, हमारे अजमेर से आये हुए आदरणीय वित्त मन्त्रीजी ने १९६५-६६ का बजट रखा है। इस बजट के आंकड़ों में जो हेरफेर है उसके बारे में सदन का मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि आंकड़े तो एक बाजीगरी का काम है। किसी आंकड़े को किधर रख दिया जाये, किधर से उठाकर क्या कर दिया जाये और चाहे जैसे बताया जा सकता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है. वित्त मन्त्रीजी चाहें तो इसको १० करोड़ घाटे का भी दिखा सकते थे उन्हीं आंकड़ों को इधर उधर करके। अब की से उन्होंने सन्तुलित बजट बनाया इसलिए आंकड़ों के झगड़ों में मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पूर्व एक बात जिसकी इस बजट में कमी रही वह सदन के समक्ष में बड़े दुःख के साथ रखता हूं। वह बात यह है कि कुछ वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि जयपुर के अन्दर हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिये। जिद्द भी मनुष्य करता है लेकिन कुछ हद तक। मुख्य मन्त्रीजी शायद इस जिद्द पर डटे हुए हैं कि जयपुर में हाईकोर्ट की बेंच न रहे लेकिन उस जिद्द की भी कोई सीमा होती है। अब तो इतने वर्ष हो गए हम लोगों को प्रार्थना करते करते। अब तो यह चाहिये था कि आप इस बजट के अन्दर इस प्रकार का प्रोवीजन रखते कि जयपुर में हाईकोर्ट की बेंच रहे।....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): और कैपिटल अजमेर चली जाय।

श्री मानसिंह महार : वह तो आपकी बुद्धि की बात है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी रजामन्दी है ना ?

श्री मानसिंह महार : वह ले जाइये, आप में अगर इतनी क्षमता हो तो। पीने का पानी तो मिलता नहीं है अजमेर में और कह दिया कि कैपिटल अजमेर चली जाय। छोटे मुंह बड़ी बात मत किया कीजिये।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस बजट में सबसे बड़ी कमी जो मैंने पाई वह यह है कि जयपुर में हाईकोर्ट के बैंच के बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा। मैं समझता हूं कि तीन दिनों के अन्दर वित्त मन्त्रीजी जो इस बजट के अन्दर हेरफेर करेंगे उसमें इस बात को जरूर मानेंगे, क्योंकि वह भी हमारे पड़ोसी अजमेर के ही हैं और यहां की जनता जनार्दन को इससे बड़ा लाभ पहुंचेगा। तो मेरा प्रथम सुझाव यह है, कहा जाता है कि आप लोग बजट पर बोलते हैं लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्रोपोजल नहीं रखते, इसलिए यह प्रथम कॉन्क्रीट प्रोपोजल रख रहा हूं।

दूसरा, मेरी ओर से कॉन्क्रीट प्रोपोजल यह है कि अभी कुछ रोज पहले एक मेरे मित्र के मुकदमे के सिलसिले में जोधपुर हाईकोर्ट में चला गया, तो वहां पर मैंने एक विचित्र नजारा देखा, सभानेत्री महोदया, वहां पर एक वकील साहब थे वे बोले कि आपका मुकदमा उस बेंच में जायेगा जिसमें कि मैं नहीं चाहता तो हमने कहा कि इसका इलाज बताइये तो वह बोले कि बहुत आसान है। उन जज साहब के सुपुत्र प्रेक्टिस करते हैं और एक जज साहब के भाई साहब भी प्रेक्टिस करते हैं, उनमें से किसी का वकालतनामा दे दीजिये, फिर यह होगा। हमने कहा कि इतने वकीलों का पैसा कहां से आयेगा तो वे बोले कि ज्यादा नहीं १००) रु० और आपके पड़ेंगे और वकालतनामा भर देने से मुकदमा हट जायेगा...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसमें सरकार क्या करेगी....

श्री मानसिंह महार : मैं बता रहा हूं। आप उतावले मत होइये।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आप जुडिशियरी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : अगर जुडिशियरी गलत बात करती है तो जुडिशियरी को क्रिटिसाइज़ करने का मुझे डर नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : गलत बात करती है तो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है। आप हाईकोर्ट के जजेज के जस्टिस को चैलेंज कर रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य हाईकोर्ट के जजेज के बारे में न बोलें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह प्रश्न इतना सा है कि हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में यह व्यवस्था है कि हाईकोर्ट के जजेज़ में से एक-तिहाई का ट्रांसफर दूसरी स्टेट्स में होता है। माननीय सदस्य के कहने का इतना सा संकेत है कि कॉन्स्टीट्यूशन में जो प्रोपोज़ल्स हैं वे मजबूत हो जायें और अपने राज्य के एक-तिहाई जजेज़ दूसरे राज्य में चले जायं तो यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अन्डरहैंड प्रेक्टिस जो चल रही है जैसा कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि वह प्रेक्टिस बन्द हो जाय । यह केवल मात्र संकेत देने का उनका मतलब है। हाई-कोर्ट के जज के बारे में उनकी कोई शिकायत नहीं हैं । यह टेक्टिक्स जो कि नीचे के लेवल पर चल रही है वह बन्द नहीं की जा सकती है जब तक कि कॉन्स्टीट्यूशन में जो व्यवस्था दी है एक-तिहाई जजों का ट्रांसफर दूसरे राज्यों में किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपने भाषण को आरम्भ करें, लेकिन जजों के बारे में न कहें।

श्री मानसिंह महार : मैं जजों पर कोई एस्पर्शन नहीं करता हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने जो व्यवस्था दी है उसके सिलसिले के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । जहां तक मैं समझ सका हूं उनका कहना है कि यह प्रोसेस गलत है कि किसी का मुकदमा हटाना हो तो वह जुडिशियरी में काम कर रहे हैं इसलिए मुकदमा बदलता है कि एक पर्टीक्यूलर एडवोकेट बदलाता है। जो रिश्तेदार इधर उधर रहते हैं वे लोग एन्गेज्ड हो जायं तो वह मुकदमा हटाया जाता है और कोई जज अपने रिश्तेदार के लिए नहीं करना चाहता है इसलिये कि न्याय मिले । इसलिए उन्होंने जजों को क्रिटिसाइज़ नहीं किया हैं वह इस प्रथा पर करते हैं कि इस बात की दुविधा आ गई है उसमें से निकलते हैं।

श्री मानसिंह महार : तो, सभानेत्री महोदया, मैं जजेज़ पर किसी प्रकार के एस्पर्शन्स कास्ट नहीं करना चाहता. मैं केवल मुख्य मन्त्रीजी को इतना बताना चाहता था कि हमारे पवित्र संविधान में जो चीज प्रोवाइडेड है कि हमारे यहां के एक-तिहाई जजेज़ को दूसरे प्रान्तों में भेजा जाय और दूसरे प्रांतों से हमारे यहां जजेज़ को लाया जाय ; उस प्रथा की ओर मेरा संकेत था और मैं चाहता हूं कि इस पर अमल किया जाय तो अच्छा होगा और लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं वह हमको सुनने को नहीं मिलेंगी क्योंकि लोग जुडिशियरी के बारे में बात करते हैं तो सुनना पड़ता है। इसलिए मैंने निवेदन किया है और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी प्रकार के एस्पर्शन्स जज पर कास्ट नहीं करना चाहता हूं ।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। दूसरे को मैं और भी महत्वपूर्ण मान कर चलता हूं और उस मुद्दे के लिए सुजानगढ़ से आने वाले मित्र ने आज एक बहुत ही अहम् मसला उठाया है। उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष के सदस्य जब सर्विसेज़ की तनख्वाह बढ़ाने और उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में मैं बात करते हैं तो उनको, सर्विसेज़ को, भी यह समझाना चाहिए, सर्विसेज़ की तरफ भी उनको देखना चाहिये। मैं जहां तक समझा, सभानेत्री महोदया, मैं गलत हो सकता हूं....

श्री फूलचन्द जैन : आप उनके नेता हैं नहीं, इसलिए आपको समझाने की बात नहीं कह सकता ।

श्री मानसिंह महार : आप सुनिये, उतावले मत हो। मैं जहां तक समझा वह यह समझा कि उसकी ऐसी विचारधारा थी कि सर्विसेज़ निकम्मी हो गई हैं। वे काम करती है, वित्तमंत्रीजी ने भी यह बात कही है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या कहा ?

श्री मानसिंह महार : लेकिन मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार अगर चल रही है तो इन सर्विसेज़ की वजह से ही चल रही है। लेकिन जब वित्त मंत्रीजी का भाषण मैंने सुना तो मैंने हमारे सर्विसेज़ के मित्रों से बात की कि बोलो भाई ! वित्त मंत्रीजी ऐसी बात कहते हैं, यह सुनकर दु:ख हुआ और आपको अपने विचार और तरीके बदलने हैं, तो उन लोगों ने मुझे जो बात कही वह सुनकर और भी मुझे अधिक दु:ख हुआ। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि उन बेचारों की दिक्कतों को दूर किया जाय। वे बोले साहब, हम क्या करें ? हम तो जो कुछ गलत काम करते हैं, जो कुछ काम करते हैं, जो काम करने की इच्छा होती है उसको जो कुचलते हैं उसके कारण तो ये मंत्री और उप-मंत्री है। सीधा सा आरोप यह लगाते हैं कि इसका जवाब नहीं। मुझे खुशी हुई कि सुजानगढ़ से आने वाले मित्र ने वकील नहीं बताया....

श्री फूलचन्द जैन : आप समझे नहीं। मैंने यह कहा कि आप उन आदमियों से मिले हैं जो आदमी आपका काम करते हैं। उनकी हिमायत फिर यहां करने लगे।

श्री मानसिंह महार : मैं हिमायत नहीं करता हूं तथ्य, की बात करता हूं। यदि आप कहेंगे तो एक–दो ताजा मिसालें पेश करूंगा। उनका कहना यह है कि हम कार्य-क्षमता में किसी से कम नहीं हैं। हम काम भी करना चाहते हैं, लेकिन आज के युग में ईमानदारी और सही ढग से काम करते हैं तो तबादला इस प्रकार किया जाता है जैसे कि एक फुटबाल की हालत है, और जो सरकार की "जी हजूरी" करते हैं और उनके गलत आदेशों को मानते हैं, उनको जो है हर प्रकार का संरक्षण मिलता है, तो हमारे काम करने की जो दिलचस्पी होती है वह खत्म हो जाती है। यह फैक्ट अर्ज कर रहा हूं। तो मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे सर्विसेज के छोटे छोटे पटवारी, ग्रामसेवक, एल० डी० सी०, इनके तबादलों में अगर हमारे मंत्री या उप-मंत्री हस्तक्षेप न करें या एक टेली-फोन की नई बीमारी है उसको उठाकर अफसरों को नहीं कहें, तो अच्छा होगा....

एक माननीय सदस्य : यह बिमारी आपकी तरफ है, हमारी तरफ नहीं है।

श्री मानसिंह महार : एक मिसाल के तौर पर मैं यह कहूंगा, कहना मैं नहीं चाहता, मैं पर्सोनेलिटीज़ पर जाना नहीं चाहता, और जाता भी नहीं; लेकिन मेरे मित्र ने उकसाया। २ फरवरी की बात है कि तहसील बैराठ के अन्दर एक क्लर्क का तबादला किया कलेक्टर,जयपुर, ने 'तो उस तबादले को कैंसल करने के लिए तो आपके

(श्री मानसिंह महार)

राजस्व मंत्रीजी का कोटा से टेलीफोन आया। आप टेली कर लीजिये। आस-पास से भी नहीं बल्कि कोटा से टेलीफोन आया कि इसका तबादला कैंसिल कर दिया जाय। वह आदमी बैराठ ६ वर्षों से बराबर है और उसका चार बार तबादला हुआ लेकिन इस टेलीफोन की बीमारी से उसका तबादला रुक जाता है। इस वजह से उसके साथियों पर भी खराब असर पड़ता है कि यह आदमी तो जी हुजूरी करता है इसलिए इसका तबादला रुक जाता है। मैं संकेत करना चाहता हूं, सभी मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सर्विसेज़ के जो तबादले होते हैं उसमें आप इन्टरफियर मत करिये यही प्रार्थना है।

दूसरा मुद्दा है मुख्य मंत्रीजी का अब तो दशाब्दी समारोह हो गया, १० वर्ष आपके पूरे हो गए तो अब तो वे पूरे डिक्टेटर हो गये...

एक माननीय सदस्य : वे आपकी महरबानी से नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार : आपकी महरबानी से ही सही लेकिन महरबानी से कोई जीता नहीं है। उनको राज्य करना है तो सारे सदन से बात करनी होगी। आपकी महरबानी नहीं, आप जैसों को तो दो-तीन मिनट में निकाल देंगे। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि मुख्य मंत्रीजी में अब कुछ तब्दीली हो गई है सन् ५२ से ५६ तक जब वे रेवेन्यू मिनिस्टर थे तब भी हमने उनको देखा है और बतौर मुख्य मंत्री भी हमने उन्हें देखा है, कोई बात कहते थे तो फौरन सुनते थे लेकिन अब इनके रवैये में कुछ फर्क आ गया है, उसको सुधारना चाहिये। जब हम ट्रेज़री बैन्चेज़ को बोलते हुए देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि अपने कमरे में चले जावें हम सुनना नहीं चाहते। हम तो सदन का लीडर मानते हैं। वे सदन के लीडर हैं इसलिये हम उनको कहते हैं। केवल कांग्रेस के लीडर होते तो नहीं कहते, लेकिन वे लीडर ऑफ दि हाउस हैं इसलिये कहते हैं, जो महानुभाव अभी बोल रहे थे उनको मालूम होना चाहिये। मैं यह बात इसलिये नहीं कहता कि मुझे कोई उनका फेवर गेन करना है लेकिन जनता की बहबूदी के लिये कहना पड़ता है।

अब मैं एक और अहम मुद्दे की ओर आता हूं जिस ओर भी मुख्य मंत्रीजी को ध्यान देना चाहिये। इस बजट स्पीच में हमारे आदरणीय अजमेर से आये हुए वित्त मंत्रीजी ने एम.एल.एज़. को भी एक प्रलोभन दिया था, बड़ी महरबानी करके प्रलोभन दिया था कि तुम्हारी तनख्वाह में ५०) रु० की वृद्धि की जाती है। हम उनके आभारी हैं। उन्होंने सोचा होगा कि प्रमुखों और प्रधानों के ५०) बढ़ा रहे हैं तो इन बेचारों को भी एक टुकड़ा डाल दो। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि यदि आपका डेमोक्रेसी में विश्वास है, यदि आप पार्लियामेन्टरी परम्पराओं को सही ढंग से भारत में जिन्दा रखना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर आपको चेतावनी दूंगा कि आप वे बातें मत कहिये, हमने कई

(श्री मानसिंह महार)

बार कहा है, हमको तनख्वाह नहीं चाहिये लेकिन जनता की भलाई के लिए कॉस्टीट्यूएनसीज में जा सके और वहां जाकर काम कर सकें, इसके लिए सुविधा दीजिये। आपने रोडवेज् के पास दिये लेकिन मेरे जैसे को उससे क्या फायदा? मेरे जैसे व्यक्ति के वहां रोडवेज़ जाती ही नहीं है, तो वह पास मेरे किस काम का, जिस इलाके में मैं रोडवेज़ की सुविधा लेना चाहता हूं वे ऐसे इलाके हैं जिनका नेशनेलाइजेशन हो नहीं सकता, इसके कई कारण हैं। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर उछल-कूद करके सदन को कत्थक नाच दिखाते हैं लेकिन उनसे इन रूट्स का नेशनेलाइजेशन नहीं होगा। यही नहीं सभानेत्री महोदया, मुझे दुःख हुआ सदन में कह दिया कि एम. एल. एज़. वगैरह को स्कूटर दिये जाते हैं। नियमित रूप से सिक्योरिटी जमा करानी होती है उसके अनुसार दिये जाते हैं। नये मंत्री कोई आये तो नई प्रायोरिटी बन गई, नया कोटा आया तो मंत्री महोदय के सिफारिशी लोगों को स्कूटर मिल गये और पुराने रह गये। एम. एल. एज़. के साथ में यह हालत है तो जनता जनार्दन के साथ क्या होता होगा, यह आप जानते होंगे। बेचारे जिन एम. एल. एज़. की प्राथमिकता थी उनको हटाकर अपने लोगों को दे दिया। कोई एक-आध स्कूटर से क्या होता है ?

एक माननीय सदस्य : ये जो शब्द इस्तेमाल किये गये "बेचारे एम. एल.एज़.," यह हटा देना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : यह मैंने भी मार्क किया था, बार बार 'बेचारे' शब्द को यूज़ करते हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री मानसिंह महार :-मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। एम. एल. एज़. तो बहादुर हैं।

सरकार के मंत्रियों को उनसे डरना चाहिए, इन बहादुर एम. एल. एज़ से, वर्ना ये आपको रसातल तक पहुंचा देंगे। मैं मेरे मित्र की बात की कद्र करता हूं लेकिन जब वोटिंग का वक्त आवे तब बहादुरी से काम लेना, तब कहूंगा कि वाकई बहादुर हैं वर्ना और कुछ काम में लेना पड़ेगा। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टिर आज यहां पर नहीं हैं। मैंने उनसे देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा आप मेरे पास आइये, मैं देखूंगा कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं। यह क्या बात हुई जिसका नम्बर है उसको देना चाहिए। यह क्या बात हुई कि मैं जांच करूंगा आपको जरूरत है या नहीं। आप तो किसी को कह सकते हैं कि आपको जरूरत नहीं है और किसी को फीयेट गाड़ी भी दिला सकते हैं

श्री फूलचन्द जैन : विरोधी पक्ष में से भी किसी को मिली होगी फीयेट गाड़ी ?

श्री मानसिंह महार : विरोधी हो या कांग्रेस का हो, लेकिन झूठा ओबलाइज करना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब का रवैया है। मैं इसका विरोध करता हूं। मुख्य मंत्री जी, आपने ट्रान्सपोर्ट उनको इसलिए नहीं दिया है कि हम उनकी मर्जी पर रहें। आप ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर से कहिये कि वे अपने तौर तरीकों को बदलें, वह मैंने तीसरा मुद्दा रखा। इस सिलसिले में मैं एक और बात

(श्री मानसिंह महार)

कहना चाहता हूं आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम भारत में जनतन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं मगर जब मैं मेरे नेता से, विरोधी दल के नेता से रेवेन्यू बोर्ड की बिल्डिंग में जाकर मिलता हूं तो मुझे शर्म आती हैं.......

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री मानसिंह महार : आप सुनिये, मैं बताता हूं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विरोधी पक्ष के नेता एक ६ बाई ८ की कोठरी में रहें । आपको उनके लिये वही फैसिल्टी देनी चाहिये जो इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के नेता को मिलती है । आप कहेंगे कि हमने बंगले का प्रोविजन किया है तो वह कोई महरबानी नहीं है । उड़ीसा में देखिये विरोधी पक्ष के नेता को गवर्नर और मुख्य मंत्री के बराबर कोठी मिली है । आप यहां पर देना भी चाहते हैं तो एक कोने में देना चाहते हैं । मैं इसलिये नहीं कहता कि वे विरोधी पक्ष के नेता हैं, लेकिन मुख्य मंत्रीजी में इसलिये कहता हूं कि हमको स्वस्थ परम्परायें डालनी हैं, इसलिये हम चाहते हैं कि उसी प्रकार यहां भी दिया जाय । इसी प्रकार एम. एल. एज़. के लिए निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार भी निवेदन किया था; या तो पूल में से या पंचायत समिति की जीप का इन्तजाम होना चाहिये । लेकिन कुछ नहीं हुआ । इसलिये निवेदन करूंगा कि या तो पूल से इन्तजाम करें या कोई और इन्तजाम करें। गाड़ियों के बिना एम. एल. एज़. को कई प्रकार की दिक्कत है । हम हमेशा यह दिक्कत हाउस कमेटी के सामने रखते हैं, चेयरमैन बात ध्यान से सुनते भी हैं लेकिन एक्शन जरा धीरे से लेते हैं। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि एक्शन जल्दी हो । ये तीन मुद्दे मैंने सदन के समक्ष रखे ।

अब मैं अहम मुद्दे को सदन के सामने रखता हूं, वह है हमारे प्रान्त की खाद्य स्थिति । सभानेत्री महोदया, यह भी एक बड़े दुख का विषय है कि इस प्रान्त की खाद्य स्थिति गत एक वर्ष में बहुत ही खराब रही। खाद्य स्थिति खराब रही है तो रही, लेकिन मुख्य मंत्री ने एक बड़ी महरबानी करके हर जिले में फूड एडवाइज़री कमेटीज़ बनाईं जिनमें एम. एल. एज़. रखे लेकिन सभानेत्री महोदया, मैं आपसे निवेदन करूं कि उनकी मीटिंग नहीं होती...

एक माननीय सदस्य : आपके यहां भी नहीं होती है ?

श्री मानसिंह महार : हमारे यहां तो मीटिंग होती हैं ।

मैं आपसे निवेदन करूं कि हमने सारे प्रकार के प्रयत्न करके हमारे जयपुर जिले के देहातों में सस्ते गेहूं की दूकानें खुलवाईं । मैं यह नहीं कहता कि उन दूकानों को बन्द क्यों किया. लेकिन वह तरीका नादिरशाही तरीका था । एक दिन मैं जयपुर कलेक्टोरेट पहुंचा तो मुझे इत्तिला मिली कि ऊपर से, श्री हावा के यहां से फूड, क्या हैं, कमिश्नर हैं क्या हैं– मैं जानता नहीं, उनका बोलबाला है–उनके यहां से आदेश आ गया कि जयपुर

(श्री मानसिंह महार)

जिले के अन्दर सिवाय म्यूनिसिपल इलाके के दूकाने बन्द कर दी जायं, विथ् वन स्ट्रोक ऑफ पैन, एक आदेश में बन्द कर दीं। कम से कम जो एडवाइजरी कमेटी थी, आपका आदेश उस कमेटी के थ्रू चला जाता तो हमारा एग्जिस्टेन्स तो मालूम होता, लेकिन ऊपर से ही वह सरकारी नादिरशाही हुक्म पहुंचा-यह बहुत गलत है। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से हमारे खाद्य मंत्रीजी से भी कि इस प्रकार की फूड एडवाइजरी कमेटीज् बनायें तो वह नाममात्र को नहीं होनी चाहिए बल्कि उनको सही तरीके से फंक्शन करने का अवसर दिया जाय। अब, सभानेत्री महोदया, ये दूकानें भी बन्द हो गई, वह भी एक इतिहास हो गया; लेकिन एक चीज छोड़ गई, वे दूकानें तो बन्द हो गई लेकिन एक पूंछ छोड़ गई हमारी जान को। आठ-सात महीने तक जयपुर जिले में जितनी भी चीप फूड ग्रेन्स की सरकारी दूकानें थीं उनके जो सेल्समैन थे उनको आज तक तनख्वाह नहीं मिली है। छः छः महीने हो गये लेकिन दुर्भाग्य की बात हैं कि उन गरीब सेल्समैनों को तनख्वाह नहीं मिली है। दुकानें जिनसे किराये पर ली थीं उनको किराया भी नहीं मिला है और वह सेल्समैन यहां आते थे और यहां से अनाज लेकर जाते थे उसका उनको टी. ए., डी. ए. भी नहीं मिला है। मैं यहां तक कहता हूं कि उनकी तनख्वाह मिलना जरूरी है, लेकिन साथ ही तहसील आमेर के अन्दर सेल्समैन के बिल नहीं बने हैं। इसका दूसरा पहलू भी बता दूं कि इसमें चक्कर है क्या ? क्या राज है ? उन सेल्समैन ने क्या किया है ? वे बुद्धिमान हैं कि हर सेल्समैन ने अपनी तनख्वाह, अपने बिल, अपने खर्च के हिसाब से भी ड्योढ़ा अपनी जेब में दबा लिया, उनमें से अधिकांश ने ऐसा कर लिया है और वे घाटे में नहीं हैं और घाटे में यह हमारी दिवालिया सरकार है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जहां लाखों के घाटे में जा रहे हैं, इसलिए इस ओर ध्यान दीजिये।

और, सभानेत्रीजी, तीसरी मुद्दे की चीज इस सिलसिले में क्या है, वह भी निवेदन करूं कि जब ये सस्ते अनाज की दूकानें खोलने लगे तो उन फूड कमिश्नर के यहां किसी का बहुत बड़ा दिमाग है और उस बड़े दिमाग में यह आया कि इसके लिए अलग स्टाफ होना चाहिए। और होना भी चाहिए। जरूरी भी है। तो एक आदेश निकाला कि हर जिले में एक यू. डी. सी. और दो एल. डी. सी. रख दिये जायं। हर जिले में तीन आदमी नये अपोइन्ट हो गये। अब ठीक है। आप सोचिये कि कई जिले ऐसे हैं जहां दो-दो सौ, यहां तक मैं कहता हूं कि ढ़ाई-ढाई हजार दूकानें हैं, वहां भी तीन आदमी हैं। यह तो वही हिसाब हुआ जैसे अहमद शाह बदलू के हुक्म होते थे, वैसा का वैसा हुक्म यह हो गया। मैं खाद्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि आप जरूर इन चीजों को देखा करें। जयपुर जिला कितना बड़ा है, जयपुर जिले में करीब २५० दूकानें चल रही हैं, उसके बराबर ही आप डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्टाफ दें-यह कहां का न्याय है? वहां आप तीन आदमी दीजिये तो यहां १५ दीजिये-यह तरीका है। लेकिन एक आदेश हो गया at one stroke of

(श्री मानसिंह महार)

pen: every district should have this and that. यह बड़ी विचित्र चीज है। मैं खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं आपसे इस्तदुआ करूंगा कि इन बातों का जवाब वे अपने जवाब में दें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अड़चन क्या है ?

एक माननीय सदस्य : यह इस्तदुआ क्या है ?

श्री मानसिंह महार : इसलिए कि यह खाद्य की स्थिति है और आपने, मैं कहता हूं, जयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ किया है कि एक महीने पहले उन दुकानों को बन्द किया। आपको वह दुकानें एक मार्च से, पन्द्रह मार्च से बन्द करनी चाहिए थीं, तो ठीक रहता और फिर हम एतराज नहीं करते क्योंकि गांवों से अनाज आना शुरू हो जाता। लेकिन क्योंकि किसी ने आपकी बुद्धि में भर दिया इसलिए बन्द कर दीं। यह चीज अखरती है इसलिए हमको आपको कहना पड़ा। तो यह खाद्य स्थिति के बारे में बताया, और जो फूड एडवाइज़री कमेटी और दूसरी कमेटी आप बनाते हैं इनके बारे में भी आपको बताया।

इसके बाद, सभानेत्री महोदया, मैं एक बहुत अहम मसले पर आऊंगा और वह हमारे राजस्थान के शिक्षकों की दुर्दशा के बारे में है। मैं आपसे कहूं कि राजस्थान के शिक्षकों की जो आज हालत है वैसी सेन्टर के चपरासी की भी नहीं है और राजस्थान के शिक्षकों के बारे में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने शायद १९६१-६२ में यह ऐलान किया था कि सौ रुपये से कम उन्हें तनख्वाह नहीं दी जायगी, लेकिन वे आज तक उतनी ही तनख्वाह पाते हैं और सौ रुपये का टार्गेट पूरा नहीं हुआ है। अब वे यदि स्ट्राइक वगैरह की धमकी देते हैं तो उनको धमकाया जाता है, उनको हर प्रकार से परेशान किया जाता है, उनके मनमाने ढंग से तबादले किये जाते हैं। यह नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं हमारा सौभाग्य है कि अब तो हमारे खाद्य मंत्री ही शिक्षा मंत्री भी हैं। इसलिये उनको मैं बताना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में जो गरीब शिक्षक हैं उन शिक्षकों की हालत तो और भी खराब है। उन शिक्षकों को जबरदस्ती कहा जाता है कि तुम बारह-बारह घण्टे ड्यूटी दो। बारह घंटे एक शिक्षक ड्यूटी दे, यह कहां तक फिज़िकली पोसीबल है, यह आप सोचिये। लेकिन रोज जबरदस्ती इस प्रकार ड्यूटी ली जाती है। इस प्रकार की शिकायतें विकास अधिकारी, खारची को हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभानेत्री महोदया, मैं दस मिनट और लूंगा पार्टी के समय में से। तो इसलिए आप उनकी ओर ध्यान दीजिये और प्रौढ़ शिक्षा के लिए उनकी सेवायें बिना किसी प्रकार के रेम्युनरेशन के दिए स्कूल टाइम के अलावा लेना चाहते हैं इसको मैं बेगार की संज्ञा देता हूं। आप शिक्षकों से जबरदस्ती प्रौढ़ शिक्षा के लिये काम लेते हैं और उनको किसी प्रकार का रेम्युनरेशन नहीं देते हैं–

(श्री मानसिंह महार)

यह एक प्रकार के शिक्षकों से बेगार लेते हैं, यह मैं सही निवेदन करता हूं।

यह मैंने तीन-चार कॉन्क्रीट सुझाव सदन के सामने दिये हैं। अब मैं मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट की ओर आऊंगा। यह डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, सभानेत्री महोदया, कि जिसकी हालत को देख कर आज हमको तरस आता है। मैं सही कहता हूं कि आज मेडिकल एण्ड हैल्थ ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें कोई कोऑर्डिरिनेशन नहीं है। होस्पीटल, डिस्पेन्सरी जो गांवों में हैं, उनमें अधिकांश जगह में डाक्टर नहीं हैं। अगर कहीं डाक्टर हैं तो कम्पाउंडर नहीं हैं और कम्पाउन्डर होते हैं तो वे फोर्थ क्लास के होते हैं और यह तीनों कहीं सौभाग्य से मिल जायं तो यहां दवाई नहीं होती है। यह फैक्ट है। अगर हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब यहां होते और वे कहते कि मैं एक जगह भी ऐसी बताऊं तो मैं कहता कि आप जिसे बेस्ट प्लेस कहें that is the best dispensary, वहां भी ये चारों चीजें पूरी नहीं मिलती हैं। यह फैक्ट निवेदन करता हूं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट में बहुत भारी कमी है। यह डिपार्टमेंट दिन पर दिन गिरता जा रहा है।

डॉक्टरों की हालत मैं आपको बतलाऊं।

(४.०० म. प.)

अगर किसी डाक्टर से अधिकारी नाराज हो जाते हैं तो चाहे उस डॉक्टर की १५-१५ वर्षों की सर्विस क्यों न हो, उनकी नाराजगी के कारण उनको छोटी छोटी डिस्पेन्सरीज में भेज दिया जाता है। वे वहां पर जाना नहीं चाहते हैं और इसी कारण छुट्टी लेकर बैठ जाते हैं। हम यह नहीं कहते कि आप उनको पनिशमेंट मत दो। हम तो कहते है कि आप उनको पनिशमेंट दीजिये, लेकिन डॉक्टर साहब की बदली कर दी जाती है और उस कारण से डॉक्टर छुट्टी लेकर बैठ गया, इस कारण हमारी डिस्पेन्सरी में डॉक्टर नहीं हो और हमारी डिस्पेन्सरी डॉक्टरों के लिये रोती रहे; डाक्टर साहब ! डाक्टर साहब ! यह उचित नहीं है। यह आपका एक नमूना है जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर यह भी आप साबित कर दें कि मैं यह भी गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिये हजूर मान लूंगा। मगर इसमें समय लगेगा। आयुर्वेद डिपार्टमेंट में भी जिस पर रिसर्च का इन्तजाम हो रहा है वह विभाग तो सब से गिरा है, ऐसा विभाग तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में क्या, हिन्दुस्तान में भी कहीं नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विभाग के डाइरेक्टर आदेश दे दें तो भी वहां का वैद्य उस स्थान को छोड़ता नहीं और अगर आप उस औषधालय का ताला तोड़ दो तो भी वह जाता नहीं। इस विभाग जैसा कोई दूसरा विभाग नहीं देखा। मैं, हमारे यहां के इन्सपेक्टर से मिला हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि महीने में २० दिन वैद्य घर पर बैठे रहते हैं और इन्सपेक्टर भी १० दिन कहीं जाते हैं तो जाते

(श्री मानसिंह महार)

हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है ? क्या कैओस हो गया है। हमने अपने दिमाग को इतना खत्म कर दिया है कि यह अराजकता चरम सीमा पर पहुंच गई है और कोई सुनवाई नहीं होती, तो मैं आप को निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद डिपार्टमेंट की तरक्की के लिये आप पूरा पूरा ध्यान दें, में खासकर मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा क्योंकि आयुर्वेद के मंत्री कुछ कमजोर हैं और उनको अभी रीशफलिंग में कुछ और डिपार्टमेंट दिये गये हैं। में यह निवेदन करूंगा कि दवाखानों में आपका खर्चा तो यों का यों लगता है और वहां पर वैद्य रहता नहीं है। यह मैंने आपके सामने आयुर्वेद का नमूना रखा है।

समानेत्रीजी, अब मैं एक अहम मसले पर जाता हूं। एमर्जेन्सी के मसले को लेकर आप कॉम्युनिस्टों को कैद में डालते हैं। कर्मचारी हैं, अगर वे कोई कार्य नहीं करें और अपनी मांगें आपके सामने रखते हैं और कुछ कदम उठाने के लिये कहते हैं तो आप करते हैं कि जेल में डाल दिये जाओगे, एमर्जेन्सी है। समझ में नहीं आता कि आपकी यह एमर्जेन्सी है क्या बला ? हमने सारे बजट को देखा और वित्त मंत्रीजी की स्पीच को सुना। मगर इसमें तो एमर्जेन्सी कहीं नजर नहीं आई। यह तो ऐसा बजट है जिससे साफ जाहिर होता है कि हमारे यहां इस देश में कोई एमर्जेन्सी की जरूरत नहीं है। इससे तो ऐसा मालूम होता है कि यह तो एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ हिमालय पर्वत सुरक्षा के लिये खड़ा है। हमारी राज्य सरकार की तवज्जह इस ओर नहीं है कि अगर हमारे पर कोई राष्ट्र हमला करेगा तो सेन्टर तो मदद करेगा ही मगर इन्टर्नल हमारी भी तैयारी होनी चाहिये। जैसे आपने एमर्जेन्सी के नाम पर कॉम्युनिस्टों को जेल में डाल तो दिया या कोई स्ट्राइक करने वाले आ जावें उनको कह दिया जावे कि एमर्जेन्सी के नाम पर अगर कुछ करोगे तो सीधे घाटगेट पहुंचा दिये जावोगे, समझ में नहीं आता कि यह क्या एमर्जेन्सी है। आपके यहां एमर्जेन्सी की जरूरत नहीं है। आप नन्दाजी और प्राइम मिनिस्टर को कहिये कि एमर्जेन्सी नहीं है जब पाकिस्तान वाले सीमा में घुसते जाते हैं और हम कहते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ नहीं है। आपको इसकी कोई चिन्ता नहीं है। में इसके लिये यह आपसे निवेदन करूंगा कि आप और हम सबको, सदन के सभी सदस्यों को इस सम्बन्ध में प्राइवेट रूप से मीट करना चाहिये। हमको बताइये कि क्या हो रहा है ? पाकिस्तान की क्या गतिविधियां हैं। मगर आप कुछ भी नहीं बताते।

सभापति महोदया, मुझे यह बात मजबूर होकर कहनी पड़ रही है कि इस प्रकार से यदि हम अन-प्रिपेयर्ड रहे तो दो-ढाई वर्ष पूर्व जिस प्रकार चीन ने हमला किया और हमारी जो हालत हुई वही हालत होने वाली है। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आप समय पर ही पहले सतर्क हो जाइये। आप जागिये। में यह कहूंगा कि यह बात बहुत अहम है और आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

आप कहते है कि हमारी सरकार तो

(श्री मानसिंह महार)

धर्म निरपेक्ष सरकार है । मैं यह कहूंगा कि अगर कोई काश्मीर में जाकर कोई इधर-उधर कर देता है तो वहां पर बावेला मच जाता है, लेकिन राजस्थान में हिन्दुओं के साथ क्या हो रहा है और उसका एक नजारा मैं आपके सामने रखता हूं । एक नजारा मैं लेकर आया हूं । जोधपुर में मन्डोर गार्डन्स हैं, मशहूर गार्डन्स हैं, जहां से हमारे बरकतुल्ला साहब और उप-मिनिस्टर श्री परसराम मदेरणा आये हैं । वहां पर आपको मैं बताऊं कि किस प्रकार से आपके आक्र्योलोजिकल डिपार्टमेंट ने किया है । वे तस्वीरें मैं लेकर आया हूं और इसलिये लेकर आया हूं कि इस चीज को देखा तो मेरा सिर शर्म से नीचे हो गया । समानेत्री जी, मैं यह निवेदन करूंगा कि मंडोर में हड़बूजी और पाबूजी की मूर्तियां हैं और उनके सिर पर एक औरत खड़ी होकर फैशन की परेर्ड करे । अगर आप, मुख्य मंत्री जी कहें तो मैं यह सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं । एक तस्वीर नहीं, १५ तस्वीरें हैं । यह फैशन परेड दिया है । यह पुस्तिका मुझे श्री स्वरूपसिंहजी ने दी और उन्होंने कहा कि मुझे तो अजमेर जाना है, आपको चाहिये कि हिन्दू धर्म की रक्षा करो । कोई दूसरा धर्म जैसे मुसलमान या ईसाई होते तो बोलते, मगर आज हिन्दू धर्म के लिये कोई बोलने वाला नहीं है । यह एक बड़े शर्म की बात है कि इस प्रकार हिन्दुओं के देवताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपके यहां ये कारनामे क्यों हो रहे हैं ? जहां पर जी. ए. डी. के उप-मंत्री रहते हों, परसरामजी मदेरणा और बरकतुल्लाखां रहते हों ; एक तस्वीर नहीं है, कई तस्वीरें हैं । कहीं रामदेवजी को फैशन परेड की तरफ से पकड़ रखा है और कहीं और देवताओं को । मैं यह कहूंगा कि जहां पर फोटो लेना मना है और यह साफ है कि बिना इजाजत के फोटो नहीं ले सकते, जहां पुलिस की चौकी है, जहां पर आपके डिपार्टमेंट ने हमारे देवताओं के फोटो फैशन परेड पर दिलाये हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि आप धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिन्दू धर्म को बर्बाद करते हैं । यह फैशन परेड....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह फैशन परेड किसने आॅर्गेनाइज़ किया ?

श्री मानसिंह महार : यह फैशन परेड किसी अमेरिकन कम्पनी के द्वारा आयोजित किया गया । हिन्दुओं के देवताओं के सिर पर औरत पैर रखे हुए है । मैं इसको सदन की मेज पर रखूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आपको इस पर गौर करना चाहिये और निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की प्रवृतियों में जिन्होंने योग दिया है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये । आज हिन्दू धर्म के लिए कौन बोलने वाला है । मैं आपसे कहता हूं कि यह हमारे लिये शर्म की बात है और मैं जब इस प्रकार से देखता हूं, हमारा खून उबलता है और धर्म के नाते मेरा सिर भी चकरा जाता है । हो सकता है कि कभी मैं कोई गलत काम भी कर दूं । मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि हिन्दू धर्म की रक्षा कीजिये, हिन्दू धर्म आज राजस्थान में खतरे में है, उधर बोर्डर

(श्री मानसिंह महार)

भी खतरे में है और अब तो यह खतरा जोधपुर में भी पहुंच गया जहां से आपके बरकतुल्ला खां आये हैं, यह मैं सही कहता हूं और ये फोटुएं भी सदन की मेज पर रखता हूं।

सभानेत्री महोदया, मैं काफी समय ले चुका हूं, अब मेरा आखिरी निवेदन होगा और वह यह होगा कि, आज होता क्या है, हम जब भ्रष्टाचार और विजिलेंस कमीशन के बारे में बातें करते हैं तो कहा जाता है कि तुम्हारी तो फोबिया हो गई है, मैं भी मानता हूं कि सारे लोगों को यह फोबिया हो गई है। लोग शिकायतें करते हैं और गलत हो जाती हैं, यह मैं मानता हूं पर मैं यह भी मानता हूं कि १०० शिकायतें होती हैं तो दस-बीस शिकायतें तो जेन्युआइन होती हैं, उनमें से अगर पांच, दस पर भी प्रोम्प्ट एक्शन ले लेते हैं तो इस प्रकार की चीजें रुक जाती हैं। अगर आप एक पर भी प्रोम्प्ट एक्शन नहीं लेते तो फिर वह चीजें बेकाबू हो जाती हैं। आज यह हो रहा है, अक्षरशः यह हो रहा है कि कभी कोई नजीर ले आता है; कभी कोई ले आता है, उनका कोई जवाब नहीं दिया जाता। जब मथुरादासजी माथुर पुलिस के इन्चार्ज थे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस मैं अभी समाप्त करता हूं।

तो हमको फौरन चिट्ठियां लिख कर भेजी जाती थीं कि इस इस प्रकार की सदन में या बाहर बातें कही गईं, आप हमको अपनी ग्रीवान्स बताइये। पर अब तो पुलिस के सम्बन्ध में कुछ भी कहें तो सुनवाई ही नहीं। मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस के दौरान में कई बातें कहीं, यहां तक कि कई बातें कत्ल के केसेज़ से ताल्लुक रखती थीं। मैंने डिप्टी मिनिस्टर साहब से पूछा कि क्या किया गया, तो उन्होंने कहा कि आई. जी. पी. साहब को रेफर कर दिया है। ७ दिन होने आये पर अभी तक उनके बारे में आई. जी. पी. साहब की तरफ से कुछ नहीं पूछा गया है।

इतने जोर-शोर से डांगीजी के बारे में कहा गया, मुख्य मंत्री बोले कि एन्क्वायरी कर रहा हूं, सदन को अवगत करूंगा, सदन को कॉन्फीडेन्स में लूंगा। इन बातों को भी चार पांच दिन हो गये। मर्डर की एन्क्वायरी तो चलेगी पर डांगीजी उधर से कैसे निकले, उनके आचरण को कैसा माना, लॉ डिपार्टमेंट से राय मांगी वह भी आई होगी। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि उस बारे में हमें कॉन्फिडेन्स में तो लें। यह मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे सदन के नेता में हमारा विश्वास रहे, हमारे सदन के नेता में हमारा विश्वास कम न हो। इसलिये हम आशा करते हैं कि जो आपके साथियों पर लांछन लगाते हैं, उनका फौरन जवाब दे कर, कितने भी घोटाले हों, उनसे आप निकल जाते हैं, उसी तरह इनसे भी निकल जायें। आप तो कभी चक्कर में नहीं आने वाले हैं, हमारे गुरु, हैं मैं मानता हूं वह तो आप चिन्ता मत कीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मानसिंह महार)

मैं अभी खत्म कर रहा हूं, ५ मिनट हो भी जायं तो मेरी पार्टी का समय काफी बाकी है।

तो आप तो वह चीज हैं, हम विरोधी पक्ष वाले कभी आपको शिकंजे में नहीं ले सकते। यह कोई उड़ीसा के मिश्रा साहब या पटनायक साहब थोड़े ही हैं कि चक्कर में आ जायें। ये कितने ही मेमोरेंडम, कितने ही फोटो पेश करें, कितने ही पत्र पेश करें, कुछ नहीं कर सकते, हम मानते हैं, आप तो न मालूम कौनसी विद्या के हो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे साथी भी बावले हैं, मैं मेरे लिए कहता हूं कि आपका विरोध करते हैं। पर आप हमारी नजरों में ऊंचे हों इसलिए कहते हैं कि यह डांगीजी का किस्सा गलत है। मैं समझता हूं, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बाजीगर सा यों ही रखा है, उसमें कोई तथ्य नहीं हैं, आप दो शब्द कह दीजिये कि गलत है; नहीं तो हमें भ्रम हो रहा है।

मैं रिश्वत के बारे में कह रहा था। आप रिश्वतखोरी को रोकने के लिये कभी कभी कुछ प्रयास करते हैं पर आपके प्रयास एक तरफा होते हैं। आप सबको एक चाबुक से हांकें। विरोधी पक्ष की शिकायत आई तो उसमें भी उसी तरह से कार्यवाही करें जैसे कांग्रेस वालों की शिकायत में करते हैं। पर आप क्या करते हैं कि आपके पक्ष के आदमी के खिलाफ शिकायत आती है तो आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं और हमारे पक्ष के किसी आदमी की शिकायत आती है तो उसको आप परेशान करते हैं, उस बेचारे को उठने नहीं देते, उसकी वह हालत करते हैं कि हद नहीं।

झोटवाड़ा के बी. डी. ओ. के खिलाफ मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय ऐसे गम्भीर आरोप लगाये थे, पर सभानेत्री महोदया, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी बात तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम कुछ भी कह दें जवाब देने वाला ही नहीं है। अगर ट्रेज़री बेंचेज़ का यही रवैया रहा तो हमें भी वही रवैया अख्त्यार करना होगा कि हम भी नहीं सुनें। सुखाड़ियाजी ने कह दिया कि राजस्थान की चहुंमुखी प्रगति हुई है, आपके कहने से ही वह नहीं हो गई, जब हम देखेंगे कि प्रगति हुई है, तो अपने आप कह देंगे कि प्रगति हुई है।

तो मैं शिक्षा मंत्रीजी से और गृह मंत्रीजी से दोनों से कहता हूं कि हम लोग जो यहां कहते हैं, बड़ी मुश्किल से तो तथ्य इकट्ठे करके लाते हैं और इसलिए लाते हैं कि आप लोगों को एग्ज़ेम्पलरी पनिशमेंट दें और लोगों में यह धारणा बने कि गलत काम करने वालों को तो सरकार बड़ी सजा देती है।

झोटवाड़ा के प्रधान के खिलाफ शिकायत होती है तो वह आपसे नाराज था, आप उससे नाराज थे तो फौरन उसे सस्पेन्ड कर दिया और वहां के एक सरपंच इंद्रसिंह के खिलाफ शिकायत होती है, तो क्योंकि वे वर्तमान प्रधान शकुन्तला जी के साथ हैं इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जितनी बार वे अपने घर से आये फर्स्ट क्लास का टी. ए., डी. ए. चार्ज किया

(श्री मानसिंह महार)

है । रेल्वे का टिकट देखा तो उस स्टेशन से आज तक कभी फर्स्ट क्लास का टिकट ही नहीं कटा । इस प्रकार की शिकायत करें तो कोई एक्शन नहीं, कोई सुनवाई नहीं । जिस स्टेशन से बैठ कर टी. ए., डी. ए. लिया अब तक उस स्टेशन ने फर्स्ट क्लास का टिकट ही इश्यू नहीं हुआ । यह क्या दुतरफा राज है ? प्रधान के खिलाफ शिकायत हो, क्योंकि आप उससे नाराज हैं इसलिए उसको तो सस्पेन्ड कर दिया और सरपंच के खिलाफ शिकायत हो और उससे आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐक्शन नहीं । यह नहीं होना चाहिए । सबको एक दृष्टि से देखिए । हम सबने मिल कर आपको सदन का नेता बनाया है तो आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं ।

यह एक खत है जो मुझे लूनी से आये हुए माननीय सदस्य ने दिया था, एक सरपंच ने ३ लाख रुपए का गबन कर लिया, उनको शिकायत करते करते ३ साल हो गये, नंदाजी तक हो आए, नंदाजी को कहा, विजिलेंस कमीशन में कहा, पर आज तक कोई ऐक्शन नहीं । वे दो-तीन दिन पहले सेक्रेटेरियट गए तो वहां उनको लिख कर दिया :

"The matter is under consideration."

उनका नाम भी बताता हूं, बातें तो बहुत कहनी हैं, और बातें कटौती प्रस्तावों पर कहूंगा लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि ग्राम पालासनी जोधपुर तहसील में है, श्री कृष्ण हैं, सरपंच हैं, नाम ही श्री कृष्ण है, इतने ऊंचे आदमी हैं, पालासनी के हैं, दो-तीन लाख का गड़बड़ घोटाला है पर कोई ऐक्शन नहीं । एक एम. एल. ए, 'लाख' को रिप्रेजेन्ट करता है, नन्दाजी के पास जाता है, वहां से राजस्थान में आदेश आते हैं । वे आपके डेवलपमेंट में जाते हैं और कई जगह जाते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं ।

यह क्या हो रहा है ? आप बताएं । इसी प्रकार मुख्यमंत्रीजी ने अपने जोधपुर के एक ६० हजार के गबन कांड के बारे में इस सदन में आश्वासन दिया था कि आप उसकी जांच करेंगे । वह भी पूनमचन्द बिश्नोई के बारे में था, एक फिजिकल कॉलेज फंड । यह सवाल इस सदन में रेज़ किया गया था, काफी समय हो गया; अब तो आप भूल भी गए होंगे क्योंकि आपने केजुअल वे में फर्माया था कि मैं ६० हजार रुपये के फिजिकल कॉलेज फंड के बारे में जो भी होगा करूंगा, लेकिन इसमें तो बजट इन्चार्ज मिनिस्टर, क्योंकि इसमें ६० हजार इन्वोल्व्ड हैं, को ध्यान देना चाहिए । फिजिकल फंड एक खोला गया है ६० हजार रुपये का जोधपुर में ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज के लिए जो बिल्डिंग खरीदी गई थी उस बिल्डिंग के अंदर....

श्री मानसिंह महार : स्वरूपसिंहजी इस समय नहीं है, वे कह कर गए हैं, उनको अपने इलाके का बड़ा दर्द है, जोधपुर में रामराज हो रहा है, लूट हो रही है, कुछ तो बोलो । इसलिए मुख्य मंत्रीजी

(श्री मानसिंह महार)

से प्रार्थना करता हूं कि इस ६० हजार के गबन के बारे में बताएं, आपने वायदा किया था।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : उनको खुद को बुला कर मेडन स्पीच करवा दो।

श्री मानसिंह महार : वह तो १९६७ में होगी, जब आपकी तुकल्लें कटेंगी, तब होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसका इन्तजार करना पड़ेगा इसलिए क्या फर्क पड़ता है; अभी हो जाय।

श्री मानसिंह महार : उसका इन्तजार कीजिये, नाथूरामजी साहब, आप आतुर मत होइए।

हम ही घनेई हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। वह तो १९६७ में बात करेंगे।

इसके अलावा खादी बोर्ड की कमेटी बनी। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को उसका मेम्बर बनाया, हमने सोचा सारी पोल सामने आ गई, लेकिन आज तक वह बेचारा कहता है कि हमको कोई पूछता ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि उनको ऐसी कमेटी में रह कर केवल झख मारना है? क्योंकि कलंक का टीका लगवाते हैं अपने सिर पर कि खादी बोर्ड की कमेटी में भैरोंसिहजी है। आप मौका दो उनको इन्क्वायरी करने का।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप कौन होते हैं कहने वाले कि वह झख मारता है?

श्री मानसिंह महार : व मेरे अभिन्न मित्र हैं, आप क्या जानें, हमारी तो को-पार्टनरशिप चलती है और उसके अन्दर सारा काम हम मिल-जुलकर करते हैं। आपकी तरह हम आपस में लड़ते थोड़े ही है।

ये ही शब्द अर्ज करना चाहता हूं वित्त मन्त्री जी के अभिभाषण के बारे में कि उन्होंने बजट तो दिया लेकिन तीन साढ़े तीन अरब का जो दिवाला हम पर डाल रहे हैं, वह शोभा की बात नहीं है। अब उनसे प्रार्थना है कि एक वर्ष में कुछ खर्चों को कम किया जाय, मितव्ययता की ओर ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब तक फिजूल खर्ची हो रही है उसको कम किया जाय, टैक्सेज कम किए जायं, कम से कम फूड ग्रेन्स पर टैक्स हटा दिया जाय और अंग्रेजी शराब पर टैक्स लगाएं। ये ही दो शब्द कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभानेत्री महोदया दो तीन दिन से डिस्कशन चल रहा है। मैंने बजट की किताब भी पढ़ी है और जैसे दूसरे सदस्यों ने इस बारे में कई बातें बताई मैं भी कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं स्वतन्त्र पार्टी के दो तीन मेम्बरों ने बात कहीं उस बारे में थोड़ा एडिमिन्स्ट्रेटिव सेट-अप के लिए मैं

(श्री दलपतसिंह)

माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि जहां तक हम लोग कोई भी बात मंत्रियों से कहते हैं, उस पर पूरी तवज्जोह दी जाती है। ज्यादातर ट्रांस्फरबाजी के बारे में माननीय सदस्यों ने जो फर्माया है, उसको मैं भी मानता हूं कि ट्रांस्फरबाजी के लिए सदस्यों की तरफ से मंत्रियों को फोर्स न किया जाय तो बंद हो जायगी। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है माननीय सदस्य ज्यादातर मिनिस्टरों के साथ ट्रांस्फरबाजी के बारे में फिरते नजर आते हैं। आप भी मिनिस्टरों को फोर्स न करें। अगर अपना मॉरल स्टेंडर्ड ऊपर होगा तो मिनिस्टरों को भी ऊपर होगा। लास्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने कुछ ट्रांसफर्स किए थे। यह मंत्रियों की जिम्मेदारी हो जाती है कि जब अधिकारीगण किसी माननीय सदस्य के एरिया में अच्छा कार्य नहीं करें तो उनकी बातों पर तवज्जोह देना जरूरी हो जाता है। ऐसी हालत में सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के नाते यह नहीं कहना चाहिए कि मिनिस्टर्स ट्रांस्फरबाजी में ज्यादा पड़ते हैं।

दूसरी बात हमारे पुराने माननीय सदस्य ने फर्माई कि जब मन्त्री महोदय दौरे पर जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इस बात के लिए मैं मुख्यमन्त्री को धन्यवाद देता हूं और आपको पांच-छः साल पहले की बात बताता हूं।

एक सीनियर ऑफिसर्स कॉन्फरेन्स आबू में हुई थी, वहां पर उन्होंने सब ऑफिसर्स को आदेश दिया था कि कोई भी नागरिक, एम० एल० ए० तो बड़ी हैसियत है, आपके पास में आए तो उसको पूरा टाइम दिया जाय और उसकी बात सुनी जाय। इसलिए माननीय सदस्य ने जो फर्माया कि जहां पर मन्त्री महोदय दौरे पर जाते है, वहां मोटरों पर पेट्रोल वेस्ट करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, यह सही नहीं है। राजस्थान के मंत्री जब दौरे पर जाते हैं, डेवलपमेंट के कार्य को देखते हैं, सबसे बात भी करते हैं।

खास बात पर अब मैं आता हूं, मैं बजट की तरफ सब सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किताब में लिखा हुआ है कि फूड पॉलिसी का क्या होगा, रेवेन्यू के अंदर हमको धन कितना मिलेगा, किस तरह से खर्चा राजस्थान के विकास के लिए जरूरी है, किस तरह से टैक्सेज़ जरूरी हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री ने इन सब टैक्सेज़ को जरूर देखा होगा। इस किताब की कई बातों से विदित होता है कि वित्त मन्त्री ने पर्सनल इन्टरेस्ट लेकर देखा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वित्त मन्त्री महोदय कहिए।

श्री दलपतसिंह : फ्लेटरी करने से क्या फायदा ? He is just like our friend. He is a member of the House.

सभानेत्री महोदया, वित्त मंत्रीजी ने पर्सनली इस बजट को देखा है। सबसे बड़ा कानून रूरल सेक्टर के लिए लाये हैं। मैं

(श्री दलपतसिंह)

उनको बधाई देता हूं । मनी लैंडिंग के लिए टैक्स का बिल लाये हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : लागू कहां हुआ है ?

श्री दलपतसिंह : इस किताब के द्वारा और भाषण के द्वारा लागू नहीं होता है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मनी लैंडर्स बिल पास करा लिया, लेकिन उसको लागू नहीं किया । पंचायत के चुनाव की वजह से नहीं लगाया और अब भी नहीं लगायेंगे ।

श्री दलपतसिंह : हम आप नहीं आये, उसके छः साल पहले से बात कर रहे थे ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बातें तो पहले भी की थीं ।

श्री दलपतसिंह : छः साल के बाद भी रूरल सेक्टर के लिए बड़ा प्रगतिशील कदम उठाया है । आज काश्तकार की यह हालत है कि " They take birth in debt, live in debt and die in debt," एक विद्वान ने यह कहा है । कर्ज के अन्दर अपने बच्चों के बच्चों को देकर चला जाता है । करोड़ों रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च करने के लिए इसमें रखा है, लेकिन काश्तकार इतने दिन तक कर्ज का मारा था, देने के साधन नहीं थे इसलिए धन्यवाद देता हूं । इसके लिए मेरा ख्याल है, सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा । इसको इम्पोर्टेन्स इस तरह से दें कि तहसीलवाइज़ हरेक काश्तकार के ऊपर कितना कर्जा है, यह लिस्ट वहां आ जाय, जिस प्रकार से बम्बई में है । कानून इन्ट्रोड्यूस कर देना मैं प्रगतिशील नहीं मानता । आज कल कितने ही केसेज़ होते हैं, वकालत में जाकर सामने आते हैं और काश्तकारों से अंगूठा चिपकाकर इनवेलिड होते हैं उनको वैलिड करा लेते हैं । कानून लगाये तो अच्छे ढंग से लगाये ।

शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए प्रगतिशील कदम उठाया है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं । एग्रीकल्चर सेक्टर में हजारों रुपया खर्च होगा और उसके अन्दर जितना पैसा है वह खर्च होता है । अब पैकेज प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ब्लॉक फर्स्ट स्टेज पर थे, अब अपर स्टेज पर लाये जा रहे हैं, फर्टीलाइज़र सप्लाई करने के लिए साधन दे रहे हैं और यहां तक कहूंगा कि राजस्थान सरकार की यह नीति है कि पॉवर सेक्टर से रूरल सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा पॉवर दिया जाय । इस सब प्रगति के साथ साथ इधर वाले या उधर वाले महानुभाव नहीं कह सकते । ज्यादा से ज्यादा पैसा एनीमल हस्बेन्डरी, उद्योग में लगाने का ध्येय जरूर है लेकिन इसके साथ २ एग्रीकल्चर में छोटी २ बातों के लिये मुसीबतें आती हैं वे यदि थोड़ी दूर कर दी जायं तो ज्यादा अच्छा होगा । गांवों में छोटे २ झगड़े कैसे पैदा होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोइन्ट है, क्रिमिनल एक्ट में संशोधन का है । हम जिस जनता को

(श्री दलपतसिंह)

रिप्रेजेन्ट करते हैं आप मिनिस्टर सारी राजस्थान की जनता को रिप्रेजेन्ट करते हैं, आप इसको सेन्टर को बताओ। जैसे किसी काश्तकार की भैंस की चोरी हो गई। एस. डी. ओ. के यहां जिसका हैडक्वार्टर, उसके गांव से चालीस–पचास मील दूर होता है, तो उस काश्तकार को कानूनी डिफिकल्टी क्या फेस करनी पड़ती है वह बताता हूं। दो-तीन-पेशियां पड़ जावेंगी। एक हजार की उसकी भैंस है; वह भैंस उस समय में मिल्क वफेलो नहीं रहेगी और उसकी हालत खराब हो जावेगी। काश्तकार दो तरफ से मारा जाता है। पहले तो उसके घर पर चोरी होती है। पुलिस उससे पूछती है कि भाई कौन चोर है, तू पहिचानता है? पहिचानता होता तो चोर के डंडे लगा देता, डोलता थोड़े ही! कहने का मतलब यह है कि इस टेक्निकली के कारण उसको पेशियों पर जाना पड़ता है इसलिए सरपंच से ही उसको यह सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिये कि यह वही भैंस थी जो चोरी की गई, यदि वह मिल जाय तो।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उस आदेश से तो बहुत से मुल्जिम छूट जावेंगे।

श्री दलपतसिंह : वकालत का पोइन्ट है तो पार्टी में बैठकर तय कर लेंगे। मेरा मतलब सिर्फ कहने का इतना ही है कि कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये, काश्तकारों को इतनी दूर लम्बी पेशियों पर न जाना पड़े। काश्तकार के लिए भला हो तो एस. डी. ओ. के यहां नहीं, तीन-चार मील ही तहसील है, पंचायत का हैडक्वार्टर हो तो वहां पर उसका कोर्ट होल्ड करके फैसला कर दें। किसी ऐसे मसले को हल नहीं कर सकेंगे तो कानून के तहत अधिकार लेने का क्या फायदा होगा? काश्तकारों को आपस में पटवारी और पुलिस वाले लड़वा देते हैं। सब लोग ही ऐसा करते हैं, यह जरूरी नहीं है। जनरली मेरी टूर में ये केसेज़ नजर आते हैं। जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, इम्प्रूवमेन्ट कर रहे हैं, उन काश्तकारों को एग्रीकल्चर ऑपरेशन के टाइम पर पेशियों पर जाना पड़ता है और इससे प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है। दो–चार पेशियों पर जाना पड़ता है, तो बड़ा भारी प्रोडक्शन पर असर पड़ जाता है, एक क्रोप की इकॉनोमिक ईल्ड का फर्क पड़ जाता है। पटवारी और पुलिस वाले मिल जाते हैं और लड़ा देते हैं। तीन–चार महीने पहले भी निवेदन किया था। ऐसा तरीका रखिये कि राज्य के तहसीलदारों को पॉवर दे दीजिये जिससे पन्द्रह–बीस दिन में झगड़ों का निपटारा हो जाय, ऐसा रास्ता निकालिये। नहीं तो होता क्या है कि पटवारी और पुलिस वाले एक दूसरे काश्तकार को एक दूसरे के प्रति सिखा देते हैं कि तेरे बाल-बच्चों और लुगाई पर हमला कर दिया, तू यह कर दे। समझौता हो जाता है तो हजार रुपया खा जाते हैं और नहीं होता है तो काश्तकार को और अधिक परेशान होना पड़ता है पेशियों पर जा जा कर, अपनी फसलों को बर्बाद करता है। कोई

(श्री दलपतसिंह)

किसी को मार रहा है, पुलिस वालों को कहना निहायत जरूरी हो आता है, एक काश्तकार दूसरे काश्तकार को मार रहा है तो पुलिस वाले कह देते हैं, तीन-चार साल से यह देख रहा हूं। पटवारी और पुलिस वाले दोनों मिल कर काश्तकार को सिखा देते हैं कि दूसरे काश्तकार की तरफ जानवर वगैरह खेदेड दे। फिर झगड़ा हो जाता है। गरीब काश्तकार सोचता है कि औरतों को कहां कोर्ट में ले जाऊंगा, वह समझौता कर लेता है और ये लोग पैसा खा जाते हैं। इसलिए इस ओर कोई सरकार को तरीका निकालना चाहिये। इससे काश्तकार को नुकसान के साथ साथ देश को पैदावार का नुकसान होता है।

तीसरी बात मैं आपको कहता हूं कि आज अलॉटमेन्ट के बारे में बड़ी भारी गड़बड़ियां हो रही हैं।

भूमि के अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक महीने पहिले माननीय मुख्य मंत्री हमारे इलाके की तरफ टूर में पधारे। पुराना जो सेटिलमेन्ट हुआ वहां रोटेशन ऑफ कल्टीवेशन के तरीके से चलते हैं। जिस समय सेटिलमेन्ट हुआ पोर्शन ऑफ दी लैण्ड कल्टीवेटेड होता है। एक पोर्शन ऑफ दी लैण्ड जो सेटलमेन्ट में नहीं आया और जो बिला नाम के दर्ज है उस पर हजारों सालों से काश्तकार काबिज थे। यह समस्या मैंने मुख्य मंत्री के सामने रखी, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसे देख लूंगा। उन्होंने इस सम्बन्ध में अभी अभी ऑर्डर निकलवाया है, उसकी तहत उनको उस भूमि का राइट मिल जाना चाहिये, बिना नाम की जो जमीन है जिस पर दस साल की लिमिट है, यह सर्कुलर उनके हित के अन्दर है, इसको जल्दी निकलवाइये। नीचे जो अधिकारी हैं, तहसीलदार या अन्य अधिकारी, जो इसको एग्ज़ीक्यूट किया करते हैं वे उसका इन्टरप्रिटेशन इस प्रकार से निकालते हैं कि जो जमीन गड्ढों में ऊबड़-खाबड़ है उसको लेकर इस पोइन्ट को टाल देंगे। मेरा निवेदन है कि आपके आदेश का पूरी तरह से पालन होना चाहिये और उन लोगों को फायदा होना चाहिये, लेकिन नीचे के अधिकारियों की जिस प्रकार की हरकतें रही हैं उसके कारण उनको वह भूमि नहीं मिलने वाली है। यह हजारों काश्तकारों का इम्पोर्टेंट पॉइन्ट है। चार-पांच साल पहले उन लोगों ने इस भूमि पर कुएं खुदवाये और उस भूमि की तरक्की की है। अगर वह जमीन उन लोगों को मिल जाती है तो उन लोगों का जीवन-यापन ठीक प्रकार से हो सकेगा। वहां पर बड़े बांध बनना मुश्किल है, मेड़ा के काश्तकार, बलगाना के काश्तकार जिनके पास बिला नाम की जमीन है, जिन्होंने उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये हजारों रुपया खर्च किया है। इसके बारे में पहले श्री धन्नारामजी, जो एम० एल० ए० थे, उन्होंने भी इस प्रश्न को उठाया था। मेरा आपसे निवेदन है कि जमीन के मामले के जितने भी कागजात हैं उन पर आपको जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिये। आपको उन पर इस प्रकार की लटकती हुई तलवार नहीं रखनी

(श्री दलपतसिंह)

चाहिये ताकि किसान को हर समय डर बना रहे कि न मालूम कब तलवार उन पर पड़ जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत एक्सप्लेनेशन की तौर पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री दलपतसिंह : आपको जो कुछ भी कहना हो मेरे भाषण के बाद कह दीजिये। मुझे आप डिस्टर्ब न करें।

मैं जमीन के अलॉटमेंट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, इसके लिये हम रूल्स, रेगुलेशन्स में तरमीम ला रहे हैं। पहले डिसाइड किया जाता है, जो वैधानिक तरीका है काश्तकार नम्बर लिखे। यह रख देने से एक दूसरी प्रकार का करप्शन फैलता है, हम इस करप्शन की तरफ नजर रखें। आज काश्तकार ६० परसेन्ट अनपढ़ हैं जब वह नम्बर लेने जाता है, गुडविल के तरीके से कुछ न कुछ देता है, यह मैं किसी तबके को निन्दा करने के लिये नहीं कहता। यह तब तक चलेगा जब तक किसान पढ़कर न आये। इसलिये मेरा निवेदन है उनके हित के लिये कोई कमेटी रेवेन्यू ऑफिसरों की बिठाइये जो इसका कन्कलूज़न निकाले।

मान लीजिये किसी इलाके में बीस हजार अर्जियां आती है उसको लिखने के लिये अर्जीनवीस पांच रुपये लेगा और पटवारी बगैरह जो नम्बर देगा उसके १५ रुपये मान लीजिये। बीस हजार अर्जियां एक तहसील में मामूली बात है। बिला नाम की जमीन के लिये मेरे खुद की तहसील के अन्दर चार हजार प्रार्थना-पत्र दिये हैं, उसके बीस हजार रुपये तो इस तरह से चले गये, यह जो मैं कह रहा हूं करप्शन का प्रत्यक्ष रूप है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मैं आपका ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं, अगर आप सिम्पल थियोरीज़ भी एडॉप्ट कर लेते हैं तो इन्डाइरेक्ट फीस के रूप में लाखों रुपया जाता है वह रुक सकता है। सबल नाम की जमीन जिसके पास है उसका खसरा नंबर दे दें, वह लिस्ट सरपंच को दे दें कि इतनी जमीन बिला नाम की है वह सरपंच से नंबर ले आये। सरपंच गुडविल और को-ऑपरेशन की तौर पर जमीन दे दे।

बीमारी की रोकथाम के बारे में मेरा निवेदन है, जितना एक मरीज का इलाज होना जरूरी है उतना ही आवश्यक फसलों में बीमारी लग जाती है उसका निदान होना आवश्यक है। इसके अलावा बीमारी के हट जाने के बाद भी प्रिकॉशन लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अन्दर पॉवर फर्टिलाइज़र आदि सब दे रहे हैं, वह इसलिये कि इसमें सुधार हो। मैं राजस्थान सरकार को कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि यह फर्स्ट टाइम है रिसर्च कमेटी एग्रीकल्चर में कायम की है। इसके साथ ही मैं हमारे एग्रीकल्चर अधिकारियों को निवेदन करना चाहता हूं, अच्छे-अच्छे मेले होते हैं हम देखते हैं उद्योगपति हजारों रुपया अधिकारियों को देते हैं और उनको ट्रेनिंग

(श्री दलपतसिंह)

के लिये भेजते हैं। रिसर्च कमेटी की स्थापना हुई है उसके साथ ही रिसर्च का महकमा भी साथ ही होना चाहिये।

(४.४७. म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसमें एक्सपेरिमेन्ट्स के द्वारा ओर्बन टाइप की जो डिजीज़ेज़ हैं फोरेस्ट्स की डिजीज़ेज़ है उनके बारे में रिसर्च किया जायगा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : रिसर्च कमेटी के आप भी तो मेम्बर हैं।

श्री दलपतसिंह : मैं मैम्बर हूं, मैं छोड़ सकता हूं, आप आना चाहें तो आप आ जाइये; मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं देश का डेवलपमेंट हो, खेती के मामले में किसान आगे बढ़े। खेती में जितनी बीमारियां लगती हैं उनका अनुसन्धान हो और उसको दूर करने के उपाय किये जाने चाहिये। मैं मेम्बर हूं लेकिन मैं चाहता हूं इससे देश का सर्वांगीण विकास कार्य हो। ट्रान्सफरबाजी में या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है उससे मेरा ताल्लुक नहीं। मैं चाहता हूं रिसर्च के जरिये खेती में सुधार हो तो किया जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : क्या यह रिसर्च कमेटी ऑल इन्डिया वाइड है।

श्री दलपतसिंह : ऑल इन्डिया वाइड है लेकिन जो भी इससे फायदा हो वह हमें अवेल करना चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं इससे आप प्रेरणा लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री दलपतसिंह : अभी समय मेरा नहीं हुआ है, मैं आज का पूरा टाइम लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप टाइम पूरा लीजिये लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सात मिनिट आप ले लें कुछ मिनिट जो बचेंगे उसमें और कुछ बिज़नेस है उसको कर लिया जाय।

श्री दलपतसिंह : एक सब्जेक्ट पर ही निवेदन करना चाहता हूं। कपास में बीमारी को रोकने के लिये सरकार की तरफ से जो पाउडर दबा हवाई जहाजों द्वारा छिड़की गई उससे लाखों मन कपास पैदा हुआ। इसलिये इन बीमारियों की रोकथाम के लिये पहले बढ़ना चाहिये। जिस प्रकार टी.बी. का पेशेन्ट होता है वह ठीक हो जाने पर भी उसको प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं डाइट वगैरह के उसी प्रकार का तरीका इसमें भी काम में लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक महीने पहले में जालौर की तरफ एक तहसील में गया था, जहां सैकड़ों मन सेवज गेहूं

(श्री दलपतसिंह)

पैदा होता था । ऐसा १०० मील का एरिया है । वह उजाड़ मालूम पड़ता है । उसका कारण मालूम पड़ने से पता चला कि वहां डेवलपमेंट के लिये बान्ध बने हैं लेकिन उसके लिये टैक्निकल सर्वे नहीं हुआ । उसके कारण बीच में सड़कें बनी, नाले बने इस कारण पानी का बहाव वहां रुक गया । पहले जो पानी बह कर आता था उसके साथ मिट्टी वगैरह आती थी, उनसे सेवज गेहूं की पैदावार बहुत होती थी । उदयपुर घाटी से पानी आता था उससे हजारों मन गेहूं पैदा होता था । लेकिन बीच में सड़कें, बांगली का बांध और दो-तीन जगह और बान्ध आ जाने से नहीं हुआ । मेरा सुझाव यह है इसके लिए कि उदयपुर के चारभुजा की तरफ से जो पानी आता है उसको नाला वगैरह बांध कर पानी भिजवाइये ताकि काश्तकारों को खेत में पानी मिल सके । यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, छोटा नहीं है । आज वहां के काश्तकार कहते हैं कि यह पानी रोक कर हमारे डेवलपमेंट का तो नाश कर दिया सरकार ने । हजारों मन अन्न जो पहले उपजता था वह नष्ट हो गया । तो इस तरह की एक छोटी सी टैक्निकलिटी की गलती से सरकार के खिलाफ गलतफहमी का चान्स बढ़ जाता है । प्रोडक्शन में भी नुकसान होता है ।

इरोज़न के बारे में कहना चाहता हूं । वहां पर नदियां माउन्ट आबू से रावत और सांचौर की तरफ आती हैं । उससे टमाटर का प्रोडक्शन अच्छा होता है । पर चार पांच नदियां गहरी चली गई हैं और इससे कुओं का पानी भी नीचे चला गया है । अब जब तक उन पर बान्ध वगैरह ऐसी कोई चीज बनाकर पानी नहीं रोकेंगे तब तक कुओं का पानी ऊपर नहीं आवेगा और पानी नहीं आवेगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और वहां के काश्तकारों की माली हालत नहीं सुधर सकेगी ।

काश्तकारों के कुएं तैयार हैं, पर पानी नहीं होगा तो रबी और खरीफ की फसल उनकी ठीक नहीं होगी । रबी खरीफ क्रॉप के अलावा पैटर्न क्रॉप होती है । अब खरीफ की फसल फेल हो गई, पानी और कुओं में आ गया, तो रबी की क्रॉप में वह अपनी कमी मीट कर लेगा ।

इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ भी ध्यान दिलाता हूं । हजारों रुपया खर्च हो रहा है तो जैसे लास्ट ईयर बजट में ऐलान हुआ था कि सरचार्ज को फिनिश कर देंगे....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : है कहां ?

श्री दलपतसिंह : तो उसे फिनिश कर देना चाहिये था ।

वित्त मन्त्रीजी, यह तो जादूगर वाला खेल हो गया । पीछे की बात भूल जाओ और आगे ठीक कह दो । तो डाइरेक्ट हो या इन्डाइरेक्ट आप उसे फिनिश करें ।

अब जहां पर बान्ध के साधन नहीं हैं, एनीकेप के साधन नहीं हैं, नदियां पास में नहीं हैं, वहां पर लोगों ने सिर्फ लिफ्ट इरि-

(श्री दलपतसिंह)

गेशन का काम शुरू किया, अपने पैसे लगाकर और यह हम जानते हैं कि यह काम ज्यादातर मशीनों से होता है। आपने इस पर भी हमला किया। क्रूड ऑयल पर टैक्स लगाकर। इधर तो पॉवर की कमी है, किसी तरह से अपना पैसा लगा कर वे यह काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और आप उस पर भी टैक्स लगाकर मंहगा कर रहे हैं। तो या तो फिर पॉवर दें उनको, फिर क्रूड ऑयल पर भले ही टैक्स बढ़ाओ। लास्ट ईयर भी भाव बढ़ा दिये थे सेन्ट्रल बजट में। आज पॉवरिन की यह हालत है कि वह प्योर नहीं मिलता। आप बरमा शैल को लिखकर तलाश कर लीजिए। अगर हाई गेयर में प्लोइंग होता है तो प्योर तेल नहीं मिलने से उसकी उस १३ हजार की मशीन में खराबी हो सकती है। एक पर्सेन्ट काश्तकार ने अपना पैसा लगाकर अगर उन्नति की है तो आप उसे बर्बाद करने के हकदार नहीं हैं इस तरह। रोटन तेल देते हैं तो आप लिखें कम्पनी को, नहीं तो १३ हजार की उसकी उस मशीन में लगी हुई कैपिटल का खराबा हो जावेगा।

इसके अलावा फोरेस्ट की समस्या के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जितने आदिवासी माउंट आबू के नीचे रहते हैं उनका इससे सम्बन्ध है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : आदिवासियों को तो बोलने का टाइम नहीं दिया जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : कल देंगे आपको।

श्री दलपतसिंह : जब वहां पुलिस का बर्ताव बुरा होता है। एक कॉन्स्टेबल थानेदार बनकर चला गया। सिरोही में ऐसा ही केस बन गया है। शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी को जूते लगाकर चला आया और साठ-सत्तर रुपये उससे ले लिए। एस. पी. को कहा तो कुछ नहीं, वही थानेदार और कॉन्स्टेबल जांच वगैरह कर रहे हैं, साल भर हो गया केस चल रहा है। जो लाख आदमियों को रिप्रेजेन्ट करता है एम. एल. ए. उसकी बात आप नहीं मानते। एस. पी ने कहा उसको भरोसा करके फौरन उसे सस्पेण्ड कर देना चाहिये था, पर यह सब कुछ नहीं हुआ। काश्तकारों में और उन पिछड़े लोगों में आज पढ़ाई नहीं है। अगर वे जानकार होते तो उस कॉन्स्टेबल के उल्टे जूते लगाते, उसे शूट कर देते। झोंपड़े में आकर। जागृति जिस दिन आवेगी उस दिन इनकी यह हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह से जूते लगादें। आज इल्लिट्रेसी है, लोग डरते हैं। आज कलेक्टर वहां जाता है तो जी हुजूरी करने लगते हैं। क्योंकि बहुत लम्बे अर्से तक वे गुलामी में रहे और अंग्रेजों ने उनको गुलामी का सबक ही सिखाया है। और जागृति होती उनमें तो कलेक्टर की जी हुजूरी करने की बजाय कलेक्टर के जूते लगा देते कि न्याय क्यों नहीं हुआ अभी तक ? ऐसी छोटी बातों पर एम. एल. ए. जाकर कहता है, सीरियसली उसे लेना चाहिये।

माउंट आबू की बात थोड़ी अर्ज कर दूं। हजारों यात्री यात्रा के लिये वहां थोड़े दिनों में आने शुरू हो जावेंगे। यह तो ठीक है कि आपने पाइप पानी के लिए लगाये

(श्री दलपतसिंह)

हैं। रेगुलेशन की कोशिश की है। पर उसमें थोड़ी खामी है, उसके लिए आप टेक्निकल ऑफीसर को जल्दी ही लिख दें नहीं तो यात्री जावेंगे, आप भी आवेंगे तो समस्या खड़ी होगी।

वाटर के साधन नहीं होने से इन्डस्ट्रियलिस्ट्स वहां एक कम्पनी खोलना चाहते थे बीयर की या किसकी, मुझे मालूम नहीं, वह नहीं हो सकी, नहीं तो उसमें कम से कम तीन हजार आदमी काम करते।

वैसे कागज का कारखाना वहां प्रगति पर है, सीमेंट का भी कारखाना खुल रहा है और इधर एक काम यह भी अच्छा किया कि मेंटल इन्डस्ट्री भारत सरकार खोलने वाली है, वह मेरे ख्याल से आबू रोड के लिये खुलने वाली है। अगर ये कम्पनियां खुल जावेंगी तो १०-१५ हजार आदिवासियों को रोजगार मिल जावेगा। आज लैंड से उनकी समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो रही है। पर इसके अलावा इन इन्डस्ट्रियों से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा और उनकी हालत थोड़ी सुधरेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट।

शिक्षा के बारे में थोड़ा अर्ज कर दूं। वैरी पोलाइटली आई रिक्वेस्ट वाटर टाइट मैं कभी नहीं रहता। मेरे मगज़ का टैम्पो होता है तब राइट बात कहता हूं। शिक्षा के बाबत मैं कहता हूं। बुजुर्ग आदमी पहले के जमानों में मास्टर बनकर गुरुकुल खोलते थे और बच्चों के चरित्र का निर्माण करते थे। अपने अनुभवों से उनको सुधारते थे। तब जाकर उस समय की पीढ़ी शानदार बनती थी। पर आज आपने स्कूलें तो खोली हैं पढ़ाने के लिए, पर वहां आप भेजते हैं १५ १६, और १७ साल के मास्टर। बच्चे खुद होते हैं वे क्या प्रभाव और संस्कार उन बच्चों में डालेंगे जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। उनके अन्दर स्वयं में ज्ञान की कमी है। मैट्रिक पास करने से ही कोई ज्ञानी वे नहीं बन जाते। इस सैक्टर में प्राइमरी सैक्टर में बहुत ही अज्ञान है। अब अज्ञानी से अज्ञानी मिल गये तो क्या भला करेंगे? तो इसलिये कहता हूं कि जो पुराने रिटायर मास्टर हैं उनको गांवों में भेजिये। वे १६, १७ साल के आदमी क्या बदमाशी करते हैं, यह ध्यान बाद में मैं आकर्षित करूंगा। अभी तो इतना ही कहना चाहता हूं कि १५, १६, १७ साल के बच्चों को आप गांवों मे मत भेजिये। हमारा ओल्ड सिविलाइज्ड देश है। आज इन बच्चों के दिमाग पर जो रेखाएं वे खींचते हैं वे प्रभाव डालेंगी जीवन भर। अगर खराब असर डालेंगे तो वह आगे जाकर देश के हित में बुरे परिणाम लावेंगी।

इसके अलावा एक छोटी सी बात कहता हूं। एक जीवनमल मास्टर है, दो साल से वह मुझे फिरता मिल गया, एक दिन गवर्नमेंट होस्टल में। शक्ल सूरत में भूस्वामी बने हुए थे। दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई हैं। पूछा यह क्या है? तो कहा पैसे नहीं है, हजामत बनाने के लिए। देखिये आप कि वह

(श्री दलपतसिंह)

१९४० में मास्टर था। यह हंसी की बात नहीं है। रोने की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहता हूं कि रूरल सेक्टर में क्या होता है ? अच्छे काम करने वालों के साथ आप क्या करते हैं, यह इसका नमूना है। उसे आपसी मास्टरों की कुछ अनबन में ६० में उसको सस्पेन्ड कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और वह दो साल से सस्पेन्ड हैं। हाई कोर्ट से जीत कर आया। अपील की लेकिन आज तक रिइन्स्टेट नहीं हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

सदन का समय समाप्त हुआ। अब क्योंकि मेरे पास एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये माननीय श्री सम्पत्तिलालजी बोहरा की तरफ से स्लिप आई हुई है। तो उनको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अवसर देने के लिए सदन का समय पांच मिनट और बढ़ाया जाता है। आशा है कि सदन की इसके लिये अनुमति होगी।

(स्वीकृत)

सदन का समय पांच मिनट बढ़ाया जाता है।

Now you may conclude, if you so like.

श्री दलपतसिंह : इस तरह से रूरल सेक्टर में आपने जितने टैक्स लगाये हैं उन पर आप अपना स्पष्टीकरण दें। जैसे क्रूड ऑयल पर है। इसे भी आप अमेन्ड कर दें तो अच्छा है। ये कुछ अच्छी बातें नहीं हैं, बाकी तो काफी अच्छी बातें भी आपने रूरल सेक्टर में की हैं, ज्यादातर बहुत अच्छा पैसा दिया है आपने रूरल सेक्टर में। तो इसके लिये तो धन्यवाद है।

(५ म. प.)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा का स्पष्टीकारक वक्तव्य

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण के बाद माननीय सदस्य श्री गोकुलप्रसादजी ने माइका वेस्ट के बारे में बात करते हुए कुछ कहा। मैंने माइका वेस्ट के बारे में जो रोक की बात कही थी वह इस दृष्टि से कहा था कि राजस्थान का हित, राजस्थान की जनता का हित और माइका वेस्ट से सिर्फ माइका ब्रिक इन्डस्ट्री ही नहीं बनातीं बल्कि और दसियों बातें और मैंने गिनाई थीं–माइका ट्यूब्स बनती हैं, वायर बनते हैं और दसियों चीजें बनती हैं। तो उन्होंने मेरे ऊपर यह चार्ज लगाया कि क्योंकि उस फैक्टरी का मैं वकील हूं इसलिए मैंने उनके कहने से यहां वकालात की। मैं सदन का और आपका इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं उनका वकील न तो इन्कम टैक्स का हूं और न सेल्स टैक्स का हूं और न मैंने उनके कहने

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

से कोई यह बात कही है। यह स्पष्टीकरण करना मैं जरूरी समझता हूं।

दूसरी बात यह है कि यह तो उनकी आदत है कि बिना कुछ सोचे-समझे किसी प्रकार का इम्प्यूटेशन किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगा देते हैं. तो यह सदन की मर्यादा का सवाल है कि किस प्रकार के भाषण सदन में दिये जायें और किस प्रकार के भाषण नहीं दिये जायें, किसी व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाये और क्या नहीं कहा जाये। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की बातों में जो कुछ कहा जाये, इस स्पष्टीकरण को नोट कर लिया जाये और मैं फिर से इसको दोहराता हूं कि मैं इस कम्पनी का जो माइका ब्रिक्स बनाती है न तो इन्कम टैक्स का वकील हूं और न उनका सेल्स टैक्स का वकील हूं, न उनके कहने से मैंने कोई बात कही। मैंने सारे राजस्थान के हित के दृष्टिकोण से यह बात कही और इसमें राजस्थान का ही नहीं सारे भारतवर्ष का हित है। माइका वेस्ट की कीमत कुछ हजारों रुपया होती है, लेकिन इससे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे हमारा फोरिन एक्सचेन्ज आ सकता है। मैंने कहा था कि माइका ट्यूब्स हम बना कर भेजें और हिन्दुस्तान के बाहर से यह चीजें आती हैं। मैं कहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी जो इसका भला चाहते हैं अगर इस अकेले इन्डस्ट्री को डेवलप करें तो राजस्थान में करोड़ों रुपयों का फायदा हो सकता है। मेरी यही मन्शा थी। तो मैं आपसे यह कह कर एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मैं उनका वकील नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब सदन का थोड़ा सा समय है। मैं माननीय श्री केदारनाथ जी का नाम कॉल करता हूं। फिर आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया उसका माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण किया। माननीय सदस्य को चाहिए कि आरोप लगाकर वे चले नहीं जायें बल्कि उपस्थित रहें। या तो उस सम्बन्ध में वह सदन से इसकी क्षमा चाहें वर्ना सदन को उनके खिलाफ इस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए कि इस प्रकार के आरोप वह आइन्दा न लगायें। इन्होंने स्पष्टीकरण किया और रिपोर्ट ऑफ दी वर्किंग ग्रुप ऑफ दी मिनरल डिपार्टमेंट इन दी थर्ड फाइव ईयर प्लान है, जिसमें राज्य सरकार ने स्वयं ने यह महसूस किया है कि जितना भी वेस्ट माइका है उसकी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कुछ न कुछ स्कीम टेक-ओवर करना चाहिए। राज्य सरकार की मन्शा है तो क्या यह समझकर चला जाये कि राजस्थान सरकार के एसोसियेशन के कहने से इस प्रकार की बात आ सकती है। ऐसी स्थिति में जो आरोप लगाया है वह बिल्कुल गलत है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो माननीय सदस्य जिन्होंने यह आरोप लगाया है वे क्षमा मागें, वर्ना उन शब्दों को आप प्रोसीडिंग्ज़ में से एक्सपन्ज करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय सदन का

(श्री उपाध्यक्ष)

समय समाप्त हो रहा है और माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए इस विषय में कल माननीय अध्यक्ष स्वयं व्यवस्था देंगे।

अब सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर ५ मिनट पर कल, दिनांक ११ मार्च, १६६५ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई]

————

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १० मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२३३९	४	ब्यास :	व्यास :
,,	अन्तिम	करें	करेंगे
२३४१	१६	तुलाई	तलाई
२३४३	११	भीं	भी
२३४४	४	केवल	केवल
,,	अन्तिम	फिक्सशन	फिक्सेशन
२३४५	८	श्री चन्दनलल	श्री चन्दनमल
,,	१६	ब्यवस्था	व्यवस्था
२३४८	१४	धेतन	वेतन
२३४९	५	वताइये	बताइये
,,	१६-१७	श्री अध्यक्ष। प्रश्न संख्या २६८	श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २६८
२३५०	७	रूलिग	रूलिंग
२३५१	७	सम्वन्धित	सम्बन्धित
२३५२	१	सेन्च्युअरी	सेंक्च्युअरी
,,	१६	श्री भोखाभाई	श्री भीखाभाई
२३५५	२५	दस्तकला	हस्तकला
,,	अन्तिम	बनस्पति	वनस्पति
२३५६	५	तक नीकी	तकनीकी
२३५७	११	परिवर्तन	परिवर्तन
२३५९	१०	जुझारसिह	जुझारसिंह
२३६०	६	आदर्शों	आदेशों
,,	२५	हें	हैं
२३६१	६	सतोषजनक	संतोषजनक
,,	१६	वाले	वाले
,,	२६	जाच प्रर्रभिक	जाँच प्रारंभिक
२३६२	१३	उ हें	उन्हें
,,	अन्तिम	करेगे	करेंगे

१	२	३	४
२३६३	१८	विचाराधीन	विचाराधीन
,,	२०	स्वीकृत	स्वीकृत
२३६४	१, १३व१६	श्री हरिशचन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
,,	६	सरदार	सरकार
२३६६	१	नह	नहीं
२३७१	१	असमथ	असमर्थ
,,	६	श्रा	श्री
२३७४-७५	शीर्षक	–१० फरवरी, ६५–	–१० मार्च, ६५–
२३७५	८	स्टेटस मन्टेन	'स्टेटस-को' मेन्टेन
२३७६	अन्तिम से ५	२८	२८१
२३७७	शीर्षक	३२७७	२३७७
,,	१७	जयपर	जयपुर
२३७६	अन्तिम से ३	सव	सर्व
२३८४	शीर्ष	(श्री रामप्रषाद लड्ढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
,,	अन्तिम से ५	श्री रामग्रसाद	श्री रामप्रसाद
२३८६	६	आघार	आधार
,,	१४	श्री भैरोंसिंह	२६३. श्री भैरोंसिंह
२३६१	१३	श्री ज्वालाप्रसाद :	श्री ज्वालाप्रसाद ।
२३६२	६	आइ० ओ०	आई० ओ०
,,	२३	कीई	कोई
२३६४	५	अवघि	अवधि
,,	१३	कमलावत	कमलापत
२३६८	शीर्ष	हाडा)	हांडा)
,,	५	व्यक्यिों	व्यक्तियों
२४०३	१	प्रार्थ-नापत्र	प्रार्थना-पत्र
२४०४	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री अध्यक्ष)
२४०५	२०	दोरान	दौरान
,,	२४	दोर	दौर
२४०६	२४	औ‌र से	ओर से
२४११	६	मं	में
२४१२	शीर्षक	२३१२	२४१२
२४१७	१	कायक्रम	कार्यक्रम

१	२	३	४
२५२२	१६	को । स्कूटर	को स्कूटर
२५२६	२७	जात थे	जाते थे
२५३२-३३	शीर्षक	१० मार्च, ६५-पर अग्रत्तर	१० मार्च. ६५- पर अग्रेत्तर
२५३४	,,	आद-व्ययक	आय-व्ययक
२६४०	२२	विजिलेंस	विजिलेंस
२५४२	अन्तिम से २	है	हैं
२५४३	८	है	हैं
,,	२५	महोदया दो तीन	महोदया, दो तीन
२५४४	३, १० व २३	ट्रांस्फरबाजी	ट्रांसफरवाजी
२५४६	शीर्ष	(श्री दलप सिंह)	(श्री दलपतसिंह)
२५४७-२५६९	शीर्षक	पर वाद-विवाद	पर अग्रेत्तर वाद-विवाद
२५४८	,,	आय-व्ययक १९३५	आय-व्ययक १९६५
२५४९	शीर्षक	१० मार्च,-६५	१० मार्च, ६५-
२५५९	२५	अग्रेजों	अंग्रेजों
२५६०-६२	शीर्षक	१० माच	१० मार्च
२५६२	२१	लिबे	लिये
२५६४ से २५६७	शीर्षक	आय-व्ययक १९६५-६६ १० मार्च, ६५- पर अग्रेत्तर वाद-विवाद	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा का १० मार्च, ६५- स्पष्टी कारक वक्तव्य

१	२	३	४
२४८०–८१	शीर्षक	१० माच	१० मार्च
२४८१	५	प्राबधान	प्रावधान
२४८२	६	बढ़ी	बड़ी
२४८३	३०	मशीनरी का इस प्रकार डालें	मशीनरी को इस प्रकार ढालें
२४८४	१	चीजें	चीज़ें
,,	४	ट्रान्स्पोर्ट । के	ट्रान्सपोर्ट के
,,	१५	ट्रान्स्पोर्ट	ट्रान्सपोर्ट
२४८६	४	पी० डब्लू डी।	पी० डब्लू० डी०
२४८७	१६	प्राबधान	प्रावधान
२४९०	१	ता	तो
२४९१	१	खच	खर्च
२४९२	१६	अंघे	अंधे
२४९६	६	लेन्ड	लैन्ड
२४९७	स्कम्भ	२४७९	२४९७
,,	शीर्षक	वाद-विवाद	वाद-विवाद
२४९८	शीर्ष	श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)	(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
२४९९	१०	डबल पर	पर डबल
२५०३	२१	बड़े लाग	बड़े लोग
२५०४	२१	हैं तौ	हैं तो
	२६	समय–समाप्ति : सूचक	समय-समाप्ति–सूचक
२५०६	१२	हस	इस
२५०७	१	"जी हुजूरिय"	"जी हुज़ूरिये"
२५०९	२०	पेन्ट	वेस्ट
२५१४	९	बैंच	बेंच
२५१६-१७	शीर्षक	१० मा ं	१० मार्च
२५१७	२७	र्सविसेज, भी	सर्विसेज भी
२५१९	शीर्षक	वान-विवाद	वाद-विवाद
,,	४	तथ्य; की	तथ्य की
,,	१०	सही ढग	सही ढंग
,,	२४	बिमारी	बीमारी

१	२	३	४
२४५१	२१	सेलसटैंक्स	सेल्स टैक्स
२४५२	१०	कसे	कैसे
२४५३	२३	हुंए	हुए
		स्कम्भ संख्या २४५३ से २४६३ तक जहां भी "श्री अमरसिह जसोल" अथवा अन्य कुछ मुद्रित हुआ है वहां कृपया "श्री अमरसिंह जासोल" पढ़ें ।	
२४५५ व २४५६	शीर्षक	विवाद	विवाद
२४५६	२१	तयार	तैयार
२४५७	१५	ओर	और
२४६१	१७	दें,	दें
,,	२०	घुस	घुस
,,	अन्तिम	करेंगे	करेंगे
२४६३	२०	हुआ	हुआ
२४६४–२४७८	शीर्ष एवं जहां कहीं भी आया है	श्री अमरसिह जसोल	श्री अमरसिंह जासोल
२४६४	अन्तिम से ४	पैट्टी	पैटी
२४६५	१ व १०	पैट्टी	पैटी
,,	३०	परिबार	परिवार
२४६६	५	देखा है की	देखा है कि
२४६८	५	एक पमंत्री मैंने महोदय	मैंने एक उप-मंत्री महोदय
,,	२१	पेट्टी	पैटी
२४६९	१	रावल श्री अमरसिंह	श्री अमरसिंह जासोल
,,	७	घैर्य	धैर्य
२४७०	२४	समय–समाप्नि	समय–समाप्ति
२४७१	२३	क्रडिट	क्रेडिट
२४७२	१५	स्टर्लिग	स्टर्लिंग
२४७६	१४व१७	जसौल	जासोल
,,	२८	बीथोडी	बीथोड़ी
२४७७	अन्तिम से ३	कर्त्तव्यानिष्ठा	कर्त्तव्यनिष्ठा
२४७९	८	वढोत्तरी	बढ़ोत्तरी

Page No 122

१	२	३	४
२४२२	१५	आस्ता	आस्था
२४२३	५	श्रब	अब
,,	६	नही	नहीं
,,	,,	राप्ट्रीय-	राष्ट्रीय-
२४२५	शीर्षक	बिवाद	विवाद
२४२७	२५	वजट	बजट
२४२८	२	भी	की
२४३१	६	है। ही	है ही।
२४३२	११ के पश्चात्	—	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा :
,,	२०	सव	सर्व
२४३३	१३	क्योंकि	क्योंकि
२४३६	१०	१६६५–६ट	१६६५-६६
,,	१६	टैक्त	टैक्स
,,	अन्तिम	उपाघ्यक्ष	उपाध्यक्ष
२४३७	२५	हिदायेत	हिदायत
,,	२६	स्टेटि्स्टिक्स	स्टेटिस्टिक्स
२४३८	१६–२०	परर्सेन्ट	परसेन्ट
२४३६	३	टैंक्स	टैक्स
,,	६	बित्त	वित्त
२४४०	३	वडिग्स	वडिग्स
२४४१	१७	वालों	वालों
२४४२	२	टक्स	टैक्स
२४४५	अन्तिम	वताउंगा।	वताऊंगा।
२४४७	५	रेबेन्यू	रेवेन्यू
,,	६	श्री सम्पतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
,,	२०	वुक्स	बुक्स
२४४८, २४५०, २४५२	शीर्ष	(श्री सम्पतिलाल	(श्री सम्पत्तिलाल
२४४८	१८	अरव	अरब
२४५०	२२	घीरे घीरे	धीरे धीरे
,,	२३	द।	दे।